

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 396] No. 396] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 2018/कार्तिक 2, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018/KARTIKA 2, 1940

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अधिसूचना

झांसी, 24 सितम्बर, 2018

भर्ती नियम (शैक्षणिक कर्मचारी), 2016

फा. सं. आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016.—रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के विधान 12(4) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के नियमन हेतू निम्नलिखित नियम बनाती और स्वीकार करती है।

1. लघु शीर्षक तथा आरंभ

- (i) इन नियमों को रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (शैक्षणिक कर्मचारी), 2016 कहलाएंगे।
- (ii) ये अधिसूचित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (क) 'अधिनियम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016, समय–समय पर यथा संशोधित, है।
- (ख) 'बीओएम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल है।
- (ग) 'विभागीय प्रत्याशी' का अर्थ उन कर्मचारियों से है जो विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर कार्यरत हैं लेकिन इसमें तदर्थ आधार पर, दैनिक वेतनभोगी या निविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
- (घ) 'सरकार' का अर्थ केन्द्र सरकार या भारत सरकार है।
- (ङ.) विश्वविद्यालय के 'शैक्षणिक कर्मचारियों' या 'शिक्षकों' का अर्थ प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक है और इसके साथ ही इसका तात्पर्य ऐसे उन अन्य व्यक्तियों से है जो विश्वविद्यालय में अनुदेश देने, अनुसंधान करने या विस्तार शिक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा जिन्हें अध्यादेशों के द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है।
- (च) किसी व्यक्ति के संबंध में 'परिवीक्षाधीन' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी भी पद पर इन विशिष्टीकृत नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।
- (छ) 'नियमित सेवा' का अर्थ संवर्ग में किसी कर्मचारी द्वारा की गई नियमित सेवा से है जिसमें निविदा/दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी तथा तदर्थ पदोन्नति पर सेवारत कर्मचारी शामिल नहीं है।

6208 GI/2018 (1)

- (ज) 'परिनियमों', 'अध्यादेश' तथा 'विनियम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत बनाए गए क्रमशः परिनियमों, अध्यादेश और नियमन से है।
- (झ) 'चयन समिति' का अर्थ विधानों / अध्यादेशों में विशिष्टीकृत विभागीय पदोन्नत समिति सहित चयन समिति के सदस्यों के गठन से है और जहां विशिष्टीकृत नहीं है वहां इन भर्ती नियमों के अनुसार है।
- (ट) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय है।

3. अधिनियम का प्रसार

ये नियम विश्वविद्यालय के निदेशकों, अधिष्ठाताओं और पुस्तकालयाध्यक्ष सहित सभी शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी

शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंध मंडल नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

5. अनुसूची

विभिन्न पदों के लिए पदों की नाम, उनका विवरण, वेतनमान, अर्हता और अनुभव, आयु—सीमा आदि के विवरण तथा पद से प्रासंगिक कोई भी अन्य सूचना परिशिष्ट—2 के अनुसार होगी।

6. भर्ती की विधि

विश्वविद्यालय के इन नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में विद्यमान विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती संबंधी क्रियाविधि निम्नानुसार होगी :

- (क) सीधी भर्ती
- (ख) पदोन्नति
- (ग) प्रतिनियुक्ति

7. विज्ञापन जारी करने और शैक्षणिक पदों की सभी श्रेणियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

I. विज्ञापन जारी करना

स्थायी प्रकृति के रिक्त शैक्षणिक पदों, नियोजित पद तथा अस्थायी प्रकृति के पद जिन्हें जारी रहना हो, निश्चित अविधि / प्रितिनियुक्ति वाले पदों के लिय किन्हीं दो अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार—पत्रों में कम से कम एक प्रविष्टि देते हुए उचित समय पर विज्ञापित किए जाएंगे और इनमें से एक विज्ञापन प्राथमिकता के साथ 'रोजगार समाचार' तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ribcau.ac.in में विज्ञापित किया जाएगा। किसी निर्धारित पद के लिए प्रत्याशी होने का इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन (विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) सभी आवश्यक अनुलग्नकों और निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी :

- (i) अंतिम तिथि वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के विवेकाधिकार से बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए वांछित प्रत्याशी को वेबसाइट के सम्पर्क में निरंतर रहना होगा।
- (ii) अल्पावधि / संविदा पर नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति के लिए भी आवेदन परिचालन की किसी भी अन्य विधि जैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिपत्र या अधिसूचना के द्वारा या विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तुत करके आमंत्रित किए जा सकते हैं।
- (iii) प्रत्येक पद के लिए कॉलम सं.10 में उल्लिखित प्रावधानों से इतर विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी रिक्त पद को भरने का निर्णय ले सकता है या समुचित औचित्य के साथ विश्वविद्यालय के हित में किसी अन्य माध्यम से भरना तय कर सकता है।

II. विज्ञापन जारी होने की तिथि

प्रत्येक मामले में विज्ञापन जारी होने की तिथि से संबंधित निर्णय कार्य की अनिवार्यताओं और अपेक्षाओं के अनुसार लिया जाना चाहिए।

III. विज्ञापन की वैधता की अवधि

जहां चयन समिति किसी भी पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि के बाद 12 माह समाप्त होने के बाद भी बैठक आयोजित नहीं करती है, वहां पद को सामान्यतः पुनः विज्ञापित किया जाएगा। तथापि, यदि कुलपित के विचार से परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो विज्ञापन की वैधता की अवधि छह माह और बढ़ाई जा सकती है। तथापि, किसी भी मामले में विज्ञापन की वैधता की अवधि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 18 माह के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।

IV. आवेदन पत्र

- क) सभी पदों के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन—पत्रों में तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित की गई राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पक्ष में देय होने चाहिए। विज्ञापन के अनुसार निर्धाश्रत आवेदन शुल्क सिहत सभी आवश्यक अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस उद्देश्य से कुलपित द्वारा नामित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव या किसी अन्य अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। आवेदन पत्र के प्रभार तथा निर्धारित शुल्क की अनुसूची समय—समय पर कुलपित द्वारा निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार के नियमों के अनुसार एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी. अभ्यार्थियों के लिए आवदेन शुल्क से छूट होगी।
- ख) आवेदनों की प्राप्ति : आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस के लिए रिक्तियों के जारी होने की तिथि से छह सप्ताह की होगी या जैसा विज्ञापन में विशिष्टीकृत किया गया हो। तथापि, कुलपित स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद भी प्राप्त हुए किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है। यदि अंतिम तिथि को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।
- ग) वे आवेदक जो रोजगार रत हैं, उन्हें अपने आवेदन उचित माध्यम से इस प्रकार भेजने होंगे कि वे विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में पहुंच जाए।

8. न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव प्रबंध मंडल द्वारा इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भा.कृ.अनु.प. के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर यथा संशोधित रूप में निर्धारित किए जाएंगे।

9. आयु-सीमा

इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु—सीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / प्रबंध मंडल द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाएगी।

10. आयु तथा अनुभव में छूट

- (i) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले प्रत्याशियों के मामले में आयु तथा अनुभव के लिए छूट देने हेतु वैधानिक प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार के मानदंड के अनुसार लागू होंगे। तथापि, अंकों के प्रतिशत सहित अर्हता में छूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमन्य है। ऐसी छूट पर उचित मामलों में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि भारत सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग समिति इसकी अनुशंसा करे।
- (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रबंध मंडल महिला प्रत्याशियों, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / कृषि विश्वविद्यालयों / केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों / संगठनों / संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के मामले में आयु—सीमा तथा अनुभव में छूट प्रदान कर सकता है।
- (iii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों/संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में परियोजना/स्कीम या संविदा पर किसी पद पर कार्य करने में लगे समय और उसके साथ ही उपरोक्त वर्णित निकायों में अधिक से अधिक दो वर्ष की खंडित सेवा को भी नियमित स्थापना में नियुक्ति हेतु आयु/अनुभव में छूट के उद्देश्य से गिना जा सकता है। बशर्ते कि ऐसी सेवा एक अकादमिक सत्र में छह माह से अधिक अवधि तक निरंतर की गई हो।

11. पदों के आरक्षण

भर्ती / पदोन्नित आदि में विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति निम्नानुसार होगी :

यात्रा भत्ते का भुगतान

प्रत्याशी को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर अपने व्यय पर निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा। तथापि, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बाहरी प्रत्याशियों को द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया अदा किया जाएगा और यदि उनके आने का स्थान रेल द्वारा जुड़ा नहीं होगा तो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सबसे छोटे मार्ग से आने का बस का साधारण किराया दिया जाएगा, बशर्ते कि वे साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। उपरोक्त छूट उन एससी/एसटी प्रत्याशियों को देय नहीं है जो पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं।

12. आवेदनों की छंटाई

निर्धारित अर्हता तथा अनुभव न्यूनतम होंगे और केवल यह तथ्य कि प्रत्याशी के पास निर्धारित अर्हता है, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का पात्र नहीं बनाता है। विश्वविद्यालय को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या

सीमित रखने का अधिकार है जो इस उद्देश्य के लिए विनियमों के अंतर्गत गठित की गई छंटाई समिति की अनुशंसाओं के अनुसार निर्धारित होगा। इसके लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हता और अनुभव के उच्च होने पर प्रत्याशियों की संख्या निर्धारित की जाएगी या किसी अन्य उपयुक्त दशा के द्वारा ऐसा किया जाएगा। आवेदनों की छंटाई के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाए जाएंगे:

क) छटाई समिति का गठन

कुलपित दो या इससे अधिक विषय—वस्तु विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में नामित करेगा जिनमें से एक सिमित का अध्यक्ष पद नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य सदस्य जो जरूरी नहीं है कि विषय—वस्तु विशेषज्ञ हो, को छंटाई सिमित का सदस्य—सिचव पद नामित किया जाएगा।

छंटाई समिति की गणपूर्ति अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित तीन होगी।

ख) अर्हता पूरी करने के लिए प्राथमिक मूल्यांकन

- (i) विश्वविद्यालय प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक छंटाई करेगा और तुलनात्मक विवरण तालिका के रूप में तैयार करेगा। आवेदन चाहे वे 'अग्रिम' प्रति के रूप में या 'उचित माध्यम के द्वारा' रूप में भेजे गए हों, विज्ञापन में दर्शायी गई निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाने चाहिए। दोनों ही मामलों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर लिया जाएगा और उन पर छंटाई के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) प्रत्याशी (यों) को आवेदित पद के लिए सभी निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करनी चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी एक या इससे अधिक अनिवार्य अर्हताओं को पूरा नहीं करता है तो वह आवेदित पद का पात्र नहीं होगा। इसके लिए मात्र 'अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं करता है/पात्र नहीं है' ही प्राथमिक स्कोर कार्ड सीट में उसके नाम के सामने उल्लिखित होगा। ऐसे प्रत्याशी को स्कोर कार्ड की किसी भी मद के अंतर्गत कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तथापि, छंटाई समिति विशेष रूप से शैक्षणिक अर्हताओं और रोजगार रिकॉर्डों के संबंध में एक बार पुनः पात्रता की पुष्टि करेगी।
- (iii) विदेश / भारत से बाहर कार्यरत उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आवेदन जिनमें निर्धारित वेतनमान नहीं दर्शाया गया होगा, उनके मामलों में छंटाई समिति अर्हताओं के मूल्यांकन तथा अनुभव के वर्षों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात् स्कोर कार्ड के अनुसार उनकी पात्रता का निर्धारण करेगी। इसके साथ ही समतुल्य पद के लिए अनुभव के वर्षों की संख्या और परिलब्धियों के मामले में भी विद्यमान निर्धारित भर्ती निमयों के अनुसार अनुशंसा की जाएगी।
- ग) आवेदन की छंटाई के लिए छंटाई समिति हेतु दिशानिर्देश
 आवेदित पद के लिए स्कोर कार्ड के दिशानिर्देशों के अनुमोदन के अनुसार विभिन्न विशेषताओं के लिए अंक निर्धारित
 किए जाएंगे। छंटाई समिति दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अंक निर्धारित करने के लिए सक्षम है। अंक देने या
 छंटाई के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने में कोई संदेह होने पर पात्रता मानदंड संबंधी अनुबंध की व्याख्या
 कुलपित द्वारा की जाएगी और इस संबंध में उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

घ) साक्षात्कार हेत् बुलाए जाने के लिए प्रत्याशियों की छंटाई

- अ) छंटाई समिति / सक्षम प्राधिकारी रिक्त पदों की संख्या और प्रत्याशियों की संख्या के बीच के अनुपात को निर्धारित करके साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या के बारे में निर्णय लेगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अनुपात प्रत्येक पद के लिए सामान्यतः 1:20 से अधिक नहीं होता है तथा 1:3 से कम नहीं होता है, बशर्ते कि सभी शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र प्रत्याशी ने कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- ब) अंतिम चयन स्कोर कार्ड में अंकों को वेटेज देकर तथा साक्षात्कार / प्रस्तुतीकरण अंक देकर निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.सं.	श्रेणी	स्कोर कार्ड के अंक	साक्षात्कार के अंक	कुल
शैक्षणिक पव	[
1	सहायक प्राध्यापक और समतुल्य	80	20	100
2.	एसोसिएट प्राध्यापक और समतुल्य	70	30	100
3.	प्राध्यापक और समतुल्य	70	30	100
विधायी पद				
4.	निदेशक / अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / पुस्तकालयाध्यक्ष	70	30	100

13. चयन समितियों / विभागीय पदोन्नत समितियों का गठन

क) चयन समिति का गठन रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची की धारा 18 (1 और 2), समय—समय पर यंथासंशोधित, के अनुसार किया जाएगा। विश्वविद्यालय में सेवारत नियमित निदेशक/अधिष्ठाता/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध मंडल कुलपित को किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से उपयुक्त प्रतिस्थापन हेतु कुलपित को प्राधिकृत कर सकता है। कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त इसमें भा.कृ.अनु.प. के मानद विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यह प्राधिकार नियमानुसार चयन समितियों/विभागीय पदोन्नत समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए भी होगा।

- ख) अध्यक्ष बैठक की तिथि से कम से कम 10 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को सूचना जारी करेगा जिसमें बैठक के समय और स्थान के बारे में बताया जाएगा। चयन समिति की बैठक की तिथि विजिटर नामिति तथा प्रबंध मंडल द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा के अनुसार तथा उनसे पूर्व परामर्श लेने के बाद निर्धारित की जाएगी।
- ग) अध्यक्ष को चयन समिति की बैठक में मत देने का अधिकार होगा और यदि सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की संख्या बराबर रहती है तो अध्यक्ष भी अपना मत प्रस्तुत करेगा।

14. खुले चयन द्वारा सीधी भर्ती

- 1. न्यूनतम अर्हता, अनुभव तथा अन्य नियमों से संबंधित नियम व शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा पद की अपेक्षा और सुसंगता के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुलपित अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्ष से परामर्श करके शैक्षणिक परिषद के लिए नियम निर्धारित कर सकता है जो भरे जाने वाले पद की अन्य शर्तों के अनुसार होगा।
- 2. आरक्षित श्रेणियों से व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम तथा क्रियाविधियां विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपनाए जाएंगे।
- 3. विश्वविद्यालय में अन्य नियमित पद पर भर्ती उचित रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी। यह नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसाओं के अनुसार पात्र प्रत्याशियों में से की जाएगी।
- अध्यक्ष चयन समिति की बैठक में मत व्यक्त करने का पात्र होगा और वह अपना मत टाई होने पर व्यक्त करेगा।
- 5. चयन समिति साक्षात्कार में प्रत्याशियों के निष्पादन के मूल्यांकन की अपनी विधि निर्धारित कर सकती है।
- 6. चयन सिमित एक चयन सूची और एक आरक्षित प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगी। चयन सूची में प्रत्याशियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित पदों/रिक्तियों से अधिक नहीं होंगे। चयन सिमित 2–3 नामों की एक आरक्षित सूची भी तैयार करेगी। आरक्षित प्रत्याशियों की सूची का पैनल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तिथि से वैध होगा और विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि यदि कोई चुना गया प्रत्याशी पद ग्रहण करने के लिए दिए गए समय में अपना पदभार नहीं ग्रहण करता है तो आरक्षित पैनल से प्रत्याशी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जहां कोई प्रत्याशी पदभार ग्रहण तो करता है/करती है लेकिन पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध में त्याग—पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या भविष्य में कोई समतुल्य पद रिक्त होता है तो आरक्षित सूची से प्रत्याशी को उस रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
- 7. विश्वविद्यालय को चयन के समय पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने का अधिकार है।
- 8. यदि चयन समिति द्वारा किसी प्रत्याशी की नियुक्ति की अनुशंसा अर्हता/आयु आदि में निर्धारित शर्तों के संबंध में छूट देते हुए की जाती है तो उसे वर्णित और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- 9. एक ही तिथि पर दो या इससे अधिक पदों के चयन के मामले में अनुशंसा सेवा में विरष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से चुने गए प्रत्याशियों की योग्यता के क्रम में ही की जानी चाहिए।
- 10. चयन समिति प्राध्यापक या सह प्राध्यापक के पद के लिए प्रत्याशी पर विचार करने के पश्चात् यदि यह समझती है कि वह अगले निचले पद के लिए उपयुक्त होगा / होगी तो ऐसी अनुशंसा कर सकती है, बशर्ते कि निचले कैंडर में अनुशंसित पद उपलब्ध हो।
- 11. अध्यक्ष अधिनियम / विधान / अध्यादेश में उल्लिखित न किए गए किसी भी मामले के संदर्भ में क्रियाविधि निर्धारित करने का अधिकारी है।
- 12. चयन समिति की अनुशंसाएं प्रबंध मंडल को प्रस्तुत की जाएंगी तथा नियुक्ति का आदेश विधान 12 (2)(ii) के अनुसार प्रबंध मंडल की स्वीकृति के पश्चात् जारी किया जाएगा।
- 13. चयन सिमित की अनुशंसा के आधार पर चयन मंडल अपने विवेकाधिकार से भारत सरकार के अंतर्गत पात्र संगठन से बाहर किसी प्रत्याशी को पदभार ग्रहण करने पर वेतन को सुरक्षित करने का एक समय का लाभ स्वीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्याशी के पास चयन सिमित की संतुष्टि के अनुरूप उच्चतर अर्हता और अनुभव, उच्चतर वेतनमान अथवा व्यावसायिक विशेषज्ञता हो।
- 14. प्रबंध मंडल से अनुमोदित होने पर चयन समिति की अनुशंसाएं ऐसे अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी।

15. प्रतिनियुक्ति

क) यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो प्रत्याशी अधिक से अधिक पांच वर्ष की अविध तक या उस विशेष संवर्ग के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, पद पर बना रह सकता है / सकती है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आरंभ में दो वर्ष की अविध के लिए की जा सकती है जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अविध तक वर्षवार आधार पर बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्याशी का निष्पादन संतोषजनक हो, व्यवहार अच्छा हो और सत्यनिष्ठा उच्च हो। तथापि यदि विश्वविद्यालय प्रत्याशी के निष्पादन, सत्यनिष्ठा या आचरण को असंतोषजनक पाता है जो सक्षम प्राधिकारी के विचार के अनुसार अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के आचरण के अनुरूप न हो तो विश्वविद्यालय उस व्यक्ति को अपने मूल विभाग में वापस भेज सकता है। सामान्य रूप से कोई भी प्रत्याशी उसकी नियुक्ति की अविध के समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी भी संवर्ग में समाहित नहीं किया जाएगा। तथापि,

यदि विश्वविद्यालय के हित में किसी व्यक्ति को समाहित करने का निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को संबंधित प्रतिनियुक्ति व्यक्ति का विचार जानने के पश्चात् स्वीकृति के लिए प्रत्याशी के मूल संगठन को भेजेगा। मूल विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मामला अंतिम निर्णय के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह प्रत्याशी विश्वविद्यालय में समाहित होता/होती है तो उसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार विरष्ठता प्रदान की जाएगी।

- ख) यदि नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाती है और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विज्ञापनों/जारी किए गए परिपत्रों के उत्तर में बहुत कम प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध मंडल अपने विवेकाधिकार से चयन समिति गठित कर सकता है या पद के लिए पात्रता की संतुष्टि के पश्चात् किसी प्रत्याशी को नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है। इस संतुष्टि में यदि उचित माना गया हो तो विज्ञापन के अनुसार मूल विभाग द्वारा उचित रूप से अग्रेषित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआरएस) की समीक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ग) विश्वविद्यालय में चल रही भा.कृ.अनु.प. की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना(ओं) के लिए एआईसीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत वैज्ञानिक पदों को भा.कृ.अनु.प. की परियोजना के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय के नियमित शैक्षणिक पदों के समतुल्य पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। उस प्रत्याशी के द्वारा एआईसीआरपी में की गई सेवा की अविध को विरुद्धता को निर्धारित करने तथा किसी अन्य उच्च पद पर पदोन्नित की उसकी पात्रता के लिए गिना जाएगा। तथापि, आरए/एसआरएफ आदि की नियुक्ति भा.कृ.अनु.प. के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा यह परियोजना के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

16. सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक और प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट के माध्यम से पदोन्नित हेतु मानदंड/विनियम

विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों / सह प्राध्यापकों / प्राध्यापकों या समकक्ष कैंडर की कैरियर एडवांसमेंट के माध्यम से पदोन्नित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भा.कृ.अ.प. द्वारा निर्धारित मानदंडों / विनियमों तथा समय—समय पर यथासंशोधित के अनुसार संचालित होगी।

17. नियुक्ति की विशेष विधि

विश्वविद्यालय अधिनियम के विधान 18 में निहित तथ्यों से इतर मंडल उच्च शैक्षणिक विशेषज्ञता या व्यावसायिक उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्राध्यापक या सह प्राध्यापक अथवा किसी भी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। विश्वविद्यालय में प्राध्यापक या कोई भी अन्य शैक्षणिक पद, जैसा भी मामला हो, पर नियुक्ति उचित नियम व शर्तों के अनुसार की जाएगी और ऐसा उस व्यक्ति के पद पर नियुक्त होने की सहमित के पश्चात किया जाएगा।

18. परिवीक्षा की अवधि तथा स्थायी नियुक्ति

- i. प्रतिनियुक्ति की अविध पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया या घटाया जा सकत है। सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पिरवीक्षा की अविध को पूरा करने में असफल रहने पर प्रत्याशी को रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की सेवा से हटने का पात्र माना जाएगा।
- ii. जब तक विशेष आदेश के द्वारा बढ़ाया न जाए, परिवीक्षा की अविध को दो वर्ष की अविध के समाप्त होने पर स्वतः ही पूरा हुआ माना जाएगा।
- iii. इस उपबंध के चलते विश्वविद्यालय / संबंधित संस्था के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्याशी के संतोषजनक निष्पादन के सत्यापन की प्रक्रिया के पूरे होने के पश्चात् 45 दिनों के अंदर परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर उसके पद पर स्थायी होने का आदेश जारी किया जाएगा।
- iv. परिवीक्षा और स्थायीकरण नियम केवल उस भर्ती के प्रारंभिक चरण पर लागू होते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए जाते हैं तथा स्थायी होने से संबंधित केन्द्र सरकार के सभी अन्य नियम, समय—समय पर यथासंशोधित, पूर्ण रूपेण लागू होंगे। संविदा आधार पर, प्रतिनियुक्ति पर, निश्चित अविध के लिए नियुक्त कर्मचारियों या सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में कोई परिवीक्षा अविध नहीं होगी।
- v. कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि परिवीक्षा पर कार्यरत किसी शिक्षक की पुष्टि का मामला परिवीक्षा की अविध समाप्त होने के अधिक से अधिक चालीस दिनों के अंदर प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करे।
- vi. इसके पश्चात् प्रबंध मंडल उस प्राध्यापक के पद पर स्थायी होने, स्थायी न होने या परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का निर्णय लेगा लेकिन परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का समय कुल मिलाकर 12 माह से अधिक नहीं होगा।
- vii. यदि प्रबंध मंडल किसी शिक्षक को स्थायी करने का निर्णय नहीं लेता है, भले ही उसकी परिवीक्षा की अवधि के 24 माह पूरे हो गए हों या परिवीक्षा की बढ़ाई हुई अवधि भी समाप्त हो गई हो, जैसा भी मामला हो, संबंधित प्राध्यापक को इस संबंध में लिखित रूप से सूचित करेगा। ऐसा उस अवधि के समाप्त होने के अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।
- viii. किसी अध्यापक को स्थायी न करने का निर्णय प्रबंध मंडल के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा अथवा मतदान के द्वारा किया जाएगा।
- ix. जब तक विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी अपने सेवा से करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है / करती है तब तक उसे उसके पद पर स्थायी नहीं किया जाएगा।

x. परिवीक्षा की अविध के दौरान सामान्यतः उस शिक्षक का किसी बाहरी संगठन में रोजगार के लिए आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके विवेकाधिकार से संबंधित प्रत्याशी के अनुरोध पर विचार किया जाता है तो आवेदन अग्रेषित करते समय उससे यह प्रतिज्ञा—पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वह किसी अन्य विभाग में चयन होने पर अपने वर्तमान पद से त्याग—पत्र देगा/देगी।

19. सेवानिवृत्ति की आयु

- (i) अधिनियम के विधान 26 के प्रावधान के अनुरूप विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी प्रत्येक शिक्षक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक ऐसी सेवा में बना रहेगा/रहेगी।
- (ii) बशर्ते कि यदि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय आती है तो प्रबंध मंडल कुलपित की अनुशंसा पर उस शिक्षक को शैक्षणिक सत्र के अंत तक किसी भी अविध के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है, तािक विभाग / महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्य में बाधा न पड़े।
- (iii) विशेष मामलों में सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने वाले अध्यापक को इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए संविदा पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

20. अनुशासन/सतर्कता अनापत्ति रिपोर्टें

- (i) वह प्रत्याशी जो पहले से ही सेवा में है, अपने नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई न तो की गई है और न ही लंबित है। इसके अतिरिक्त सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) प्रत्याशी की पात्रता अथवा अन्यथा किसी वास्तविक सूचना या किसी दस्तावेज को जानबूझकर छुपाना और इसके साथ ही आवेदन में गलत दस्तावेज पेश करने/या गलत विवरण/सूचना देने या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना या उपलब्धियों/जाति, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव या मूल निवासी संबंधी दस्तावेज आदि गलत रूप में प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले में छानबीन/जांच करने का अधिकार होगा तथा वह नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया या रोजगार संबंधी प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय इस संबंध में और कार्रवाई के लिए प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

21. कठिनाइयों को दूर करना

- (i) प्रबंध मंडल समय–समय पर इन नियमों के प्रावधानों के परिचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकता है।
- (ii) इन नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों से संबंधित सभी विद्यमान नियम और आदेश अधिक्रमित हो सकते हैं। तथापि, ऐसे विद्यमान नियमों तथा आदेशों के अनुपालन में पहले से ही की जा रही कार्रवाई को इन नियमों के अंतर्गत संचालित हुआ माना जाएगा।

22. व्याख्या

नियमों के किसी भी उपबंध के संबंध में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता के न होने पर प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

23. निममों का संशोधन

प्रबंध मंडल को किसी भी या इन सभी नियमों को संशोधित करने, सुधार कर परिवर्तित करने, वापस लेने, निलंबित करने या छूट देने का प्राधिकार होगा। प्रबंध मंडल के निर्णय अंतिम होंगे और सभी कर्मचारी उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे।

24. शेष मामले

इन नियमों में जिन मामलों को विशिष्टीकृत नहीं किया गया है उनके संबंध में संबंधित प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए या भारत सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे, जैसा कि समय—समय पर संशोधित भी हो सकता है और अनका अनुपालन किया जाएगा। यदि इन नियमों के किसी प्रावधान और अन्य अधिनियम/विधानों के किसी अन्य प्रावधान के बीच टकाराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो अधिनियम/विधानों के प्रावधान विद्यमान रहेंगे तथा इन नियमों के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे।

25. अधिकारियों का भारत या / और विदेश में सेवा करने का दायित्व

नियुक्त कर्मचारी भारत या / और विदेश में कहीं भी कार्य करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं।

26. न्यायिक क्षेत्र

विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई भी विवाद, कोई भी मुकदमा या वैधानिक कार्यवाही के मामले में न्यायिक क्षेत्र की सीमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद होगा।

27. बचाव

इन नियमों में निहित कोई भी तथ्य जो आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य छूटों को प्रवाहित करता है, वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार निपटाए जाने चाहिए। भर्ती नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी प्रबल होगा।

28. भर्ती की सामान्य शर्ते एवं नियम

- i. मात्र पात्रता की शर्तें पूरी करने पर कोई भी प्रत्याशी साक्षात्कार में बुलाए जाने का पात्र नहीं हो जाएगा। प्रत्येक मामले में सभी प्रत्याशियों की पात्रता के निर्धारण की तिथि विज्ञापन में आवेदनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में कोई भी प्रत्याशी यदि न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है तो उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा उस विशेष पद के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि को उस प्रत्याशी की योग्यतानुसार किया जाएगा।
- ii. विज्ञापन में निर्धारित आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर वांछित अर्हता तथा अनुभव प्राप्त होने के अतिरिक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए किसी भी अतिरिक्त अर्हता और अनुभव को चयन के समय ध्यान में रखा जाएगा। इन नियमों में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी विशेष पद के लिए वांछित अनुभव को या तो केवल एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परिकलित किया जाएगा या दो या इससे अधिक क्षेत्रों में अनुभव की गणना करते हुए किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
- iii. वह प्रत्याशी जो पहले से ही सेवा में हो, उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। तथापि, वह आवेदन/आवेदनों की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की अंतिम तिथि के 30 दिनों के अंदर अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण—पत्र' प्रस्तुत करते हुए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति भेज सकता है/सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रति नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन उसके नियोक्ता द्वारा सीआर डोज़ियर के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए तथा उचित माध्यम से वांछित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे यथानुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- iv. प्रत्याशी का यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्धारित अर्हता, अनुभव आदि के अनुसार जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है/रही है, उसके लिए अपना मूल्यांकन स्वयं करे तथा भली प्रकार भरा हुआ आवेदन वांछित सूचना, दस्तावेजों तथा अन्य समर्थनकारी सामग्री के साथ प्रस्तुत करे, जैसी कि आवेदन में अपेक्षा की गई है। किसी वास्तविक सूचना को दबाना, नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना, गलत या झूठी सूचना उपलब्ध कराना या प्रत्याशी द्वारा कोई भी अन्य अवांछनीय कार्य करना अनुचित होगा और इससे उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी भविष्य में किसी भी समय उपरोक्त प्रकार का कोई मामला पाया जाता है और यह दिखाई देता है कि प्रत्याशी के पास निर्धारित अर्हता व अनुभव नहीं था जिसे किसी भी कारणवश साक्षात्कार के समय ज्ञात नहीं किया जा सका तो इस उपबंध के अनुसार उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा तथा ऐसा प्रत्याशी द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा—पत्र के आधार पर भी किया जा सकता है। ऑफर या नियुक्ति के पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भर्ती नियमों में अथवा विशेष रूप से किसी भी पद के संबंध में पात्रता के मामले में कोई भी अस्पष्ट स्थिति होने पर प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- v. किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों / दावों आदि को सक्षम प्राधिकारियों / स्रोतों द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात ही स्वीकार किया जाएगा। यदि सत्यापन के पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में कोई दावा / प्रमाण-पत्र / दस्तावेज झूठा / नकली / गलत / संदेहास्पद पाया जाता है तो उस दस्तावेज को तत्काल अस्वीकार दिया जाएगा और प्रत्याशी के विरुद्ध उसके इस दुराचरण के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी जिसमें उसकी उम्मीदवारी को रदद करना शामिल है और यदि उसकी नियुक्ति हो चुकी है तो वह नियुक्ति भी रदद मानी जाएगी।
- vi. भर्ती प्रक्रिया या रोजगार के किसी भी अवस्था में यह पता चलता है कि प्रत्याशी ने पात्रता या किसी अन्य से संबंधित वास्तविक सूचना को जानबूझकर छुपाया है और उसके पश्चात् आवेदन में झूठे दस्तावेज / या गलत विवरण / सूचना दी है या दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है अथवा जाति, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव या मूल निवास आदि के बारे में गलत दस्तावेज / सूचना उपलब्ध कराई है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा यदि पहले से ही नियुक्ति हो चुकी है तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- vii. किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति को समय—समय पर संशोधित सेवा शर्ती/भर्ती की विधि को संचालित करने वाले अधिनियम/विधानों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों आदि के द्वारा संचालित किया जाएगा और विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के संकल्पों, के नियमों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा जो समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए होंगे।
- viii. शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्याशियों के लिए उनके चरित्र/आचरण का सत्यापन पुलिस/उप समाहर्ता/आयुक्त के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो बिना कोई सूचना दिए नियुक्ति रदद कर दी जाएगी।
- ix. चयनित प्रत्याशी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा, विश्वासपात्रता की शपथ लेनी होगी तथा नियुक्ति होने पर एक निर्धारित फार्म में इस आशय की शपथपूर्ण पुष्टि करनी होगी।
- x. नियुक्ति होने पर प्रत्याशी निर्धारित प्रोफार्में में अपनी वैवाहिक स्थिति की घोषणा करेगा / करेगी । यदि प्रत्याशी का पति / पत्नी जीवित है तो यदि लागू नियम के अनुसार छूट प्राप्त न हो तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

- xi. चुने गए प्रत्याशी को पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सा जांच / परीक्षा करानी होगी। यदि उसे प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा योग्य नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति के लिए उसे दिया गया ऑफर वापस ले लिया जाएगा। जो व्यक्ति सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों में पहले से ही रोजगाररत हैं उन्हें अपने कार्यस्थल से किसी भी सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण–पत्र पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए।
- xii. नियुक्ति/रखे जाने के शर्ते एवं नियम चुने गए प्रत्याशियों को 'नियुक्ति/रखे जाने के ऑफर' में सूचित किए जाएंगे। यदि प्रत्याशी निर्धारित अविध में नियुक्ति/रखे जाने के ऑफर में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों को स्वीकार नहीं करता है तो ऑफर वापस लिया हुआ माना जाएगा और इस संबंध में प्रत्याशी के किसी भी पत्राचार/संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को पद के कर्तव्यों की प्रकृति को बढ़ाने का अधिकार है तथा वह किसी भी समय यहां तक कि शनिवार और रिववार तथा अवकाश के दिनों जिसमें रात्रि में की जाने वाली ड्यूटी भी शामिल है, को करने के लिए प्रत्याशी से कह सकता है। भले ही इस प्रकार की ड्यूटी पहले से अधिसूचित किसी पद के कर्तव्यों में उल्लिखित न हो लेकिन उसे इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय का प्रशासन मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह की अनुसूची के होने के बावजूद किसी कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा से सप्ताह में छह दिनों तक कार्य करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के व्याख्यान की अनुसूची, सेवा की अनिवार्यता तथा संगठन के हित में किया जा सकता है। तथापि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए कार्यशील घंटों की कुल संख्या भारत सरकार के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों के लिए समान होनी चाहिए।
- xiii. कर्तव्यों की प्रकृति : चुने गए प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय के समय—समय पर संशोधित नियमों के अनुसार कर्तव्यों को निष्पादित करना होगा। प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय की ऐसी गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय में ऐसे कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए वचनबद्ध होगा जो अधिनियम के अनुसार वांछित होंगी। इसके साथ ही ऐसा समय—समय पर लागू होने वाले विधानों तथा अध्यादेशों के अनुसार भी करना अनिवार्य होगा। भले ही यह शिक्षण , अनुसंधान, विस्तार, छात्रों की परीक्षाओं, उनके अनुशासन, कल्याण से संबंधित हो और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्देश पर सामान्य रूप से कार्य करने के लिए हो। इस संबंध में प्रशासनिक तथा कारपोरेट आदि से जुड़े अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।
- xiv. विश्वविद्यालय किसी भी समय और किसी भी स्थित में आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को कोई भी कर्तव्य सौंपने के लिए स्वतंत्र है तथा ऐसा कार्य घंटों से इतर/अवकाश के दौरान भी किया जा सकता है। कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ऐसे कार्य निष्पादित करने होंगे ताकि इस संबंध में किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
- xv. वेतन वृद्धि : प्रत्येक शिक्षक अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि का पात्र होगा, बशर्ते कि यह वेतन वृद्धि प्रबंध मंडल के किसी संकल्प द्वारा रोकी या स्थिगत न की गई हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक को अपना लिखित अभ्यावेदन देने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।
- xvi. चुने गए व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी।
- xvii. चुने गये प्रत्याशी को 0.1.1.2016 को या उसके पश्चात् भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 01.10.2004 से लागू भारत सरकार की 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (जिसे पहले 'नई पेंशन योजना' कहा जाता था), के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी। तथापि, जो कर्मचारी इस योजना के लागू होने के पहले सेवा में थे उनके मामले में पेंशन नियम तत्कालीन योजना के अनुसार लागू होंगे।
- xviii. चुने गए प्रत्याशी को देश में या देश के बाहर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या परियोजना में और इसके साथ ही भविष्य में स्थापित किए जाने वाले स्थान पर कार्य करना होगा।
- xix. चुने गए प्रत्याशी विश्वविद्यालय के अधिनियम/विधानों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों और इसके साथ ही भारत सरकार के सीसीएस(आचरण) नियमावली, 1964 तथा सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965, समय—समय पर यथासंशोधित अथवा विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा विशेष रूप से कर्मचारियों का आचरण बनाए रखने के लिए निर्धारित किसी अन्य नियम/संकल्पना के अनुसार संचालित होंगे।
- xx. शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, आयु, जाति तथा अन्य दस्तावेजों के प्रमाण—पत्रों की स्वतः सत्यापित प्रतियां डाक द्वारा भेजनी चाहिए (डीओपीटी कार्यालय आदेश सं. के—11022/67/2012—एआर दिनांक 10 मई 2015)।
- xxi. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी प्रत्याशियों के मामले में अंकों में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।
- xxii. भर्ती के समय विश्वविद्यालय तथा संबंधित कर्मचारी के बीच एक सेवा करार लागू किया जाना चाहिए तथा इसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जानी चाहिए। शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के बीच लिखित करार विश्वविद्यालय के निर्धारित फार्म में किया जाना चाहिए (परिशिष्ट—1)। इस प्रकार के सेवा समझौते को लागू दरों के अनुसार उचित रूप से स्टैम्प पत्र पर किया जाना चाहिए।
- xxiii. प्रत्याशी को साक्षात्कार के समय अपनी आयु, अर्हता, अनुभव और जाति आदि से संबंधित सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी उसके द्वारा सत्यापित / प्रमाणित फोटो प्रतियों के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है और अपने आवेदन के साथ लगे अन्य अनुलग्नकों की फोटोप्रतियों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया जाएगा तथा इस संबंध में बिना किसी

अन्य पत्राचार / संचार के उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

- xxiv. (i) विश्वविद्यालय को किसी भी कारण से विज्ञापित पद/पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। यदि किसी कारणवश किसी विशेष पद पर नियुक्ति के पश्चात् कोई रिक्त पद होता है तो उस रिक्त पद को एक वर्ष की अविध के लिए तैयार किए गए पैनल से भरा जा सकता है। यह एक वर्ष की अविध चयन सिनित की बैठक की तिथि से लागू होगी। किसी भी मामले में प्रत्येक पैनल चयन सिनित की बैठक की तिथि के एक वर्ष के बाद समाप्त/अवैध हो जाएगा।
 - (ii) विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूपेण वापिस लेने का अधिकार है।
 - (iii) विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को रदद करने का अधिकार है।
 - (iv) विश्वविद्यालय को अति आवश्यक परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान पर आवश्यकता के अनुरूप निश्चित अवधि के लिए परामर्शक को नियुक्त करने का अधिकार है।
 - (v) यदि किसी भी पद(दों) के लिए किसी कारणवश विज्ञापन वापिस लिया जाता है तो प्रत्याशी से लिया गया आवेदन शुल्क या उससे एकत्रित किया गया कोई भी अन्य शुल्क 30 कार्य दिवसों में वापस लौटा दिया जाएगा।
- xxv. क. अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - ख. अपने पक्ष में की गई किसी भी प्रकार की बहस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य बना देगी।
 - ग. आवेदकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रपत्र पर आवदेन करें। खाते में देय बैंक ड्राफ्ट वाले अपेक्षित शुल्क रहित प्रत्येक आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा।
- xxvi. डाकघर द्वारा हुई देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्याशी को अपने पत्राचार के संबंध में पूरी सूचना देनी होगी तथा अनुलग्नकों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही उसे पिनकोड सहित स्थायी पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल सं., ई—मेल आईडी, आदि का पूरा विवरण अपने आवदेन में दे। जिससे किसी भी समय सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा हो।
- xxvii. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए प्रत्याशी उप कुलसचिव (स्थापना) या विश्वविद्यालय द्वारा नामित किसी भी अधिकारी से लिखित में सम्पर्क कर सकता है। प्रत्याशी की कोई शिकायत होने पर प्रत्याशी विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से भर्ती संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में शिकायत के निपटारे के लिए लिखित में अनुबंध कर सकता है।

29. सेवा की शर्तों व निबंधन में भिन्नताएं

प्रत्येक शिक्षक को विश्वविद्यालय के विधानों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यावसायिक नैतिक आचरण के अनुसार कार्य करना होगा।

यद्यपि शिक्षक के पद, वेतनमान, वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभों, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा, स्थायीकरण, छुट्टी, छुट्टी वेतन तथा उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए सेवा से हटाने के संबंध में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसकी सेवा की शर्तों व नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

30. व्यावसायिक आचरण संहिता

प्रत्येक शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई आचरण संहिता का पालन करना होगा और इसमें निम्न में से कोई भी कमी होने पर उसे विश्वविद्यालय अध्यापक की ओर से दुराचरण माना जाएगा :

- i. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में कोई भी कमी ।
- ii. छात्रों, अपने साथियों या प्रशासन को भड़काना (इससे अध्यापक के द्वारा सेमिनारों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर अपने विचारों में मतभेद व्यक्त करने की आजादी का हनन नहीं होता है जहां छात्र भी मौजूद हों) या कोई भी ऐसा कार्य जो विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध हो।
- iii. साम्प्रदायिक गतिविधियों में शामिल होना, जाति, नस्ल, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग या अपने साथियों के साथ संबंध के बारे में कोई अनुचित टिप्पणी करना अथवा अपनी वृत्ति की संभावना को बढ़ाने के लिए उपरोक्त कार्य करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जो विश्वविद्यालय के हित के विरुद्ध हो।
- iv. विश्वविद्यालय के उचित प्रशासनिक व शैक्षणिक निकायों और/अथवा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने से इंकार करना।
- v. किसी भी प्रकार के वैधानिक अर्थ, व्याख्या या पदाभिव्यक्ति के रूप में विचार-हरण में शामिल होना।

31. त्याग-पत्र

(i) कोई भी पूर्णकालिक वेतनभोगी शिक्षक किसी भी समय विश्वविद्यालय को लिखित में तीन माह का नोटिस देकर या इसके एवज में विश्वविद्यालय को तीन माह के वेतन का भुगतान करके अपने करार को समाप्त कर सकता है। परिवीक्षा पर काम करने वाले, संविदा पर काम करने वाले, अस्थायी तथा तदर्थ शिक्षकों या इनके अनुरूप वेतन पर कार्य करने वाले शिक्षकों को एक माह का नोटिस देना होगा।

(ii) तथापि प्रबंध मंडल अपने विवेक से नोटिस की इस अपेक्षा को समाप्त भी कर सकता है।

32. करार

शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के बीच, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फार्म में करार करना होगा (परिशिष्ट-1)।

33. पुनः नियुक्त पेंशनभोगियों के लिए वेतन का निर्धारण

पुनः नियुक्त किए गए वेतनभोगियों के वेतन का निर्धारण भारत सरकार के समय—समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

34. शिक्षण दिवस, कार्यभार तथा छुट्टी नियम

शिक्षण दिवसों की संख्या, कार्यभार और छुट्टी संबंधी नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों व शर्तों के द्वारा संचालित होंगे।

35. आगंतुक प्राध्यापक, एडजंक्ट संकाय सदस्य तथा स्कॉलर इन रेजिडेंस की नियुक्ति

नियमित शैक्षणिक पदों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में प्रबंध मंडल की अनुमित से निम्नानुसार निर्धारित भुगतान तथा सेवा शर्तों पर एक निश्चित अविध के लिए निम्न अपेक्षा के अनुसार आगंतुक प्राध्यापक, एडजंक्ट संकाय सदस्य तथा स्कॉलर्स इन रेजिडेंस को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।

35.1 आगंतुक प्राध्यापक

- क) आगंतुक प्राध्यापक अपने विषय क्षेत्र का विशिष्ट विद्वान होना चाहिए। सामान्यतः जो व्यक्ति प्राध्यापक के पद पर रहा हो या जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो उसे आगंतुक प्राध्यापक नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- ख) आगंतुक प्राध्यापक की नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी तथा न्यूनतम अवधि कम से कम तीन माह होगी।
- ग) विश्वविद्यालय 70 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक नियुक्त कर सकता है।
- घ) किसी प्राध्यापक को उसी विश्वविद्यालय में आगंतुक प्राध्यापक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें वह सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व या उसके बाद किसी पद पर रहा हो / रही हो।
- ड.) यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक नियुक्त किया जाता है तो उसे अधिक से अधिक 50,000 / रु. प्रति माह का या समय–समय पर प्रबंध मंडल द्वारा संशोधित राशि का मानदेय दिया जाना चाहिए।
- च) यदि भारतीय विश्वविद्यालय में सेवारत आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होता है तो उसे देय मानदेय का निर्धारण मूल वेतन के साथ—साथ मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते, यदि देय हों तो, के अनुसार मूल विश्वविद्यालय की दरों पर किया जाना चाहिए (इसमें वाहन भत्ता, यदि कोई हो तो शामिल नहीं है)। नियुक्त करने वाला विश्वविद्यालय आगंतुक प्राध्यापक के पेंशन लाभों या सीपीएफ/जीपीएफ में सरकार के नियमों के अनुसार अंशदान करेगा।
- छ) ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जब कोई सेवारत व्यक्ति आगंतुक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वर्तमान विश्वविद्यालय उसे बिना वेतन के ड्यूटी अवकाश प्रदान करेगा।
- ज) यदि विदेश में स्थायी रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को आगंतुक प्राध्यापक के रूप में आमंत्रित किया जाता है तो विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से उसकी अंतरराष्ट्रीय वायु यात्रा की लागत वहन करेगा। नियुक्त आगंतुक प्राध्यापक को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार भारत में देय यात्रा व्ययों का भृगतान किया जाएगा।
- झ) आगंतुक प्राध्यापक को अतिथि गृह में निःशुल्क विश्वविद्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा छात्रों और साथियों के साथ काम करने और उनसे चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय उसे कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।
- ट) कुलपति संबंधित व्यक्ति तथा दो संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श करने के पश्चात् आगंतुक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रबंध मंडल को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगा / करेगी।

35.2 एडजंक्ट संकाय

- क) विश्वविद्यालय में किसी भी समय प्रत्येक संकाय में दो से अधिक एडजंक्ट प्राध्यापक नहीं होंगे।
- ख) सार्वजनिक और निजी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों / शिक्षाविदों, पीएसयू और व्यापार निगमों से व्यवसायविदों व विशेषज्ञों तथा शैक्षणिक तथा अनुसंधान से सम्पन्न नवप्रवर्तक कृषक प्रबंधन मंडल द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग में एडजंक्ट संकाय के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।
- ग) उन्हें अतिथि गृह में निःशुल्क विश्वविद्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा छात्रों और साथियों के साथ काम करने और उनसे चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय उसे कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।
- घ) एडजंक्ट प्राध्यापक को 3000 / रु. प्रतिदिन तथा यात्रा भत्ता अथवा समय–समय पर प्रबंध मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतीक मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विशेषज्ञों से वर्ष में दो बार आने का अनुरोध

किया जा सकता है। एडजंक्ट प्राध्यापक के नियुक्ति की अवधि एक वर्ष या प्रति वर्ष 2 सेमिस्टर होगी जो 30 दिनों तक ही रखी जाएगी।

- ड.) एडजंक्ट प्राध्यापक अनुसंधान परियोजनाएं विकसित करने, वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय की चल रही गतिविधियों में भाग लेने में सहायता पहुंचाएगा।
- ट) कुलपति संबंधित व्यक्ति तथा दो संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श करने के पश्चात् आगंतुक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रबंध मंडल को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगा / करेगी।

35.3 स्कॉलर-इन-रेजिडेंस

- क) स्नातकोत्तर या डॉक्टरल अर्हता से युक्त तथा श्रेष्ठ शैक्षणिक व अनुसंधान क्षमता से युक्त पीएसयू व व्यापार निगमों के अतिरिक्त अनुसंधान व व्यावसायिक संगठनों (उदाहरण के लिए आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईआईटी आदि) से वरिष्ठ व्यवसायविदों तथा विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय के विभाग में स्कॉलर इन–रजिडेंस के रूप में नियुक्ति का पात्र माना जाएगा।
- ख) एनआरआई और पीआईओ व्यवसायविद तथा विशेषज्ञ जो विदेशों में संगठनां में कार्यरत हैं, भी इन पदों के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार, ये पद विदेशी (गैर–भारतीय) व्यवसायविदों तथा उन विशेषज्ञों के लिए भी होंगे जो अपने कार्य में भारत में इन मुद्दों को सुलझा रहे हैं।
- ग) स्कॉलर-इन-रेजिडेंस को छह और 24 माह के बीच की किसी भी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा उसे कुल मिलाकर 80,000/-रु. प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 1,00,000/-रु. या प्रबंध मंडल द्वारा समय-समय पर संशोधित राशि का आकर्स्मिक अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा।
- घ) उन्हें अतिथि गृह में निःशुल्क विश्वविद्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा छात्रों और साथियों के साथ काम करने और उनसे चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय उसे कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा।
- ड.) प्रत्येक संकाय में किसी एक समय में 2 से अधिक ऐसे स्कॉलर नहीं होंगे।
- च) कुलपति संबंधित व्यक्ति तथा दो संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श करने के पश्चात् स्कॉलर–इन–रेजिडेंस की नियुक्ति के लिए प्रबंध मंडल को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगा / करेगी ।

डॉ अरविन्द कुमार कुलपति

[विज्ञापन—III / ४ / असाधारण / ३१८ / १८]

परिशिष्ट 1

नियुक्ति का लिखित करार — सेवा करार [अधिनियम धारा 28(1) (द)]

विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक तथा अकादिमक स्टाफ का सदस्य लिखित करार पर नियुक्त किया जाएगा जिसका फार्म यहां दिया गया है तथा जिसे इस विनियम के साथ अनुलग्न किया जाएगा।

(इसे 10/-रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा एक मूल और उसकी दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

सेवा करार

117	II TO CITY					
करा	ार का यह अनुच्छेद	दिन	माह	वर्ष 20	को भारत गणराज्य	तथा
	-	. पुत्र / पुत्री / पत्नी	आय	वर्ष निवासी		
		जो प्रथम पक्ष हो	गा (जिसे इसके बाद !	प्रथम भाग का पक्ष	कहा जाएगा) और	रानी लक्ष्मी
बाई	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्या	लय जो दूसरा भाग होगा, के	बीच लागू होगा।			
		य कृषि विश्वविद्यालय (जिसे इ गद के रूप में नियुक्त किया लेए सहमत हुआ है।				
अतः	: ये वर्तमान साक्ष्य तथा	संबंधित पक्ष क्रमशः निम्नानुसा	र सहमत हुए हैं :			
1.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्	विद्यालय तथा समय—समय युक्त किया गया है तथा वह नेयमों के अनुसार सेवा में बना	पदभार ग्रहण करने की			
2.	प्रथम भाग का पक्ष अप	ना सम्पूर्ण समय, ध्यान व कुश	ालता अपने कर्तव्य पाव	लन में लगाएगा तथा	ा सभी समय विश्वा	विद्यालय की

शाखा के विनियमों के पालन के लिए विश्वविद्यालय सेवक आचरण नियमावली सहित अन्य सभी ऐसे नियमों को

3. प्रथम भाग के पक्ष को शिक्षक / अधिकारी की श्रेणी दी जाएगी तथा उसका स्तर नियुक्ति की तिथि से

अपनाएगा / गी जो उसके लिए होंगे और जो समय—समय पर उसे उसके कर्तव्यों के निर्वाह हेतु सौंपे जाएंगे।

	(विभाग / महाविद्यालय / कार्यालय) में (पदनाम) होगा / होगी ।
4.	प्रथम भाग के पक्ष को इन वर्तमान नियमों के लागू होने की तिथि सेरुपये (रुपये के वेतनमान में रुपये के ग्रेड पे सहित मूल वेतन) प्रदान किया जाएगा। वह विश्वविद्यालय/भारत सरकार के द्वारा लागू नियमों के अंतर्गत अन्य सामान्य भत्तों का भी पात्र होगा/होगी।
5.	प्रथम पक्ष करार की अपनी अवधि के दौरान उस पर लागू नियमों तथा करार के अनुसार अवकाश अर्जित करेगा / करेगी।
6.	प्रथम भाग का पक्ष विश्वविद्यालय सेवा के हित में यात्रा करेगा / करेगी तथा यात्रा करने पर वह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते का / की पात्र होगा / होगी।
7.	यह करार किसी भी पक्ष द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु की कथित अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है जिसके लिए दोनों पक्षों को एक—दूसरे को तीन माह का नोटिस देना होगा। इसके अलावा कोई भी पक्ष नोटिस के एवज में निर्धारित अवधि के वेतन के बराबर दूसरे पक्ष को धनराशि का भुगतान कर सकता है जो हो सकता है कि तीन माह के वेतन से कम हो।
8.	प्रथम भाग का पक्ष लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि / राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लाभ का पात्र होगा / होगी।
9.	प्रथम भाग का पक्ष समय—समय पर अधिसूचित व संशोधित नियमों के अनुसार यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्वरूप में स्वमूल्यांकन पीएबीएस क्रियाविधि के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा/करेगी।
10.	किसी भी ऐसे मामले के संबंध में जिसके बारे में इस करार में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309बी और 313 के अंतर्गत बनाए गए या रखे गए नियमों के प्रावधान लागू होंगे अथवा इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अधिनियम या नियम के प्रावधान विश्वविद्यालय की सेवा में रत शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे। इसकी सीमा इस करार के अंतर्गत सेवा में रत प्रथम भाग के पक्ष के लिए लागू होगी और इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
	(नाम) को साध्य के ऊता में उग्रते हा। गुशम भाग का गुश्र
	प्रथम भाग के पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित
	निम्न की उपस्थिति में
	साक्ष्य :
	1)
	2)
प्रबध	ध मंडल के प्राधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालय की ओर से निम्न द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद :
	हस्ताक्षर :
	पद
	साक्ष्य :
	1)
	2)

परिशिष्ट 2

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–ग्वालियर मार्ग, झांसी– 284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

<u>अनुसूची</u> भर्ती नियम (शैक्षणिक कर्मचारी), 2016

क्र.सं.	पद का नाम	समूह	7वें वेतन आयोग के अनुसार
			कोर वेतनमान
I.	विधायी शैक्षणिक पद		
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	क	14
2.	शिक्षा निदेशक	क	14
3.	अनुसंधान निदेशक	क	14
4.	विस्तार शिक्षा निदेशक	क	14
5.	कृषि महाविद्यालय/ बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय/	क	14
	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय/ मात्स्यिकी		
	महाविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय का अधिष्ठाता		
II.	अन्य शैक्षणिक पद	क	
6.	प्राध्यापक	क	14
7.	सह प्राध्यापक	क	13 ক
8.	सहायक प्राध्यापक	क	10 क

कोर वेतनमान तथा अन्य लाभ समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

पुस्तकालयाध्यक्ष पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	क.
		(i) यूजीसी सात अंक पैमाने और लगातार अच्छे अकादिमक रिकॉर्ड से पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ दस्तावेजकरण में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष बी ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर
		उपाधि। (ii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उप—पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम 13 वर्ष का अनुभव या किसी अन्य पुस्तकालय सांविधिक संगठन या कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 18 वर्ष का अनुभव। (iii) अभिनव पुस्तकालय सेवा और प्रकाशित काम के संगठन का साक्ष्य।
		या
		ख.
		उप पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में रू 9000 एजीपी में तीन वर्ष की सेवा अन्यथा एपीआई स्कोरिंग सिस्टम और पीजीएएस पदध्ति के अनुसार
		पात्रता समय—समय पर संशोधित यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार पीएच.डी. योग्यता।
		वांछनीयः
		पुस्तकालय विज्ञान/ दस्तावेजीकरण/ अभिलेखागार और पांडुलिपि रखने
		में एम.फिल /पीएच.डी. उपाधि।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही

	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 62 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
	/ समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय–समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, २०१४ की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

शिक्षा निदेशक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निदेशक शिक्षा
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(1) कृषि विज्ञान/कृषि अभियंत्रण /मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान या संबंधित बुनियादी विज्ञान सिंहत किसी भी शाखा में डॉक्टरेट उपाधि। (2) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष कृषि विश्वविद्यालय/भा.कृ.अ.प. में होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए। (3) प्रतिष्ठित व्यावसायिक/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित पर्चौ/पुस्तकों/प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान। वांछनीयः (i) स्नातकोत्तर शोध कार्य मार्गदर्शन करने का अनुभव। (ii) कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में महत्वपूर्ण पद का
		प्रशासनिक अनुभव। (iii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नही
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर संशांधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अनुसंधान निदेशक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निदेशक अनुसंधान
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(1) कृषि विज्ञान/कृषि अभियंत्रण / मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान या संबंधित बुनियादी विज्ञान सहित किसी भी शाखा में डॉक्टरेट उपाधि। (2) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष कृषि विश्वविद्यालय/भा.कृ.अ.प. में होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए। (3) प्रतिष्ठित व्यावसायिक/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित पर्चों/पुस्तकों/प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान। वांछनीयः (i) कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में महत्वपूर्ण पद का प्रशासनिक अनुभव। (ii) अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन/मार्गदर्शन। (iii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 साल के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर सशांधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

विस्तार शिक्षा निदेशक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निदेशक विस्तार शिक्षा
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(1) कृषि विज्ञान/कृषि अभियंत्रण /मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा
		विज्ञान या संबंधित बुनियादी विज्ञान सहित किसी भी शाखाँ में डॉक्टरेट
		उपाधि।
		(2) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/
		विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष कृषि
		विश्वविद्यालय / भा.कृ.अ.प. में होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष

		प्राध्यापक या इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए।
		(3) प्रतिष्ठित व्यावसायिक / राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित
		पर्चौं / पुस्तकों / प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान।
		वांछनीयः
		(i) कृषि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में महत्वपूर्ण पद का
		प्रशासनिक अनुभव।
		(ii) अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन/मार्गदर्शन ।
		(iii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
0.		
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
	/समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय–समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, २०१४ की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित डॉक्टरेट उपाधि
		(ii) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/
		विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या
		इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए।
		(iii) प्रतिष्ठित व्यावसायिक / राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित
		पर्चौ / पुस्तकों / प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान।
		वांछनीयः
		(i) कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में महत्वपूर्ण पद का
		प्रशासनिक अनुभव।
		(ii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	

9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	5
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
	/समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर सशांधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अधिष्ठाता बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	अधिष्ठाता बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित डॉक्टरेट उपाधि
		(ii) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान
		/विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या
		इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए।
		(iii) प्रतिष्ठित व्यावसायिक/राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित
		पर्चौ / पुस्तकों / प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान। वांक्रनीयः
		(i) कृषि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में महत्वपूर्ण पद का
		प्रशासनिक अनुभव।
		(ii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की आयु
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	कॉलम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
10	/समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय–समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) भारतीय पशु चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी

		अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के
		पशु चिकित्सा परिषद् / राज्य चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
		(ii) बी.वी.एस.सी. और ए.एच. 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड
		अंक के साथ उत्तीर्ण।
		(iii) पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंक या
		इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि।
		(iv) आधारभूत विज्ञान सहित पशु और पशु चिकित्सा विज्ञान की किसी
		भी शाखा में डॉक्टरेट उपाधि।
		(v) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/
		विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या
		इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए।
		(vi) प्रतिष्ठित व्यावसायिक / राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित
		पर्चौ / पुस्तकों / प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान।
		वांछनीयः
		(i) पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में महत्वपूर्ण पद
		का प्रशासनिक अनुभव।
		(ii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	कॉलम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
	/समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय–समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
	•	अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार
		,3.6

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

अधिष्ठाता मात्स्यिकी महाविद्यालय पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	अधिष्ठाता मात्स्यिकी महाविद्यालय					
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'					
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14					
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः 57 वर्ष से कम					
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः					
	योग्यताएं	(i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित डॉक्टरेट उपाधि					
		(ii) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण /अनुसंधान/					
		विस्तार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष प्राध्यापक या					
		इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए।					
		(iii) प्रतिष्ठित व्यावसायिक / राष्ट्रीय / अन्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित					
		पर्चौ / पुस्तकों / प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान।					
		वांछनीयः					
		(i) कृषि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में महत्वपूर्ण पद का					
		प्रशासनिक अनुभव।					
		(ii) कृषि विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।					
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।					

6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.		1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति या 65 वर्ष की
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों	आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	कॅालम 5 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू
	/समायोजन किया जाएगा	होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर सशांधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

प्राध्यापक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

	प्राच्यापक पर के निपुत्ति संबंधा निपन							
1.	पदनाम	प्राध्यापक						
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'						
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14						
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम						
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः						
	योग्यताएं	संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित डॉक्टरेट उपाधि						
		(क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए						
		(i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित डॉक्टरेट उपाधि।						
		(ii) संबंधित विषय में 10 वर्ष का अनुभुव जिसमें 8 वर्ष एक						
		वैज्ञानिक / व्याख्याता / प्रसार विशेषज्ञ या इसके समकक्ष अन्य किसी पद						
		पर वेतनमान रु. 15,600—39,100 और वेतन बैंड —3 और ग्रेड वेतन रु.						
		5,400 / 6,000 / 7,000 / 8,000 के साथ कार्य किया हो और 2 वर्ष तक						
		एसोशिएट प्रोफेसर / वरिष्ठ वैज्ञानिक या इसके समकक्ष अन्य किसी पद						
		पर वेतनमान रु. रु.३७४००—६७००० और वेतन बैंड —४ और ग्रेड वेतन						
		8700 / 9000 के साथ कार्य कर चुका हो।						
		(iii) अभ्यर्थी को अनुसंधान / शिक्षण / विस्तार शिक्षा में योगदान दिया						
		जाना चाहिए जैसा कि प्रकाशित कार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है, कम						
		से कम 10 प्रकाशनों के साथ अनुसंधान निति पत्र और / या किताबें।						
		(ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए :						
		(i) भारतीय पशु चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी						
		अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के						
		पशु चिकित्सा परिषद् / राज्य चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।						
		(ii) बी.वी.एस.सी. और ए.एच. 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण।						
		(iii) पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक						
		या इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि।						
		वांछनीयः						
		(i) शिक्षण और परास्नातक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का पर्याप्त						
		अनुभव।						
		(ii) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देना।						
		(iii) कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों और						
	The state of the Section of the same of	अनुप्रयोगों का ज्ञान						
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	लागू नही						
	राबाराक यांग्यता पदान्तात क मामल म लीगू							

	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	100 प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नही
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	
	/ समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर सशांधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, २०१४ की अनुसूची के अनुभाग १८ (१ और २) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

एसोसिएट प्राध्यापक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	एसोसिएट प्राध्यापक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 13 क
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ४७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए (i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सिहत पीएच.डी. उपाधि (ii) संबंधित विषय में वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ के रूप में 8 वर्ष का अनुभव या इसके समकक्ष अन्य किसी पद पर वेतनमान रु. 15,600—39,100 और वेतन बैंड—3 और ग्रेड वेतन रु. 5,400/6,000/7,000/8,000 के साथ कार्य किया हो। (iii) अभ्यर्थी को अनुसंधान/शिक्षण /विस्तार शिक्षा में योगदान दिया जाना चाहिए जैसा कि प्रकाशित कार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है, कम से कम 05 प्रकाशनों के साथ अनुसंधान निति पत्र और/या किताबें। (ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए: (i) भारतीय पशु चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। (ii) बी.वी.एस.सी. और ए.एच. में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण। (iii) पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि। (iv) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य अनुभाग के संदर्भ में अन्य योग्यताएं उपरोक्त (क)—1,2,3 के सदृश्य होंगी। वांछनीय: (i) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देना।
		(ii) कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों और अनुप्रयोगों का ज्ञान
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नही
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	100 प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नही

	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गढन	समय–समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी—284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक प्राध्यापक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक प्राध्यापक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10 क
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	विशेषतः 40 वर्ष से कम (शैक्षणिक कर्मचारियों के भर्ती संबंधी नियमों के अनुभाग 10 के प्रावधान के तहत आयु में छूट होगी)
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए : (i) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सिहत 60 प्रतिशत अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड अंक से स्नातकोत्तर की उपाधि और आईसीएसआर-एएसआरबी, यूजीसी-सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र। अथवा (ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए : (i) भारतीय पशु चिकित्सा बोडे अधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी अनुसूवी में शामिल मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के पशु चिकित्सा परिषद् / राज्य चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। (ii) बी.वी.एस.सी. और ए.एच. में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण। (iii) पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड में परारनातक की उपाधि और आईसीएसआर-एएसआरबी, यूजीसी-सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र। अथवा संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञानों सिहत समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि और एनएएएस की 4 से ज्यादा रेटिंग रखने वाली वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 2 शोध पत्रों का प्रकाशन। वांछनीय: (i) आईसीएआर जैसे प्रसिद्ध संस्थानों / कृषि विश्वविद्यालयों / सरकारी संस्थानों में शोध का अनुभव जिसके प्रमाण स्वरूप प्रकाशित शोध पत्रों की अपेक्षा की जाती है
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	(ii) कम्पूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। लागू नही
J.	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	NI & Tel
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	1 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	100 प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा
9	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	लागू नही
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन सिमति का गठन	समय—समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

NOTIFICATION

Jhansi, the 24th September, 2018

RECRUITMENT RULES (TEACHING EMPLOYEES) -2016

F. No. RLBCAU/CP/47/2016.—The Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (RLBCAU) in exercise of the powers conferred under Statute 12(4) of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014, hereby makes and adopts the following rules for regulating method of recruitment to teaching posts in the University.

1. Short Title and Commencement

- (i) These rules may be called Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Recruitment Rules (Teaching Employees) -2016.
- (ii) These will come into force from the date of its notification.

2. Definitions

- (a) "Act" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 as amended from time to time.
- (b) "BOM" means the Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University.
- (c) "Departmental Candidate" means those employees working on regular basis in the University but does not include employees working on ad-hoc, daily wages or contract basis.
- (d) "Government" means the Central Government/ Govt .of India.
- (e) "Teaching employees" or "Teachers" of the University means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research or extension education in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.
- (f) "On Probation" with relation to a person, means a person appointed to any post on probation as specified in these Rules.
- (g) "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ temporary/ ad-hoc promotion.
- (h) "Statutes", "Ordinance" and "Regulation" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.
- (a) "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statues/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.
- (b) "University" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.

3. Extent of Application

These rules shall apply to all the teaching employees including Directors, Deans and Librarian of the University.

4. Appointing Authority

The Appointing Authority for the teaching posts shall be the Board of Management.

5. Schedule

The designation of posts, their classification, scales of pay, the details of qualifications, experience, age limit etc. for various posts and any other information relevant to the post is attached as Appendix-2.

6. Method of Recruitment

The following shall be the mode of recruitment for various teaching posts existing in University in accordance with these rules of the University:—

- (a) Direct Recruitment
- (b) Promotion
- (c) Deputation

7. Procedures for issue of Advertisement and inviting applications for all categories of teaching posts

I. Issue of Advertisement

The vacant teaching posts of permanent nature, plan posts, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts etc. shall be advertised in appropriate time, giving at least one insertion in any of the two leading National Dailies and one insertion preferably in the 'Employment News', and Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University website www.rlbcau.ac.in, besides website of DARE/ICAR. Individual desirous of offering their candidature for a given post may submit their application (as prescribed in the advertisement) with all the necessary enclosures and prescribed application fee, if any, within the prescribed closing date.

Note: (i) The closing date can be extended at the discretion of the Vice-Chancellor of the University by notifying on the website only for which the desirous candidates should be in constant touch with the website.

- (ii) Applications for short term/ contractual engagements and also on deputation may be invited through any other mode of circulation such as the Circular or Notification on the University Web-site and Notice Board of the University.
- (iii) Notwithstanding the provisions mentioned at column No.10 of each post the University may at its discretion decide to fill-up any vacancy on deputation or any other mode in the interest of the University with proper justifications.

II. Date of issue of Advertisement

In each case, the date of issue of advertisement should be decided keeping in view the exigencies and requirements of the job.

III. Validity period of Advertisement

Where the Selection Committee has not met even after a lapse of 12 months w.e.f. the closing date of application for any post, the post shall ordinarily be re-advertised. Provided that if in the opinion of the Vice-Chancellor the circumstances so necessitate, it may extend the validity of the advertisement for another six months. However, in any case, the validity of an advertisement shall not be extended beyond 18 months w.e.f. the closing date of the receipt of applications.

IV. Application Form

- a) Applications for all the posts shall be entertained only on the prescribed application forms, accompanied by a Bank Draft only for the amount as fixed from time to time by the University. The Bank Draft shall be made in favour of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University. The hard copy of application form with all necessary enclosures along with the prescribed application fee as per the advertisement may be sent to the Registrar or any other officer of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University nominated by the Vice-Chancellor for this purpose. The schedule of charges for the application forms and prescribed fees shall be as determined by the Vice-Chancellor from time to time. The application fee exemption for SC/ST/PwD candidates will be as per Government of India rules.
- b) **Receipt of applications:** The closing date for application form shall be six weeks or as specified in the advertisement from the date of release of vacancies to the press by the University. However, the Vice-Chancellor may at his discretion decide the closing date for receipt of application keeping in view the exigencies of the situation. In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as closing/last date.
- c) Applicants who are in employment should route their applications through proper channel so as to reach the University by the closing date for receipt of application(s) as specified in the advertisement.

8. Minimum Qualification and Experience

For recruitment to various posts, the minimum qualifications and experience shall be as prescribed in these rules as decided by Board of Management and as amended from time to time keeping in view the guidelines of UGC/ICAR.

9. Age Limit

The upper age limit for appointment under these rules will be as prescribed by the UGC/Board of Management from time to time.

10. Relaxation of age and experience

(i) The statutory provision for relaxing of age, experience etc. prescribed in case of the candidates

belonging to SC/ST/OBC/PwD or any other category will be made applicable to them as per UGC/Govt. of India norms. A certificate to this effect in the format as prescribed by the Govt. of India issued from the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever, relaxation of qualification including percentage of marks is permitted under the UGC/Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee as per relevant Govt. of India rules.

- (ii) In addition to above, Board of Management may relax age limit and experience in respect of women candidates, employees of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Employees of the Central Government/ State Government/ Agricultural Universities / Central autonomous bodies/ organizations/ Institutions/ Public Sector Undertakings etc.
- (iii) Period spent on working against any post in the project/scheme or on contract in Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Agricultural Universities / Central Government/ State Government/Central autonomous bodies/ organizations/ Institutions/ Public Sector Undertakings etc. including broken period of service rendered as indicated above up to a maximum period of five years may also be taken into account for the purpose of age relaxation/experience for appointment in regular establishment provided that one stretch of such service is for more than six months in an academic session.

11. Reservations of posts

The policy of the Government of India with regard to the reservation as applicable for various categories in recruitment/ promotion etc. shall be followed.

12. Payment of TA

The candidate will have to present himself/ herself for an interview if called for, at the place and time mentioned at his/her own expenses. However, the out-side candidates belonging to SC/ ST/ PwD categories will be defrayed second class rail fare, and in case any station is not connected by rail, ordinary bus fare shall be paid by shortest route as per the Government of India guidelines, if they attend the interview. The above mentioned concessions are not admissible to those SC/ST candidates who are already in Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University/Central/ State Government service.

13. Screening of applications

The prescribed qualification and experience will be minimum, and the mere fact that a candidate possessing the same will not entitle him / her for being called for interview. The University will have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit. For the purpose of screening of applications, the following guidelines shall be followed:

a. Constitution of screening committee

The Vice-chancellor shall nominate two or more subject matter experts as Members, one of whom may be designated as Chairman of the Committee. In addition, one more member who need not necessarily be a subject matter expert will be designated as the Member Secretary of the Screening Committee.

The quorum for the Screening Committee shall be three including Chairman and the Member Secretary.

b. Preliminary appraisal for fulfilling qualification

- (i) The University shall undertake the preliminary screening of the applications received, and prepare a comparative tabulated statement. Applications should have been received within the prescribed dates both for the "Advance" copy as well as the "Through Proper Channel" copy as appeared in the advertisement. Applications received late in either case shall be rejected and not considered for screening.
- (ii) The candidate(s) should fulfill all the prescribed essential qualifications for the post applied for. If any candidate does not fulfill one or more essential qualifications, he /she will not be eligible for the post applied for. It will be simply mentioned "Not Eligible/Does Not Fulfill the Essential Qualification" against his/her name in the preliminary score card sheet. No marks are to be given to such candidates under any item of the Score Card. However, the Screening Committee shall confirm the eligibility once again, especially with respect to Academic Qualifications and Employment Records.
- (iii) The applications received from persons working abroad/outside India having no prescribed pay scale shown in their applications, the Screening Committee will determine their eligibility on the basis of Score Card after assessing their qualifications and number of years of experience and emoluments for the equivalent posts and may recommend such cases within the prevailing prescribed recruitment rules.

c. Guidelines for the screening committee for screening of applications

Marks are to be assigned for different attributes as per the approved Score Card guidelines for the post applied. Screening Committee is empowered to assign marks following the guidelines. In case of any doubt about assigning marks or interpretation of the clauses of screening, the interpretation of eligibility criteria clauses will be made by Vice Chancellor and the decision, thereof, shall be final.

d. Short listing of candidates to be called for interview

- a) The Screening Committee/ competent authority shall decide the number of candidates to be called for interview, by determining the ratio between the number of vacancies and number of candidates. However, it may be ensured that the ratio shall not normally exceed 1:20 maximum and minimum ratio shall not be less than 1:3 for each post subject to the condition that a minimum of 60% marks in the screening is secured by the candidate to be eligible for interview call for all Teaching posts.
- b) The final selection shall be made by giving weightage to Score Card marks and interview/presentation marks in the following manner:—

S.	Rank	Score Card	Interview	Total					
No.		Marks	Marks						
Teachi	Teaching Posts								
1.	Asstt. Prof & Equivalent	80	20	100					
2.	Assoc. Prof & Equivalent	70	30	100					
3.	Professor & Equivalent	70	30	100					
Statutory Positions									
4.	Directors/Deans/ HOD/Librarian	70	30	100					

14. Constitution of Selection Committees/ Departmental Promotion Committees

- a) The Constitution of the Selection Committee shall be as per Section 18 (1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time. In the absence of a serving regular Director/Dean/Head in the University, the BOM may authorize the Vice Chancellor to nominate a suitable replacement from any Agricultural University including ICAR Deemed University and hold the meetings of the Selection Committees/ Departmental Promotion Committees as per rules.
- b) The Chairman shall issue to each member a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and of the experts nominated by the Board of Management.
- c) The Chairman shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in the case of a tie.

15. Direct Recruitment by Open Selection

- 1. The terms and conditions with regard to the minimum qualification, experience and other terms shall be framed by the University according to the requirement and compatibility of the post. In addition, the Vice-Chancellor may prescribe, in consultation with the concerned Dean and Head of the Department, to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.
- 2. The rules and procedures prescribed by the Govt. of India in respect of the special provisions for the employment of persons from reserved categories shall be followed as provided in Section 8 of the University Act.
- 3. Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee from amongst the eligible candidates as per the recommendations of Screening Committee.
- The Chairman will be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in case of a
 tie.
- 5. The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview.
- 6. The selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid for one year from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy(ies).

- 7. The University reserves the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection.
- 8. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age etc., it shall be so stated and recorded.
- 9. In case of selection to two or more posts on the same date, the recommendations shall invariably be made in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
- 10. The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation provided the recommended post(s) is available in lower cadre.
- 11. The Chairman shall have the power to lay-down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Act/ Statute/ Ordinance.
- 12. The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Board of Management and orders of appointment shall be issued after the approval of the Board of Management in accordance with Statute 12(2) (ii).
- 13. Based on the recommendations of the Selection Committee, the Board of Management may, at its discretion, sanction one-time benefit or protect pay of any candidate joining from outside organizations as admissible under the Govt. of India rules in case the candidate possesses higher qualification, experience, higher pay scale and professional expertise to the satisfaction of the Selection Committee.
- 14. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Board of Management, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

16. Deputation

- a. In case the appointment is made on deputation basis, the incumbent may be allowed to continue maximum for a period of five years or till he/ she attains the age of the superannuation prescribed for that particular cadre whichever is earlier. The appointment on deputation may be made initially for a period of two years which may be extended on yearly basis up to a maximum period of five years subject to satisfactory performance, good behavior and high integrity. The University, however, shall have the right to repatriate the incumbent any time even before the prescribed period in case his/ her performance, integrity or conduct is found to be unsatisfactory at any stage according to the opinion of the competent authority or the repatriation of the officer against whose vacancy the deputationist was working. Ordinarily no deputationist shall be absorbed in any cadre of the University after expiry of his/ her deputation period. In case, it is decided in the interest of the University to absorb any such person, then the University Administration may take up the matter with his parent organization for concurrence after obtaining the option of the deputationist concerned. After obtaining the consent of the parent department, the case shall be placed before the Appointing Authority for a final decision. In case he/ she is absorbed in the University, he/ she will be assigned the seniority as per the Govt. of India rules.
- b. In case the appointment is made on deputation and there is a very meager response against the advertisements/ circulars issued by the University, the Appointing Authority/ Board of Management may at its discretion constitute a Selection Committee or may directly order for issue of appointment letter to the incumbent after satisfying his/ her eligibility for the post including review of performance appraisal reports (APARs) duly forwarded by the parent department as per the advertisement, if it deemed fit.
- c. For the All India Coordinated Research Project(s) of ICAR (AICRP) operating in the university, the scientific posts sanctioned under the AICRP will be adjusted against the equivalent regular teaching posts of the University in the event of termination of the project by ICAR. The period of his/her services rendered in the AICRP scheme shall be taken into account for seniority and to determine his/her eligibility for promotion to any higher post. However, the engagement of RAs/SRF etc will be made as per ICAR guidelines and shall be co-terminus with the project.

17. Norms/ Regulations for promotion through career advancement of Assistant Professor, Associate Professor and Professors

The promotion through career advancement of Assistant Professors/Associate Professors/ Professor or equivalent cadre in the university shall be governed by the Norms/Regulations prescribed by the University Grants Commission/ICAR in vogue and as amended from time to time.

18. Special mode of appointment

Notwithstanding anything contained in Statute 18 of the University Act, the Board may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or Associate Professor or any other academic post in the University, as the case may be, on such terms and conditions as it deems fit, and on the person

agreeing to do so, appoint him to the post.

19. Period of Probation and Confirmation

- The period of probation shall be two years from the date of joining, which may be extended or curtailed at the
 discretion of the Competent Authority. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of
 Competent Authority will render him/her liable to termination of service from RLBCAU.
- ii. The confirmation at the end of two years shall be automatic, unless extended by a specific order.
- iii. Subject to this Clause it is obligatory on the part of the university/the concerned institution to issue an order of confirmation to the incumbents within 45 days of completion of probationary period after due process of verification of satisfactory performance.
- iv. Probation and conformation rules are applicable only at the initial stage of recruitment, issued from time to time by Central Government and all other Central Government rules on probation and confirmation as amended from time to time shall be applicable *mutatis mutandis*. There will be no probation in the case of an employee appointed to a post on contract basis, deputation, tenure basis or re-employment after superannuation.
- v. It shall be the duty of the Registrar to place before the Board of Management the case of confirmation of a teacher on probation, not later than forty days before the end of the period of probation.
- vi. The Board of Management may then either confirm the teacher or decide not to confirm him/her, or extend the period of probation so as not to exceed twelve months in all.
- vii. In case the Board of Management decides not to confirm the teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his/ her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, he/she shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.
- viii. Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Board of Management present and voting.
- ix. No employee of the University shall be confirmed on his/her post unless and until he/she signs the service agreement.
- x. No application for outside employment shall ordinarily be forwarded during the period of probation. However, in case his request has been considered by the competent authority of the University at his discretion, an undertaking shall be obtained while forwarding application that he/she would resign the post in the event of his/her selection in other department.

20. Age of retirement

- (i) Subject to the provision of Statute 26 of the Act, every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he/ she attains the age of superannuation as prescribed by the UGC/Govt. of India from time to time for Central Universities.
- (ii) Provided further that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session, the Board of Management, may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department/College.
- (iii) In special cases, a teacher on his/her attaining the age of superannuation, may be re- employed on a contract in keeping with the regulations made by the University in this behalf or as issued by the UGC/Government of India from time to time.

21. Discipline/ Vigilance Clearance Reports

- (i) Candidate who is already in service should submit a certificate from the employer or his authorized officer to the effect that no disciplinary proceeding is pending or contemplated against him. Apart from this, the Vigilance Clearance Report shall also be furnished along with the application or at the time of interview.
- (ii) Wilful suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile etc., the Chief Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate/ inquire into the matter and submit his report to the administration for further action in this regard at any time of recruitment process or employment as per rule.

22. Removal of Difficulties

(i) The Board of Management may from time to time, issue such general and specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operations of any of the provisions of these rules.

(ii) All existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand superseded but any action already taken by or in pursuance to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

23. Interpretation

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the rules, the decision of the Board of Management shall be final.

24. Amendment of Rules

The Board of Management shall have the authority to amend, modify change, withdraw, suspend and relax any or all of these rules. The decisions of the Board of Management shall be final and binding on all employees.

25. Residuary Matters

In respect of all matters not specifically provided for in these rules, the corresponding provisions as provided by the UGC for their employees or as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, will be followed. In case any particular provision in these rules clashes with any provision of the Act / Statutes, the provision of the Act / Statutes shall prevail and the provision in these rules shall stand superseded.

26. Liability of officers to serve in India or/ and abroad

Employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or/ and abroad.

27. Territorial Jurisdiction

In cases of any disputes, any suites or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be restricted to the Allahabad High Court, Allahabad.

28. Savings

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. In the event of any discrepancy between the Hindi and English versions of the recruitment rules, the English version shall prevail.

29. General Terms and Conditions of recruitments

- i. Mere possession of eligibility conditions shall not entitle a candidate to be called for interview. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the closing date as prescribed in the advertisement for receipt of the applications. In other words no candidate shall be called for interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on the closing date of the application for a particular post.
- ii. Apart from possessing the requisite qualification and experience as on the closing date of receipt of application prescribed in the advertisement, any additional qualification and experience acquired after the closing date may be taken into account at the time of selection. The experience in different fields as prescribed in these rules against any particular post shall be calculated by taking into account either in one field exclusively or by counting more than one field as the case may be.
- iii. Candidate who is already in service should submit his/ her application through proper channel. However, he/ she may send an advance copy of his/ her application and should produce a "No Objection Certificate" from the employer within the prescribed date for "Through Proper Channel" copy as appeared in the advertisement failing which he/ she shall not be interviewed. The application for appointment on deputation may be forwarded by the employer along with the CR dossiers duly certified by the Competent Authority for the desired periods through proper channel.
- iv. It is the responsibility of the candidate to assess his own eligibility for the post for which he/ she is applying in accordance with the prescribed qualification, experience etc. and submit his application duly filled-in along with the desired information, documents and other supporting materials as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to cancellation of his candidature. In case, it is detected at any point of time in future even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed qualification, experience etc. which could not be detected at the time of interview due to whatever circumstances, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause and also based on his undertaking. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. With regard to any ambiguity relating to the recruitment rules in general and eligibility in respect of any post in particular, the decision of the Board of Management shall be final.
- Acceptance of documents/ certificates/ claims etc. submitted by an applicant will be subject to their verification by the competent authorities/ sources. If, any claim/ certificate/ document is found to be false/

- fake/ incorrect/ malafide at any stage of verification before or after appointment, the document in question shall be summarily rejected and action may be initiated against the candidate for this misconduct including rejection of his candidature which shall lead to cancellation of his appointment, if already appointed.
- vi. If at any stage of the recruitment process or employment, it is detected that there is a wilful suppression of factual information relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the caste, educational qualifications, experience or domicile etc. the candidature shall be cancelled and services shall be terminated forthwith, if already appointed.
- vii. The persons appointed against any post shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules governing the service conditions/ method of recruitments as amended from time to time and resolutions of the Board of Management of the University and rules and Guidelines of the UGC/ Govt. of India adopted by the University from time to time.
- viii. For candidates to be appointed as Teacher, his/her character antecedents will be got verified through the police/Deputy Collector/ Commissioner. In case of adverse findings the appointment shall be terminated without any notice.
- ix. Selected candidate will be required to take an oath of allegiance, faithfulness to the constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the prescribed form on appointment.
- x. On appointment, he/she will submit a declaration regarding his/her marital status in the prescribed proforma. In the event of his/her having more than one husband/wife living unless being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf his/her appointment will be terminated.
- xi. The selected candidate will also have to undergo a medical examination/ test to ascertain his/ her medical fitness for the post prior to joining. In case, he/ she is not found to be fit by the authorized medical authorities, the offer of appointment shall be treated as withdrawn. The persons already holding employment under Government or Autonomous Bodies may submit Medical Fitness Certificate from any Government Hospital at the place of his/ her work duly countersigned by the Civil Surgeon or Chief Medical Officer of the concerned district.
- xii. The terms and conditions of appointment/ Engagement shall be communicated in the "Offer of Appointment/ Engagement" to the Selected Candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment/ engagement letter within the stipulated time period, the offer will be treated as withdrawn and no further communication shall be entertained in this regard. The Competent Authority reserves the right to enhance the scope of the nature of duties and can assign any duty to any employee at any point of time even during Saturdays-Sundays and holidays including night duties in the exigency of service and in the interest of the University irrespective of the fact that such duties do not come under the already notified duties for any post. The University administration notwithstanding the schedule of five-day week in its working at the head quarters may also direct any employee to work for six days in a week at its discretion depending upon the lecture schedule of the various educational program, exigency of service and in the interest of the organization. However, it may be kept in view that the total number of working hours prescribed per week shall be equal to all the employees as per the Govt. of India rules.
- xiii. **Nature of Duties:** The selected candidates will be required to perform duties as per the rules of the University as amended from time to time. Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required by and in accordance with the Act, the Statutes and Ordinances framed there- under, for the time being in force, whether the same relate to organization of teaching, research, extension, examination of students, their discipline, welfare, and generally to act under the direction of the authorities of the University.
- xiv. The University is free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/ holidays which the employee has to perform without fail to avoid disciplinary action in this regard.
- xv. **Increment:** Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, unless the same is withheld or postponed by a resolution of the Board of Management and after the teacher has been given due opportunity to make his/her written representation.
- xvi. The selected person shall be required to arrange his/ her own accommodation as per his/ her convenience.
- xvii. The selected candidate will be governed by the "National Pension System" (earlier known as 'New Pension Scheme') of the Govt. of India applicable wef 01.01.2004 for its employees recruited on or after 01.01.2016. However, employees who were already in service prior to launch of this scheme, shall continue to be governed by the scheme regulating his/her pension.

- xviii. The selected candidate is liable to serve anywhere in the country or outside the country where the offices or projects of the University are located or may be located in future.
- xix. The selected candidates shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules of the University and also the CCS (Conduct) Rules, 1964 and CCS (CCA) Rule, 1965 of the Government of India as amended from time to time and any other rule/ resolution prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Board of Management of the University.
- xx. The candidate applying for the teaching posts should send the self attested copies of all certificates relating to his/ her educational qualifications, experience, age, caste and other testimonials along with his/ her application (DOPT O.M. No. K-11022/ 67/ 2012-AR dated 10th May, 2015).
- xxi. A relaxation of marks in case of SC/ ST/ PwD candidates will be applicable as per the Govt. of India guidelines.
- xxii. At the time of recruitment, a service agreement should be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same should be deposited with the Registrar. The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University (Appendix-1). Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- xxiii. Candidate should bring all original certificates relating to his/ her age, qualification, experience and caste etc. at the time of interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified/ photo-copies of the enclosures to his/ her application, he or she shall not be allowed to appear at the interview and his candidature shall be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- xxiv. (i) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. If any vacancy arises after recruitment to a particular post due to whatsoever reasons, the vacancy may be filled up from the panel of that post within a period of one year from the date of meeting of selection committee. In any case, every panel shall be treated as invalid after one year w.e.f. the date of the meeting of the Selection Committee.
 - (ii) The University reserves the right to withdraw the advertisement either partly or wholly at any time without assigning any reason to this effect.
 - (iii) The University reserves the right to reject any application without assigning any reason thereof.
 - (iv) The University reserves the right to appoint a Consultant for a definite period as per the requirement on the payment term as prescribed by the Government of India in case of any exigency.
 - (v) If any advertisement for any post(s) is withdrawn due to whatever reasons, the application fee or any other fee collected from the candidates shall be refunded preferably within 30 working days.
- xxv. (i) Interim enquiries shall not be entertained.
 - (ii) Canvassing in any form shall disqualify the candidature of the candidate'.
 - (iii) Applicants are required to apply on separate form for each post. Each application without the required application fee by way of A/c payee bank draft shall be rejected.
- xxvi. The University shall not be responsible for any postal delay. The candidate shall be required to submit the list of enclosures and also write his/ her complete information with regard to his/ her correspondence and permanent address with pin code, telephone numbers, cell-phone numbers, e-mail ID, if any in the application which will facilitate communication at any point of time.
- xxvii. For any clarification, the candidates may contact the Deputy Registrar (Establishment) or any other designated officer of the University in writing. In case of any grievance of any candidate, the candidate may also approach the Competent Authorities of the University in writing for redressal relating to the recruitment sufficiently in advance.

30. Variations in terms and conditions of service

Every teacher shall be bound to act in conformity with the Statutes, Ordinances, Regulations and rules of the University as well as a code of professional ethics as may be formulated by the University.

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall normally be made after his / her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

31. Professional Code of Conduct

Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University and the following lapses would constitute misconduct on the part of a University teacher.

- (i) Any lapses in performing his / her duties as assigned by the university from time to time.
- (ii) Inciting students, colleagues or administration (This does not interfere with the right of a teacher to express his/her difference of opinion on principles in seminars and other places where students are present) or any other such actions which are against the interest of the university.
- (iii) Indulging in communal activities, or making inappropriate remarks on caste, creed, religion, race or sex in his/her relationship with his/her colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his/her prospects or any other such actions which are against the interest of the university.
- (iv) Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and / or functionaries of the University.
- (v) Indulging in Plagiarism of any sort within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

32. Resignation

- (i) A whole-time salaried teacher may, at any time, terminate his/her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months' salary in lieu thereof. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.
- (ii) Provided that the Board of Management may waive the requirement of notice at its discretion.

33. Contract

The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University from time to time (Appendix-1).

34. Fixation of pay of re-employed pensioners

The fixation of pay of re-employed pensioners will be made as per the Government of India Rules as amended from time to time.

35. Teaching Days, Work Load and Leave Rules

The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the UGC and GOI from time to time.

36. Appointment of Visiting Professor, Adjunct Faculty and Scholars in Residence

In addition to regular teaching positions, the University has the provision to appoint Visiting Professor, Adjunct Faculty and Scholars-in-Residence with the approval of Board of Management for a definite period as per the **requirement** on the payment and service terms as prescribed below:

36.1 Visiting Professor

- a) A visiting Professor should be an eminent scholar in his/her field. Generally a person who has held or is holding the post of Professor or a person, who has achieved distinction outside the University sector, should be considered for appointment as Visiting Professor.
- b) The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor shall be two years and the minimum not less than three months.
- c) The University may appoint a person up to the age of 70 years as a Visiting Professor.
- d) A Professor should not be appointed as a Visiting Professor in the same University in which he/she holds a post immediately before or after superannuation.
- e) If a superannuated person is appointed as a Visiting Professor, the honorarium payable should not exceed Rs.50,000/- p.m or as amended by BOM from time to time.
- f) In case a person serving in an Indian University is appointed as Visiting Professor, the honorarium payable should be determined on the basis of salary plus 10% of the basic pay plus dearness allowance, and other allowances, if any admissible (except conveyance allowance, if any) as per the rates of the parent University. The receiving University would also contribute towards pensionary benefits or CPF/GPF as per government Rules.
- g) It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave without pay.
- h) If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel from its own resources. Visiting Professor appointed may be paid travel expenses within India in accordance with the Rules of the University.

- i) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- j) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as a Visiting Professor.

36.2 Adjunct Faculty

- a) There shall be not more than two Adjunct Professors in each faculty of the University at any time.
- b) Eminent scientists/academicians from public and private R & D institutions, Professionals and specialists from PSUs and business corporations, and innovative farmers with academic and research credentials will be eligible for appointment as Adjunct Faculty in a university department by the Board of Management.
- c) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- d) Adjunct Professor will be offered a token honorarium of up to Rs. 3000 per day plus TA or as decided by BOM from time to time. Besides, such experts could be requested to come twice in a year.
- e) Adjunct Professorship will be a tenure appointment for one academic year, or for two semesters limited to 30 days annually.
- f) The Adjunct Professor shall help in developing research projects, providing guidance to Scientists for participating in on-going activities of the University.
- g) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/College shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as an adjunct faculty member.

36.3 Scholars-in-residence

- a) Senior professionals and specialists from research and professional organizations (for example ICAR, CSIR, ICMR, IITs etc.) and those with PSUs and business corporations, with postgraduate or doctoral qualifications and with academic and research credentials will be eligible for appointment as Scholar-in-Residence in a University Department.
- b) NRI and PIO professionals and specialists, working in overseas organizations, will also be eligible for these positions. Similarly, these positions will be open to those overseas (non-Indian) professionals and specialists who have been dealing with India issues in their work.
- c) The Scholar-in-residence will be appointed on a tenure appointment ranging between six and twenty-four months and will be offered a consolidated remuneration of Rs.80,000/- a month, and a contingency grant of Rs.1,00,000/- per annum or as amended by BOM from time to time.
- d) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- e) There will not be more than 2 such Scholars at any given time in each faculty.
- f) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/College shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as a Scholar- *in* Residence.

Dr. ARVIND KUMAR, Vice-Chanceller

[Advt.-III/4/Exty./318/18]

Appendix 1

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENTS-SERVICE CONTRACT {Act Section 28(1) (n)}

Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this regulation.

(TO BE TYPED ON Rs. 10/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER & SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.)

SERVICE CONTRACT

ARTICLES	OF	AGREEMENT	EXECUTED	his/her	the		day	of		the	year	Two
Thousand		of the Re	public of India	between_		;	S/O/	D/O/W/O				
aged	years,	residing at	_			of the first	part	(hereinafter	called	'the	party	of the

111	rst part') and the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University of the second part.		
	THEREAS the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (hereinafter referred in as "the University") have agged the party of the first part as		
N	ow these present witness and the parties here to respectively agree as follows:		
1.	The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty(Date) subject to the terms and conditions herein contained.		
2.	The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.		
3.	The party of the first part shall be of the Teacher's / Officer's rank and his /her status shall be that of (Designation) in (Department /College/Office) as on the		
	date of appointment.		
4.	The party of the first part shall be from the date of coming into force of these presents, be granted Rs (Basic Pay including the grade pay of Rs in the pay scale of Rs He/she shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University/ Govt. of India in force.		
5.	The party of the first shall, during the period of his/ her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.		
6.	If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled travelling allowance as per rules of the University.		
7.	This agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.		
8.	The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund/ National Pension Scheme according to the rules applicable.		
9.	The Party of the first part shall submit himself/herself for Self Appraisal PABS methodology as prescribed by the UGC/University as notified and amended from time to time.		
10.	In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher <i>I</i> Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this agreement and the decision of the University as their applicability shall be final.		
or	N WITNESS WHERE OF(name)the party of the first part and the Registrar acting for and he behalf of and by the order and direction of the Board of Management, have hereunto set their hands in e year of the REPUBLIC OF INDIA.		
SI	IGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:		
IIV	N THE PRESENCE OF:		
W	Vitness: 1)		
	2)		

Signature:

Designation:

Witness: 1)

2)

Appendix-2

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

Jhansi-Gwalior Road, Jhansi-284003

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES (TEACHING EMPLOYEES), 2016

Sl. No.	Name of post	Group	Core Pay Scale as per 7 th CPC/UGC
I.	STATUTORY TEACHING POSTS		
1.	Librarian	A	14
2.	Director of Education	A	14
3.	Director of Research	A	14
4.	Director of Extension Education	A	14
5.	Dean College of Agriculture/College of Horticulture & Forestry / College of Veterinary & Animal Science/College		14
	of Fisheries or any other College		
II.	OTHER TEACHING POSTS		
6.	Professor	A	14
7.	Associate Professor	A	13 A
8.	Assistant Professor	A	10 A

*The Core pay scales and other benefits shall be as per UGC guidelines as amended from time to time.

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LIBRARIAN

1.	Name of Post	Librarian
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	A.
		 i. Master's degree in Library Science/ Information Science/ Documentation with at least 55% of marks or its equivalent grade of B' in the UGC seven points scale and consistently good academic record. ii. At least 13 years' experience as Deputy Librarian in University library or any other library statutory organization or 18 years' experience as a College Librarian. iii. Evidence of innovative Library service and organization of published work.
		OR
		В.
		Deputy Librarian completing service of three years in the AGP of
		Rs. 9000 and otherwise eligible as per the API scoring system and
		PBAS methodology developed in UGC Regulations, 2010 with a

		<u></u>
		Ph.D. qualification.
		Desirable:
		M.Phil./ Ph.D. degree in Library Science/ Information Science/
		Documentation/ Archives and Manuscript Keeping.
		Note: The same qualification will be applicable in case of
		deputation.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining
	recruitment or by promotion or by deputation /	the age of 62 years, whichever is earlier.
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods.	
9	In case of recruitment by promotion/	Deputation
	deputation/ absorption, grades from which	The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable
	promotion/ deputation/ absorption to be made	in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai
	direct recruitment	Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from
		time to time.

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF EDUCATION

1.	Name of Post	Director of Education
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Doctorate Degree in any branch of Agricultural Science including Agricultural Engineering/ Fisheries/ Veterinary Sciences including and relevant basic sciences. (ii) Minimum 15 years' experience of Teaching/ Research Extension Education in the concerned discipline out of which at least 10 years should be in Agricultural University/ICAR system and at least 5 years should be in the rank of Professor, or equivalent. (iii) Outstanding contributions as evidenced by published papers in Professional National/ International journals of repute/ books or technology developed. Desirable: (i) Experience of guiding Post-Graduate research work. (ii) Administrative experience on a responsible position in an agricultural University/College/Institute. (iii) Familiarity with latest advances in Agricultural developments. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai

direct recruitment	Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from
	time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF RESEARCH

1.	Name of Post	Director of Research
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Doctorate degree in any branch Agricultural Science including Agricultural Engineering/ Fisheries/ Veterinary Science and relevant basic sciences. (ii) Minimum 15 years experience of Teaching/ Research/ Extension Education in the concerned discipline, out of which at least 10 years should be in Agricultural University/ICAR system and at least 5 years in the rank of Professor, or equivalent. (iii) Outstanding contributions in research as evidenced by published papers in Professional National/ International journals of repute books or technology developed. Desirable: (i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College/Institute. (ii) Conducting/ guiding of research projects. (iii) Familiarity with latest advances in Agricultural developments. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
	prescribed for direct recruits will apply in	
	the case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF EXTENSION EDUCATION

1.	Name of Post	Director of Extension Education
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	(i) Doctorate degree in any branch of Agricultural Science

6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	including Agricultural Engineering/ Fisheries/ Veterinary Science and relevant basic sciences. (ii) Minimum 15 years experience of Teaching Research/ Extension Education in the concerned discipline, out of which at least 10 years should be in Agricultural University/ICAR system and at least 5 years in the rank of Professor, or equivalent. (iii) Outstanding contributions in research as evidenced by published papers in Professional National/ International journals of repute books or technology developed. Desirable: (i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College/Institute. (ii) Conducting/guiding extension education programme(s). (iii) Familiarity with latest advances in Agricultural developments. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation. Not Applicable
	case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN COLLEGE OF AGRICULTURE

1.	Name of Post	Dean College of Agriculture
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	(i) Doctorate degree in the relevant subject including relevant
		basics sciences.
		(ii) Minimum 15 years experience of teaching/ research in the
		subject out of which at least 5 years should be in the rank of
		Professor or equivalent.
		(iii) Outstanding contributions in research as evidenced by
		published papers in Professional National/ International journals
		of repute books or technology developed.
		Desirable:
		(i) Administrative experience on a responsible position in an
		Agricultural University/College/Institute.
		(ii)Familiarity with latest advances in Agricultural developments.
		Note: The same qualification will be applicable in case of
		deputation.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining

	recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN COLLEGE OF HORTICULTURE & FORESTRY

1.	Name of Post	Dean College of Horticulture & Forestry
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Doctorate degree in the relevant subject including relevant basics sciences. (ii) Minimum 15 years experience of teaching/ research in the subject out of which at least 5 years should be in the rank of Professor or equivalent. (iii) Outstanding contributions in research as evidenced by published papers in Professional National/ International journals of repute books or technology developed. Desirable: (i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College/Institute. (ii)Familiarity with latest advances in Agricultural developments. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCE

1.	Name of Post	Dean College of Veterinary & Animal Science
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	(i) Recognized veterinary qualification included in first and

		second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India. (ii) B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale. (iii) Master's degrees in relevant discipline of Veterinary Science with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale. (iv) Doctorate degree in any branch of Animal and Veterinary Science including relevant basics sciences. (v) Minimum 15 years experience of teaching/ research in the subject out of which at least 5 years should be in the rank of Professor or equivalent. (vi) Outstanding contributions in research as evidenced by published papers in National/ International journals of repute books on development of technology. Desirable: (i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College. (ii) Familiarity with latest advances in Agricultural developments. Note: The same qualification will be applicable in case of
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	deputation. Not Applicable
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEAN COLLEGE OF FISHERIES

1.	Name of Post	Dean College of Fisheries
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	(i) Doctorate degree in the relevant subject including relevant
		basics sciences.
		(ii) Minimum 15 years experience of teaching/ research in the
		subject out of which at least 5 years should be in the rank of
		Professor or equivalent.
		(iii) Outstanding contributions in research as evidenced by
		published papers in National/ International journals of repute
		books on development of technology.
		Desirable:
		(i) Administrative experience on a responsible position in an
		Agricultural University/College.
		(ii) Familiarity with latest advances in Agricultural developments.
		Note: The same qualification will be applicable in case of

		deputation.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PROFESSOR

-	N CD	
1.	Name of Post	Professor
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	Doctoral degrees in relevant subject including relevant basic
		sciences.
		(a) For disciplines other than Veterinary Sciences:
		(i) 10 years experience in the relevant subject out of which 8 years should be as Scientist/Lecturer/Extension Specialist or in an
		equivalent position in the PB-3 of Rs. 15,600-39,100 with Grade
		Pay of Rs.5,400/Rs.6,000/ Rs.7,000/Rs.8,000 and 2 years as
		Associate Professor/ Senior Scientist or in an equivalent position
		in the Pay Band-4 of Rs37400-67000 with Grade Pay of Rs
		8700/9000.
		(ii) The candidate should have made contribution to
		Research/Teaching/Extension Education as evidenced by
		published work with a minimum of 10 publications as
		research/policy papers and/or books.
		(b) For Veterinary Sciences' disciplines:
		(i) Recognized veterinary qualification included in first and
		second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council
		of India.
		(ii) B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent
		grade in the point scale.
		(iii) Master's degrees in relevant discipline of Veterinary Science
		with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
		Desirable:
		(i) Adequate experience of teaching and guiding Post-Graduate
		students.
		(ii) Outstanding contribution as evidenced by published works in
		reputed journals.
		(iii) Familiarity with modern tools and applications in scientific
6.	Whether age and educational qualifications	technologies in the field. Not Applicable
0.	prescribed for direct recruits will apply in the	Not Applicable
	case of promotees	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct	100% by direct recruitment
L	monod of rectainment. whether by direct	

	recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2) of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR

1.	Name of Post	Associate Professor
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 13 A
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 47 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	(a) For disciplines other than Veterinary Sciences': (i) Doctoral degrees in relevant subject including relevant basic Sciences. (ii) 8 years experience in the relevant subject as Scientist/Lecturer/Extension Specialist or in an equivalent position in the PB-3 of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400/ Rs. 6,000/ Rs. 7,000/ Rs. 8,000. (iii) The candidate should have made contribution to Research/ Teaching/Extension Education as evidenced by published work with a minimum of publications as research/policy papers and/or books /innovations and impact / innovations and impact. (b) For Veterinary Sciences' disciplines: (i) Recognized veterinary qualification included in first and second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India. (ii) B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale. (iii) Master's degrees in relevant discipline of Vet. Science with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale. (iv) Other qualifications are similar with disciplines other than veterinary sciences as at (a) i, ii, and iii. Desirable: (i) Adequate experience of teaching and guiding Post- Graduate students. (iii) Familiarity with modern tools and applications in scientific technologies in the field.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18 (1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR

1.	Name of Post	Assistant Professor
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10 A
4.		Preferably below 40 years (Age may be relaxed as per provisions
	Age Limit for direct recruits	of Section 10 of Recruitment rules for Teaching Employees)
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (a) For disciplines other than Veterinary Sciences':
	for direct rectuits	(i) Master's degree in the relevant disciplines and with at least
		60% marks or equivalent grade point. Evidence of the National
		Eligibility Test (NET) conducted by ICAR-ASRB, UGC-CSIR.
		OR
		(b) For Veterinary Sciences' disciplines:
		(i) Recognized veterinary qualification included in first and
		second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must
		be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India.
		(ii) B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent
		grade in the point scale.
		(iii) Master's degrees in relevant discipline of Veterinary Science
		with at least 60% marks or its equivalent grade in the point scale.
		Evidence of the National Eligibility Test (NET) conducted by
		ICAR-ASRB, UGC-CSIR.
		OR Doctorate degree in the relevant subject including relevant basics
		sciences with 2 published research papers in scientific general
		with NAAS rating of more than 4.0.
		Desirable:
		(i) Experience of research in reputed ICAR Institutes/Agricultural
		Universities/government institutions with evidence of published
		research papers.
6	Whather are and advectional suglifications	(ii) Knowledge of Computer applications.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Not Applicable
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	One year
8.	Method of recruitment: whether by direct	100% by direct recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods.	
9	In case of recruitment by promotion/	Not applicable.
	deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	
10.		As per Section 18 (1 &2) of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai
10.	Composition of Selection Committee for	Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from
	direct recruitment	time to time.

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2018

भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी)-2016

फा. सं. आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016.—रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के विधान 12(4) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय में गैर—शैक्षणिक पदों (पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा से संबंधित पदों सहित) पर नियुक्ति की प्रक्रिया के नियमन हेत् निम्नलिखित नियम बनाती और स्वीकार करती है।

1. लघु शीर्षक तथा आरंभ

ंण इन नियमों को रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (गैर—शैक्षणिक कर्मचारी) —2016 कहलाएंगे। इण ये अधिसूचित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (क) 'अधिनियम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित , है।
- (ख) 'बीओएम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल है।
- (ग) 'विभागीय प्रत्याशी' का अर्थ उन कर्मचारियों से है जो विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर कार्यरत हैं लेकिन इसमें तदर्थ आधार पर, दैनिक वेतनभोगी या निविदा के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
- (घ) 'सरकार' का अर्थ केन्द्र सरकार या भारत सरकार है।
- (ड.) 'सीमित विभागीय परीक्षा' या 'परीक्षा' का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत विशिष्टीकृत उच्चतर पद पर पदोन्नित के लिए पदों पर आसीन किसी श्रेणी या कुछ श्रेणियों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा है।
- (च) 'गैर–शिक्षण कर्मचारियों' का अर्थ विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों से है जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त हैं और इन्हें इस रूप में परिभाषित किया गया है।
- (छ) किसी व्यक्ति के संबंध में 'परिवीक्षाधीन' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो किसी भी पद पर इन विशिष्टीकृत नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।
- (ज) 'नियमित सेवा' का अर्थ संवर्ग में किसी कर्मचारी द्वारा की गई नियमित सेवा से है जिसमें निविदा / दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी तथा तदर्थ पदोन्नति पर सेवारत कर्मचारी शामिल नहीं है।
- (झ) 'परिनियमों', 'अध्यादेश' तथा 'विनियम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत बनाए गए क्रमशः परिनियमो, अध्यादेश और नियमन से है।
- (ण)'चयन समिति' का अर्थ विधानों / अध्यादेशों में विशिष्टीकृत विभागीय पदोन्नत समिति सहित चयन समिति के सदस्यों के गठन से है और जहां विशिष्टीकृत नहीं है वहां इन भर्ती नियमों के अनुसार है।
- (ट) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय है।

3. अधिनियम का प्रसार

ये नियम विश्वविद्यालय के सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्टाफ को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- क. समूह 'क'
- ख. समूह 'ख'
- ग. समूह 'ग' जिसमें बहुकार्य कर्मी (एमटीएस) भी शामिल है।

5. नियुक्ति प्राधिकार

समूह 'क' के पदों के लिए नियुक्ति का प्राधिकार प्रबंध मंडल तथा समूह 'ख' और 'ग' पदों के लिए कुलपित के पास होगा।

6. अनुसूची

विभिन्न पदों के लिए पदों के नाम, उनका विवरण, वेतनमान, अर्हता और अनुभव, आयु—सीमा आदि के विवरण तथा पद से प्रासंगिक कोई भी अन्य सूचना परिशिष्ट—2 के अनुसार होगी।

7. भर्ती की विधि

विश्वविद्यालय के इन नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में विद्यमान विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती संबंधी क्रियाविधि

निम्नानुसार होगी:

- क) सीधी भर्ती
- ख) पदोन्नति
- ग) प्रतिनियुक्ति

8. विज्ञापन जारी करने और शैक्षणिक इतर पदों की सभी श्रेणियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

I. विज्ञापन जारी करना

स्थायी प्रकृति के रिक्त गैर-शैक्षणिक पदों, अस्थायी प्रकृति के गैर-शैक्षणिक पद जिनके जारी रहने की संभावना है, निश्चित अवधि/प्रितिनयुक्ति वाले पदों के लिय किन्हीं दो अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में कम से कम एक प्रविष्टि देते हुए उचित समय पर विज्ञापित किए जाएंगे और इनमें से एक विज्ञापन प्राथमिकता के साथ 'रोजगार समाचार' तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ribcau.ac.in में विज्ञापित किया जाएगा। किसी निर्धारित पद के लिए प्रत्याशी होने का इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन (विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुसार) सभी आवश्यक अनुलग्नकों और निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी :

- (i) आंतिम तिथि वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के विवेकाधिकार से बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए वांछित प्रत्याशी को वेबसाइट के सम्पर्क में निरंतर रहना होगा।
- (ii) अल्पावधि / संविदा पर नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति के लिए भी आवेदन परिचालन की किसी भी अन्य विधि जैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिपत्र या अधिसूचना के द्वारा या विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तुत करके आमंत्रित किए जा सकते हैं।
- (iii) प्रत्येक पद के लिए कॉलम सं. 08 में उल्लिखित प्रावधानों से इतर विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी रिक्त पद को भरने का निर्णय ले सकता है या समुचित औचित्य के साथ विश्वविद्यालय के हित में किसी अन्य माध्यम से भरना तय कर सकता है।

II. विज्ञापन जारी होने की तिथि

प्रत्येक मामले में विज्ञापन जारी होने की तिथि से संबंधित निर्णय कार्य की अनिवार्यताओं और अपेक्षाओं के अनुसार लिया जाना चाहिए।

III. विज्ञापन की वैधता की अवधि

जहां चयन समिति किसी भी पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि के बाद 12 माह समाप्त होने के बाद भी बैठक आयोजित नहीं करती है, वहां पद को सामान्यतः पुनः विज्ञापित किया जाएगा। तथापि, यदि कुलपित के विचार से पिरिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो विज्ञापन की वैधता की अविध छह माह और बढ़ाई जा सकती है। तथापि, किसी भी मामले में विज्ञापन की वैधता की अविध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 18 माह के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।

IV. आवेदन पत्र

- क) सभी पदों के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन—पत्रों में तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित की गई राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पक्ष में झांसी शाखा में देय होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क सिहत सभी आवश्यक अनुलग्नकों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस उद्देश्य से कुलपित द्वारा नामित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव या किसी अन्य अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। आवेदन पत्र के प्रभार तथा निर्धारित शुल्क की अनुसूची समय—समय पर कुलपित द्वारा निर्धारित की जाएगी। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/मिहलाओं तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है।
- ख) **आवेदनों की प्राप्ति**: आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस के लिए रिक्तियों के जारी होने की तिथि से छह सप्ताह की होगी या जैसा विज्ञापन में विशिष्टीकृत किया गया हो। तथापि, कुलपित स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद भी प्राप्त हुए किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है। यदि अंतिम तिथि को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।

घ) लिखित परीक्षाओं का आयोजन

सीधी भर्ती के अंतर्गत पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय समूह 'ख' और 'ग' के गैर–शैक्षणिक पदों हेतु लिखित परीक्षाएं आयोजित कर सकता है जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। लिखित परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में दक्षता, सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता, विश्वविद्यालय प्रणाली, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014, विधान और अध्यादेश, कार्यालय क्रियाविधि, फाइलिंग, टिप्पण और मसौदा लेखन जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। भारत सरकार के मूल नियम आदि अथवा कोई भी अन्य विषय भी इसमें शामिल हो सकता है। यह सेवा की विशेषता तथा कार्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा।

लिखित परीक्षा, कुशलता / व्यवसाय परीक्षा में किए गए निष्पादन के साथ—साथ अर्हता, अनुभव, निष्पादन को दिए जाने वाले उचित वेटेज संबंधी मानदंडों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। डीओपीटी द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ स्तर के गैर—राजपत्रित समूह 'ख' और 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वविद्यालय अपने विवेक से अपने कर्मचारियों के पदोन्नत के समय भी लिखित परीक्षाएं या अन्य पेशा कौशल परीक्षाएं आयोजित कर सकता है तथा पिछले 5 वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के अतिरिक्त अर्हकारी अंकों का निर्धारण कर सकता है। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के विचारार्थ कोई अन्य कठोर मानदंड भी निर्धारित कर सकता है।

9. न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव इन नियमों के द्वारा निर्धारित होगा और जिन पदों के लिए इन नियमों के अंतर्गत निर्धारण नहीं किया गया है उनके लिए अपेक्षित योग्यता से संबंधित निर्णय विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा लिया जाएगा।

10. आयु-सीमा

विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु—सीमा इन नियमों के उचित कॉलम में निर्धारित की गई है। तथापि, जहां इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु—सीमा निर्धारित नहीं की गई है वहां यह प्रबंध मंडल द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाएगी।

11. पदों के आरक्षण

भर्ती / पदोन्नित आदि में विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति का पालन किया जाएगा।

12. यात्रा भत्ते का भुगतान

प्रत्याशी को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर अपने व्यय पर निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा। तथापि, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बाहरी प्रत्याशियों को द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया अदा किया जाएगा और यदि उनके आने का स्थान रेल द्वारा जुड़ा नहीं होगा तो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सबसे छोटे मार्ग से आने का बस का साधारण किराया दिया जाएगा, बशर्ते कि वे साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। तथापि रेल में सीट/स्लीपिंग बर्थ आरक्षित कराने के लिए प्रत्याशियों द्वारा अदा किए गए किसी अतिरिक्त प्रभार की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

13. आवेदनों की छंटाई

विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जाएगी तािक पदों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों को और इसके साथ ही लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए प्रत्याशियों को छांटा जा सके। इस उद्देश्य से कुलपित एक उपयुक्त समिति गठित करेगा जिसमें सक्षम आंतरिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र का एक बाहरी विशेषज्ञ होगा। कुलपित द्वारा प्रशासनिक वर्ग का कोई ऐसा अधिकारी जो सहायक कुलसचिव के स्तर से कम न हो, नािमत किया जाएगा जो विश्वविद्यालय की प्रत्येक छंटाई समिति का सदस्य—सचिव होगा। इस छंटाई समिति को आवेदनों तथा प्रत्याशियों की छंटाई करनी होगी जो विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के मानदंडों के अनुसार प्रतिभा के क्रम में होगी। छंटाई समिति/सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या भी निर्धारित करेगा जिसके लिए रिक्त पदों की संख्या एवं प्रत्याशियों की संख्या के बीच के अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अनुपात सामान्यतः 1:20 से अधिकतम तथा 1:3 से न्यूनतम अनुपात में न हो। जिन पदों के मामले में सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है वहां प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए और इसमें सर्वाधिक निर्धारित अनुपात का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. चयन समितियों / विभागीय पदोन्नति समितियों का गठन

चयन समिति | विभागीय पदोन्नित समिति का गठन व उनकी गणपूर्ति का विवरण परिशिष्ट—1 में दिया गया है, जो इन नियमों के अनुसार है अर्थात् जैसा भी मामला हो। कुलपित अपने विवेकाधिकार से विश्वविद्यालय के किसी पद पर चयन | पदोन्नित के समय चयन समितियों | विभागीय पदोन्नित समितियों में अध्यक्ष या संबंधित इकाई के किसी भी अन्य विष्ठ सदस्य को शामिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त एससी | एसटी | ओबीसी | महिला समुदाय के नामिति (यों) को भी कुलपित द्वारा नामित किया जाना है तथा यित एससी | एसटी | ओबीसी | महिला प्रत्याशियों पर साक्षात्कार | पदोन्नित के लिए विचार किया जाना है तो चयन समितियों | विभागीय समितियों में इनके सदस्य रुप में शामिल किए जाने का निर्णय

कुलपित द्वारा लिया जाएगा। चयन समितियों / विभागीय पदोन्नत समितियों में कोई भी अन्य सदस्य भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

15. खुले चयन द्वारा सीधी भर्ती

- i. विश्वविद्यालय किसी विशेष पद (शैक्षणिक इतर) के लिए भर्ती नियम बनाएगा तथा पद की अपेक्षाओं व सुसंगता के अनुसार अर्हता, अनुभव एवं कर्तव्य की प्रकृति आदि भी निर्धारित करेगा।
- ii. विश्वविद्यालय में किसी नियमित पद पर भर्ती पात्र प्रत्याशियों में से उचित रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी।
- iii. अध्यक्ष चयन समिति की बैठक में मत व्यक्त करने का पात्र होगा और वह अपना मत टाई होने पर व्यक्त करेगा।
- iv. यदि किसी विशेष पद को भरने के लिए आवश्यक हुआ तो चयन समिति साक्षात्कार में प्रत्याशियों के निष्पादन के मूल्यांकन की अपनी विधि निर्धारित कर सकती है ।
- v. चयन सिमित एक चयन सूची और एक आरक्षित प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगी। चयन सूची में प्रत्याशियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित पदों/रिक्तियों से अधिक नहीं होंगे। चयन सिमित 2–3 नामों की एक आरक्षित सूची भी तैयार करेगी। आरक्षित प्रत्याशियों की सूची का पैनल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तिथि से वैध होगा और विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि यदि कोई चुना गया प्रत्याशी पद ग्रहण करने के लिए दिए गए समय में अपना पदभार नहीं ग्रहण करता है तो आरक्षित पैनल से प्रत्याशी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जहां कोई प्रत्याशी पदभार ग्रहण तो करता है/करती है लेकिन पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध में त्याग–पत्र दे देता है या भविष्य में कोई समतुल्य पद रिक्त होता है तो आरक्षित सूची से प्रत्याशी को उस रिक्त पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
- vi. विश्वविद्यालय को चयन के समय पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने का अधिकार है।
- vii. यदि चयन समिति द्वारा किसी प्रत्याशी की नियुक्ति की अनुशंसा अर्हता/आयु आदि में निर्धारित शर्तों के संबंध में छूट देते हुए की जाती है तो उसे वर्णित और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- viii. चयन सिमित की अनुशंसाओं के आधार पर प्रबंध मंडल / सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से बाहर के संगठन से कार्यभार ग्रहण करने वाले किसी भी प्रत्याशी को एक समय का लाभ या उसका वेतन सुरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जैसा कि भारत सरकार के नियमों में अनुमत्य है। ऐसा उन प्रत्याशियों के मामले में किया जाना चाहिए जिनके पास चयन सिमित की संतुष्टि के अनुसार उच्चतर अर्हता, अनुभव, उच्चतर वेतनमान तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता है।
- ix. यदि नियुक्ति अधिकारी डीपीसी की अनुशंसाओं से सहमत नहीं होता है तो वह मामले को प्रबंध मंडल के पास भेजेगा और इसके लिए अपनी असहमति के कारण रिकॉर्ड करेगा। ऐसे मामले में प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा। तथापि, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति/नियुक्ति के मामले में चयन समिति की अनुशंसाएं नियुक्ति का अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

16. प्रतिनियुक्ति

- i) यदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो प्रत्याशी अधिक से अधिक पांच वर्ष की अविध तक या उस विशेष संवर्ग के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, पद पर बना रह सकता है / सकती है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आरंभ में दो वर्ष की अविध के लिए की जा सकती है जिसे अधिकतम पांच वर्ष की अविध तक वर्षवार आधार पर बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रत्याशी का निष्पादन संतोषजनक हो, व्यवहार अच्छा हो और सत्यनिष्ठा उच्च हो। तथापि यदि विश्वविद्यालय प्रत्याशी के निष्पादन, सत्यनिष्ठा या आचरण को असंतोषजनक पाता है जो सक्षम प्राधिकारी के विचार के अनुसार अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के आचरण के अनुरूप न हो तो विश्वविद्यालय उस व्यक्ति को अपने मूल विभाग में वापस भेज सकता है। सामान्य रूप से कोई भी प्रत्याशी उसकी नियुक्ति की अविध के समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी भी संवर्ग में समाहित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि विश्वविद्यालय के हित में किसी व्यक्ति को समाहित करने का निर्णय लिया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को संबंधित प्रतिनियुक्ति व्यक्ति का विचार जानने के पश्चात् स्वीकृति के लिए प्रत्याशी के मूल संगठन को भेजेगा। मूल विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मामला अंतिम निर्णय के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह प्रत्याशी विश्वविद्यालय में समाहित होता / होती है तो उसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार विश्वता प्रदान की जाएगी।
- ii) यदि नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाती है और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विज्ञापनों/जारी किए गए परिपत्रों के उत्तर में बहुत कम प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध मंडल अपने विवेकाधिकार से चयन समिति गठित कर सकता है या पद के लिए पात्रता की संतुष्टि के पश्चात् किसी प्रत्याशी को नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है। इस संतुष्टि में यदि उचित माना गया हो तो विज्ञापन के अनुसार मूल विभाग द्वारा उचित रूप से अग्रेषित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआरएस) की समीक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- iii) विश्वविद्यालय में चल रही भा.कृ.अ.प. की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ओं) के लिए एआईसीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत शैक्षणिक इतर पदों को भा.कृ.अनु.प. की परियोजना के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय के नियमित

गैर–शैक्षणिक पदों के समतुल्य पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। उस प्रत्याशी के द्वारा एआईसीआरपी में की गई सेवा की अवधि को विष्ठता को निर्धारित करने तथा किसी अन्य उच्च पद पर पदोन्नित की उसकी पात्रता के लिए गिना जाएगा। तथापि, आरए / एसआरएफ आदि की नियुक्ति भा.कृ.अनु.प. के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा यह परियोजना के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

17. अस्थायी / तदर्थ / संविदा आधार पर सेवाओं और कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग

- i. विश्वविद्यालय सुरक्षा, बागवानी, सफाई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए जहां कहीं संभव हो एजेंसियों के माध्यम से सेवाओं को आउटसोर्स करने की संभावनाओं को तलाशेगा जिसके लिए एक विशिष्ट अविध हेतु संविदा लागू की जाएगी। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय को सेवाओं को किराए पर लेने के लिए बजट आवटंन के साथ साथ कार्य की तर्कसगंतता, तात्कालिकता, वित्तीय पहलू के परीक्षण के पश्चात टडेंर जारी करने जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना है। एजेंसी का चयन दर, कार्यक्षमता एवं साख, पिछला रिकार्ड, ग्राहक प्रतिक्रिया और सरकार के अधीन विनियामक प्राधिकरण की जरुरत की अनुपालना के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ii. जहां कहीं किसी क्षेत्र में सेवाओं को किराए पर लेना संभव न हो वहां विश्वविद्यालय कुछ अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर संविदा पर नियुक्ति पर विचार कर सकती है जिसके अंतर्गत सौंपे जाने वाले कार्यों तथा शामिल कार्यभार व नियुक्ति प्राधिकारी व ठेके पर रखे जाने वाले व्यक्ति के बीच हुए समझौते की शर्तों व नियमों का ध्यान रखा जाएगा। संविदा पर यह नियुक्ति कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार एक विशिष्ट अविध के लिए की जाएगी। विश्वविद्यालय जीएफआर व उसमे समय— समय पर सशोधित प्रावधानों के अनुसार भी परामर्शकों को नियुक्त करने पर विचार कर सकता है।
- iii. बाह्य निधि सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कुशल/अर्ध-कुशल संविदा के स्टाफ की नियुक्ति पूर्णतया सह—टर्मिनस आधार पर की जाएगी। परियोजना के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय का बाह्य निधि सहायता प्राप्त स्कीमों/परियोजनाओं में कार्यरत संविदा स्टाफ के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।

18. पदोन्नति

- (क) पदोन्नित के लिए जिन प्रत्याशियों पर विचार किया जाना है उन्हें पद रिक्त होने की तिथि पर मौजूद निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- (ख) पदोन्नित कठोर परिश्रम, अच्छे आचरण तथा परिणाम देने वाले निष्पादन के आधार पर होती है और यह सब कुछ एपीएआर/एसीआर द्वारा परिलक्षित होता है। 'औसत' से ऊपर तथा 'श्रेष्ठ' रिपोर्ट किए गए निष्पादन को ही डीपीसी द्वारा पदोन्नित का आधार माना जाएगा और यह श्रेणी पिछले 5 वर्षों के दौरान होनी चाहिए। यद्यपि 'औसत' प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है लेकिन इसे सराहनीय भी नहीं माना जा सकता।
- (ग) डीपीसी को उपरोक्त 17(ii) में विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार पिछले 5 वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) के साथ—साथ कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकार्डों के आधार पर पदोन्नित की उपयुक्तता के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। यदि एपीएआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो या उसमें निर्धारित स्कोर न हो तो पदोन्नित के मामले पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी को हटा नहीं देता है। यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिकूल टिप्पणी को नहीं हटाता है या स्कोर को बढा देता है तो कर्मचारी को उतने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक इन नियमों के अंतर्गत प्रत्याशी की रिपोर्टों में निर्धारित मानक दर्ज नहीं हो जाते हैं।
- (घ) पात्रता के मानदंड, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्टों, सीआर फोल्डरों / डोजियर जो पूरी तरह से पूर्ण हों व पात्र कर्मचारियों की विरष्ठता सूची को पदोन्नित के लिए विचार करने हेतु पूरे विवरण के साथ जिसमें रिक्त पदों की संख्या, एससी / एसटी के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी शामिल हो, डीपीसी को विचारार्थ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (ङ.) अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए अलग से आरक्षित पदों के तहत पदोन्नित के मौके को सुनिश्चित करने के साथ भारत सरकार के नियमों / डी.ओ.पी.टी के निर्देशों के तहत योग्य अधिकारी की पदोन्नित पर विचार किया जाएगा। ग्रेडिंग और स्कोर निम्निलिखित हैं:

क्र.सं.	श्रेणीकरण प्रणाली तथा एपीएआर में स्कोर
1.	'8 से 10 के बीच' की श्रेणी को 'उत्कृष्ट' माना जाएगा तथा नियुक्ति / पदोन्निति के लिए औसत स्कोरों की गणना के उद्देश्य से 9 स्कोर दिया जाएगा।
2.	'6 तथा 8 से कम' की श्रेणी को 'बहुत अच्छा' माना जाएगा तथा नियुक्ति / पदोन्निति के लिए औसत स्कोरों की गणना के उद्देश्य से 7 स्कोर दिया जाएगा।
3.	'4 तथा 6 से कम' की श्रेणी को 'अच्छा' माना जाएगा तथा नियुक्ति / पदोन्निति के लिए औसत स्कोरों की गणना के उद्देश्य से 9 स्कोर दिया जाएगा।
4.	4 से कम को 'शून्य' स्कोर दिया जाएगा।

- (छ) प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभागीय पदोन्नित समिति को प्रदान की गई सूचना सटीक हो तथा सभी मामलों में उचित क्रम में हो व डीपीसी की टिप्पणी बनने के लिए इस आशय का प्रमाण–पत्र भी दिया जाना चाहिए।
- (ज) किसी भी प्रकार का दण्ड (बड़ा या छोटा) पदोन्नित या स्थायी किए जाने की पात्रता को अमान्य कर देगा। तथापि, 'फटकार' जैसे छोटे दण्ड को पात्रता के लिए बाधा नहीं माना जाएगा और तब तक पदोन्नित या स्थायी किए जाने के उद्देश्य से विचार योग्य माना जाएगा जब तक पात्रता को बाधित किए जाने के संबंध में जारी किए जाने के उद्देश्य में बाध्य किए जाने का उल्लेख न किया गया हो।
- (झ) निम्न मामलों को डीपीसी की जानकारी में लाया जाना चाहिए :
 - (i) निलंबित कर्मचारी
 - (ii) जिसके खिलाफ अभियोग-पत्र जारी कर दिया गया हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो; एवं
 - (iii) जिसके खिलाफ अपराधिक आरोप का अभियोजन विचाराधीन हो।

डीपीसी अनुशासनिक पहलू पर विचार किए बिना उनकी उपयुक्तता पर विचार करेगी। डीपीसी के निष्कर्ष एक सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे और तथ्य को डीपीसी के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया परवर्ती डीपीसी द्वारा तब तक अपनाई जाएंगी जब तक अनुशासनिक/आपराधिक मामलों का परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता है। मामले का परिणाम प्राप्त होने पर सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा। यदि अधिकारी सम्मान के साथ पूरी तरह बरी हो जाता है तो पदोन्नित की निर्धारित तिथि ज्ञात की जाएगी और उसे उसके किनष्ठों के पदोन्नित की तिथि के संदर्भ में नोशनली पदोन्नित किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उस पद पर एवज में कार्य करने वाले सबसे किनष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्णय लेगा कि वेतन की बकाया राशि अदा की जानी है या नहीं और यदि अदा की जानी है तो कितनी। जहां बकाया राशि के भुगतान से इंकार किया जाता है वहां कारण रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति बरी नहीं होता है तो सीलबंद लिफाफे के निष्कर्षों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

(ट) संदेह के घेरे में आए अधिकारियों के मामले डीपीसी की क्लीयरेंस के पश्चात् भारत सरकार के नियमों के अनुसार तय किए जाएंगे।

19. विभागीय पदोन्नत समिति के कार्य

- i) विभागीय पदोन्नत समिति (डीपीसी) समूह 'क', 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों के सभी मामलों पर विचार करेगी तथा अपनी अनुशंसाएं देगी। विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए डीपीसी का गठन परिशिष्ट—1 के अनुसार होगा।
- (ii) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (समूह 'क' और 'ख') का स्थायीकरण उनके संबंधित पदों पर परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने के पश्चात् किया जाएगा। जहां तक गैर-शिक्षण समूह का स्टाफ के स्थायीकरण का संबंध है, संबंधित व्यक्ति की पुष्टि का आदेश वांछित औपचारिकताएं पूरी किए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जारी किया जाएगा। ये अपेक्षित औपचारिकताएं हैं : सतर्कता अनापत्ति, निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें जिनमें निर्धारित बैंच-मार्क (अर्थात् 7 का स्कोर) निर्धारित हों।
- (iii) पदोन्नित के मामले में विचार करते समय विभागीय पदोन्नित समिति निम्निलखित का ध्यान रखेगी :
 - अ. लागू होने वाले अधिनियम/विधानों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों के प्रावधान/यूजीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देश।
 - ब. एससी/एसटी श्रेणियों के लिए लागू पात्रता के मानदंड और छूट/रियायतें
 - स. कार्य एवं आचरण रिपोर्टें
 - द. वार्षिक सम्पत्ति विवरण (एपीआर) सहित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें (एपीएआर) / वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें (एसीएआर), जो सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध हों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों / वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) की छंटाई करते समय डीपीसी नियम—18 (ख) और (ड.) में उल्लिखित बैंच—मार्क के संबंध में मानदंड अपना सकती है या नियमों के अनुसार विचारार्थ अन्य मानदंड भी अपना सकती है।
 - य. सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट
 - र. भारत सरकार / यूजीसी की आरक्षण नीति के अनुसार संवर्ग (गीं) का रोस्टर बिंदु
 - ल. यदि डीपीसी द्वारा नियमानुसार लिया गया हो तो साक्षात्कार/कुशलता परीक्षा/लिखित परीक्षा में प्रत्याशी का निष्पादन
- (iv) डीपीसी से मामलों की छंटाई की अपेक्षा की जाती है तथा वह उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों जैसे एसीआर/एपीएआर, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, रोस्टर, भर्ती नियमों आदि के आधार पर पात्रता के बारे में निर्णय ले सकती है।
- टिप्पणी : इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मचारी संबंधित अनुभाग को विशेष अवधि (यों) के लिए पूरी तरह भरी गई मूल्यांकन रिपोर्ट (टों) के प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, विनिर्दिष्ट किया गया प्राधिकारी किसी विशेष अवधि के लिए एपीएआर में टिप्पणी दर्ज नहीं करता हे तो डीपीसी/छंटाई समिति उस विशेष अवधि (यों) की

रिपोर्ट (टॉं) की उपेक्षा करेगी और उसके पूर्व की अविध(यों) की रिपोर्ट (टॉं) को ध्यान में रखेगी। विनिर्दिष्ट अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह इस उद्देश्य से रखे जाने वाले संबंधित रिजस्टर में प्रविष्टि करे तथा संबंधित कर्मचारी को मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने के प्रमाण के रूप में उचित रसीद दे। इस संबंध में एपीएआर की प्रत्येक गतिविधि की संबंधित रिजस्टर में तब तक उचित प्रविष्ट होगी जब तक कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हैं

20. पदोन्नित की क्रियाविधि

- (i) नीचे दिए गए पैरा (v) में विशिष्टीकृत पदों के लिए पदोन्नित की शर्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय पदों की किसी भी श्रेणी के संदर्भ में पदोन्नित हेतु डीपीसी द्वारा अपनाई जाने वाली विधि और क्रियाविधि के बारे में निर्णय ले सकता है। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार से उद्देश्यपरक विधि से सक्षमता के मूल्यांकन के लिए किसी पद हेतु अर्हकता अंकों को निर्धारित कर सकता है और इसके साथ ही लिखित परीक्षाएं / साक्षात्कार या अन्य कार्य / व्यवसाय संबंधी परीक्षाएं ले सकता है। ऐसे मामलों में कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा। डीओपीटी द्वारा समय—समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किनष्ठ स्तर के अराजपत्रित समूह 'ख' और 'ग' श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार की अपेक्षा समाप्त की जा सकती है।
- (ii) यदि कोई प्रत्याशी पात्रता की शर्तों से अधिक सक्षम है तो वह अपनी पात्रता की तिथि से पहले अगले उच्च पद पर पदोन्नित का पात्र नहीं बन जाएगा/जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों या एपीएआर, सतर्कता अनापित रिपोर्टों जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात व विभागीय पदोन्नित समिति गठित की जाएगी तािक कर्मचारियों की पात्रता का मूल्यांकन और आकलन किया जा सके। डीपीसी की अनुशंसाओं/विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति प्राप्त होने पर कर्मचारियों की पदोन्नित के लिए विचार किया जाएगा।
- (iii) शैक्षणिक इतर स्टाफ की सभी पदोन्नितयां विभागीय पदोन्नित समिति की अनुशंसाओं की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- (iv) उच्च श्रेणी लिपिक, सहायकों, अर्ध व्यावसायिक सहायकों, पुस्तकालय सहायकों या समय—समय पर पहचाने गए अन्य पदों पर पदोन्नित के लिए टंकण परीक्षा/कुशलता परीक्षा और कम्प्यूटर का ज्ञान एक अनिवार्य अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर के ज्ञान सिहत कुशलता परीक्षा/टंकण परीक्षा में उत्तीण होना विश्वविद्यालय के उन सभी आशुलिपिकों तथा वैयक्तिक सहायकों के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है जिनपर वैयक्तिक सहायक या निजी सचिव के रूप में पदोन्नित हेतु विचार किया जाना है, जैसा कि इन नियमों में निर्धारित पात्रता के मानदंडों में निर्धारित किया गया है।
- (v) निष्पादन न कर पाने/दुराचरण/दुर्व्यव्यवहार अथवा सीसीएस आचरण नियमावली 1965 के नियम 3-क, ख और ग के उल्लंघन के कारण परिवीक्षा की अविध दो वर्ष के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। यदि निष्पादन के बारे में या उपरोक्त विशेषताओं के बारे में कोई सुधार नहीं होता है तो विश्वविद्यालय और सुधार के लिए कोई अवसर दिए बिना संबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई कर्मचारी बढ़ी हुई परिवीक्षा अविध संतोषजनक ढंग से पूरी करने के पश्चात् स्थायी हो जाता है तो अगले उच्चतर पद पर पदोन्नित की उसकी पात्रता आनुपातिक रूप से एक वर्ष के लिए बढ़ जाएगी। बशर्ते कि सुनिश्चित वृत्ति प्रगित स्कीम (एसीपीएस)/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति प्रगित स्कीम (एमएसीपीएस) या वृत्ति प्रगित स्कीम के अंतर्गत ऊपर के पद पर कोई पदोन्नित न हुई हो। दूसरे शब्दों में ऐसे कर्मचारियों के मामले में पात्रता की वास्तिवक तिथि से एक वर्ष के बाद पदोन्नित/एसीपी स्कीम/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति प्रगित स्कीम (एमएसीपीएस)/वृत्ति प्रगित स्कीम के लिए विचार किया जाएगा।

21. तदर्थ पदोन्नतियां

- i) यदि कोई रिक्त पद विद्यमान है और फीडर चैनल में पदोन्ति के लिए कोई पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुभव में कम से कम एक वर्ष की छूट दिए जाने पर विचार कर सकता है तथा उपरोक्त नियम 17 और 19 में निर्धारित सभी क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तदर्थ आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नत कर सकता है। तथापि, यदि कर्मचारी के मामले में नियमित पदोन्नित हेतु विचार नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था एक वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती है। ऐसे मामलों में प्रत्याशी की ऐसी तदर्थ पदोन्नित की पात्रता की तिथि के पूर्व की पिछली पांच रिपोर्टों में से कम से कम तीन उत्कृष्ट होनी चाहिए।
- ii) वे कर्मचारी इन नियमों के अनुसार वांछित अर्हता व अनुभव तथा पात्रता के अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके मामले में भी छुट्टी/लियन/प्रतिनियुक्ति के कारण हुई रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ पदोन्नित के लिए विचार किया जा सकता है या ऐसे मामलों में भी पदोन्नित हेतु विचार किया जा सकता है जहां डीपीसी/चयन समिति की नियमित बैठकें बुलाना संभव न हो। इसके लिए उपरोक्त नियम 18(ई) के अनुसार पिछले वर्षों में न्यूनतम स्कोर 5 (समूह 'ख' और 'ग' के पदों के लिए) और 7 (समूह 'क' के पदों के लिए) होने चाहिए। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित रिकॉर्डों की उचित छंटाई के पश्चात् अपने विवेकाधिकार से सीधे तदर्थ पदोन्नित का निर्णय लिया जा सकता है। संबंधित रिकॉर्डों में रिक्त पद, एपीएआर, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट (टैं), वरिष्ठता सुची, रोस्टर स्थिति आदि शामिल हैं।

22. पैनल

(क) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए तैयार किए गए पैनल सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। यह एक वर्ष की अवधि समाप्त होने या कोई नया पैनल तैयार होने, इसमें से जो भी पहले हो, पर समाप्त हो जाएगा।

23. सुनिश्चित वृत्ति प्रगति स्कीम (एसीपी)/एमएसीपी/वृत्ति प्रगति स्कीम (सीएएस)

- (i) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक इतर स्टाफ के संबंध में एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित /जारी किए गए आदेशों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत होगा।
- (ii) उप कुलसचिव या समतुल्य स्तर के पद तक एसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के मामले में कुलसचिव छंटाई सिमिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब कभी भी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित होगा, कुलपित कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ और एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य सदस्य नामित होगा।
- (iii) शिक्षण इतर स्टाफ के मामले में लागू उपरोक्त वृत्ति उन्नयन स्कीमों में कोई विवाद होने पर विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

24. परिवीक्षा की अवधि तथा स्थायी नियुक्ति

- (i) **सीधी भर्ती के मामले मे**ं चुने गए प्रत्याशी को उसके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकारी असंतोषजनक निष्पादन, दुराचार या दुर्व्यव्यवहार के आधार पर परिवीक्षा की अविध को अपने विवेकाधिकार से एक वर्ष और बढ़ा सकता है। यदि इस सब के बावजूद संबंधित कर्मचारी की समझ में कोई सुधार नहीं होता है तो उसे एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के एवज में एक माह के वेतन का भुगतान करके उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। संबंधित कर्मचारी भी एक माह का नोटिस देकर या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन जमा कराकर अपने पद को छोड़ने के अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है।
- (iii) अगले उच्चतर पद पर पदोन्नित के मामले में कर्मचारी (यों) को दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा (पद के उसी समूह में पदोन्नित के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं)। यह अविध डीपीसी / चयन सिमित की तिथि से गिनी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी असंतोषजनक निष्पादन, दुराचार या दुर्व्यव्यवहार के आधार पर परिवीक्षा की अविध को अपने विवेकाधिकार से एक वर्ष और बढ़ा सकता है अथवा यदि पद पर नियुक्त कर्मचारी पद के लिए निर्धारित शर्तों व नियमों को पूरा करने में असफल होता है तो भी उसकी परिवीक्षा की अविध बढ़ाई जा सकती है। यदि इसके बावजूद भी उसके व्यवहार / समझ में कोई सुधार नहीं होता है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसके मूल पद पर पदावनत किया जाना चाहिए और उसके परिणामस्वरूप इस कर्मचारी की पदोन्नित के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध जिन भी कर्मचारियों की पदोन्नित हुई थी उन्हें भी अपने मूल पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। तथािप ऐसा उस मामले में होगा जहां उस समय उपलब्ध समान रिक्त पद पर अन्य कर्मचारियों को समायोजित करना संभव न हो।
- (iv) परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित केन्द्र सरकार के अन्य सभी नियम, जो समय—समय पर संशोधित होंगे, पूर्णरूपेण लागू होंगे।

टिप्पणी:

- (i) यदि किसी पद/किन्हीं पदों पर भर्ती किया गया/पदोन्नत कोई कर्मचारी टुकड़ों पर अवकाश लेता है या अपने परिवीक्षा की अविध के दौरान दो माह से अधिक का एक बार में अवकाश लेता है तो उसकी परिवीक्षा की अविध आनुपातिक रूप में बढ़ाई जाएगी अर्थात् परिवीक्षा की अविध को संबंधित कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश की कुल अविध के बराबर बढ़ा दिया जाएगा। समाप्त हो जाने वाले अवकाश/मातृत्व अवकाश/पैतृक अवकाश, परिणत अवकाश को यथा उल्लिखित अनुसार अवकाश की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा।
- (ii) किसी भी विरोधाभाषी स्थिति से बचने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवीक्षा संबंधी मामलों की प्रत्येक छह माह में समीक्षा की जानी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के निष्पादन की समीक्षा का परिणाम अनापेक्षित पाया जाता है तो उसे उचित रूप से परिणामों की चेतावनी दी जानी चाहिए अर्थात् उसे चेताया जाना चाहिए कि जिस पद पर वह नियुक्त/पदोन्नत हुआ/हुई है उस पद से उसकी पदावनित हो सकती है/सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। ऐसी चेतावनी पर्याप्त समय रहते दी जानी चाहिए जिसके बाद संबंधित कर्मी के निष्पादन की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।
- (iii) संविदा आधार पर, प्रतिनियुक्ति पर, निश्चित अविध के लिए नियुक्त कर्मचारियों या सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में कोई परिवीक्षा अविध नहीं होगी।
- (iv) विश्वविद्यालय के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में उनकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान सामान्यतः बाहर रोजगार पाने के लिए कोई भी आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि इस प्रकार के अनुरोध पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से विचार किया जाता है तो आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित कर्मचारी से यह प्रतिज्ञा—पत्र प्राप्त करना होगा कि अन्य विभाग में उसका चयन होने पर वह अपने वर्तमान पद से त्याग—पत्र दे देगा/देगी।
- (v) विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को तब तक उसके पद पर स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सेवा करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

25. आयु तथा अनुभव में छूट

- (क) एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले प्रत्याशियों के मामले में आयु तथा अनुभव के लिए छूट देने हेतु वैधानिक प्रावधान भारत सरकार के मानदंड के अनुसार लागू होंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया प्रमाण—पत्र निर्धारित आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तथापि, अंकों के प्रतिशत सहित अर्हता में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत्य है। ऐसी छूट पर उचित मामलों में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि भारत सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग समिति इसकी अनुशंसा करे।
- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रबंध मंडल महिला प्रत्याशियों, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों/संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के मामले में आयु—सीमा तथा अनुभव में छूट प्रदान कर सकता है।

26. अनुशासन/सतर्कता अनापत्ति रिपोर्टें

- (i) वह प्रत्याशी जो पहले से ही सेवा में है, अपने नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई न तो की गई है और न ही लंबित है। इसके अतिरिक्त सतर्कता अनापत्ति प्रमाण—पत्र आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) प्रत्याशी की पात्रता अथवा अन्यथा किसी वास्तविक सूचना या किसी दस्तावेज को जानबूझकर छुपाना और इसके साथ ही आवेदन में गलत दस्तावेज पेश करने/या गलत विवरण/सूचना देने या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना या उपलब्धियों/जाित, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव या मूल निवासी संबंधी दस्तावेज आदि गलत रूप में प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले में छानबीन/जांच करने का अधिकार होगा तथा वह नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया या रोजगार संबंधी प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय इस संबंध में और कार्रवाई के लिए प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

27. किनाइयों को दूर करना

- (i) प्रबंध मंडल समय–समय पर इन नियमों के प्रावधानों के परिचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकता है।
- (ii) इन नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों से संबंधित सभी विद्यमान नियम और आदेश अधिक्रमित हो सकते हैं। तथापि, ऐसे विद्यमान नियमों तथा आदेशों के अनुपालन में पहले से ही की जा रही कार्रवाई को इन नियमों के अंतर्गत संचालित हुआ माना जाएगा।

28. व्याख्या

नियमों के किसी भी उपबंध के संबंध में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता के न होने पर प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

29. नियमों का संशोधन

प्रबंध मंडल को किसी भी या इन सभी नियमों को संशोधित करने, सुधार कर परिवर्तित करने, वापस लेने, निलंबित करने या छूट देने का प्राधिकार होगा। प्रबंध मंडल के निर्णय अंतिम होंगे और सभी कर्मचारी उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे।

30. शेष मामले

इन नियमों में जिन मामलों को विशिष्टीकृत नहीं किया गया है उनके संबंध में संबंधित प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए या भारत सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे, जैसा कि समय—समय पर संशोधित भी हो सकता है और अनका अनुपालन किया जाएगा। यदि इन नियमों के किसी प्रावधान और अन्य अधिनियम/विधानों के किसी अन्य प्रावधान के बीच टकाराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो अधिनियम/विधानों के प्रावधान विद्यमान रहेंगे तथा इन नियमों के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे।

31. अधिकारियों का भारत या/और विदेश में सेवा करने का दायित्व

नियुक्त कर्मचारी भारत या / और विदेश में कहीं भी कार्य करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं।

32. न्यायिक क्षेत्र

विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई भी विवाद, कोई भी मुकदमा या वैधानिक कार्यवाही के मामले में न्यायिक क्षेत्र की सीमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद होगा।

33. बचाव

इन नियमों में निहित कोई भी तथ्य जो आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य छूटों को प्रवाहित करता है, वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार निपटाए जाने चाहिए। भर्ती नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में. अंग्रेजी प्रबल होगा।

34. भर्ती की सामान्य शर्ते एवं नियम

- i. मात्र पात्रता की शर्ते पूरी करने पर कोई भी प्रत्याशी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाए जाने का पात्र नहीं हो जाएगा। प्रत्येक मामले में सभी प्रत्याशियों की पात्रता के निर्धारण की तिथि विज्ञापन में आवेदनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में कोई भी प्रत्याशी यदि न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है तो उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा उस विशेष पद के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि को उस प्रत्याशी की योग्यतानुसार किया जाएगा।
- ii. विज्ञापन में निर्धारित आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर वांछित अर्हता तथा अनुभव प्राप्त होने के अतिरिक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए किसी भी अतिरिक्त अर्हता और अनुभव को चयन के समय ध्यान में रखा जाएगा। इन नियमों में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी विशेष पद के लिए वांछित अनुभव को या तो केवल एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परिकलित किया जाएगा या दो या इससे अधिक क्षेत्रों में अनुभव की गणना करते हुए किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
- iii. वह प्रत्याशी जो पहले से ही सेवा में हो, उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। तथापि, वह आवेदन/आवेदनों की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की अंतिम तिथि के 30 दिनों के अंदर अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करते हुए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति भेज सकता है/सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रति नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन उसके नियोक्ता द्वारा सीआर डोज़ियर के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए तथा उचित माध्यम से वांछित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे यथानुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- iv. प्रत्याशी का यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्धारित अर्हता, अनुभव आदि के अनुसार जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है / रही है, उसके लिए अपना मूल्यांकन स्वयं करे तथा भली प्रकार भरा हुआ आवेदन वांछित सूचना, दस्तावेजों तथा अन्य समर्थनकारी सामग्री के साथ प्रस्तुत करे, जैसी कि आवेदन में अपेक्षा की गई है। किसी वास्तविक सूचना को दबाना, नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना, गलत या झूठी सूचना उपलब्ध कराना या प्रत्याशी द्वारा कोई भी अन्य अवांछनीय कार्य करना अनुचित होगा और इससे उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी भविष्य में किसी भी समय उपरोक्त प्रकार का कोई मामला पाया जाता है और यह दिखाई देता है कि प्रत्याशी के पास निर्धारित अर्हता व अनुभव नहीं था जिसे किसी भी कारणवश साक्षात्कार के समय ज्ञात नहीं किया जा सका तो इस उपबंध के अनुसार उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा तथा ऐसा प्रत्याशी द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा—पत्र के आधार पर भी किया जा सकता है। ऑफर या नियुक्ति के पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भर्ती नियमों में अथवा विशेष रूप से किसी भी पद के संबंध में पात्रता के मामले में कोई भी अस्पष्ट स्थित होने पर प्रबंध मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- v. िकसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों / दावों आदि को सक्षम प्राधिकारियों / स्रोतों द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात ही स्वीकार किया जाएगा। यदि सत्यापन के पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में कोई दावा / प्रमाण-पत्र / दस्तावेज झूटा / नकली / गलत / संदेहास्पद पाया जाता है तो उस दस्तावेज को तत्काल अस्वीकार दिया जाएगा और प्रत्याशी के विरुद्ध उसके इस दुराचरण के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी जिसमें उसकी उम्मीदवारी को रद्द करना शामिल है और यदि उसकी नियुक्ति हो चुकी है तो वह नियुक्ति भी रद्द मानी जाएगी।
- vi. भर्ती प्रक्रिया या रोजगार के किसी भी अवस्था में यह पता चलता है कि प्रत्याशी ने पात्रता या किसी अन्य से संबंधित वास्तविक सूचना को जानबूझकर छुपाया है और उसके पश्चात् आवेदन में झूठे दस्तावेज / या गलत विवरण / सूचना दी है या दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है अथवा जाति, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव या मूल निवास आदि के बारे में गलत दस्तावेज / सूचना उपलब्ध कराई है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा यदि पहले से ही नियुक्ति हो चुकी है तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- vii. किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति को समय—समय पर संशोधित सेवा शर्तों / भर्ती की विधि को संचालित करने वाले अधिनियम / विधानों / अध्यादेशों / विनियमों / नियमों आदि के द्वारा संचालित किया जाएगा और विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के संकल्पों, भारत सरकार के नियमों / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा जो समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए होंगे।
- viii. शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्याशियों के लिए उनके चरित्र/आचरण का सत्यापन पुलिस/उप समाहर्ता/आयुक्त के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो बिना कोई सूचना दिए नियुक्ति रदद कर दी जाएगी।
- ix. चयनित प्रत्याशी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा, विश्वासपात्रता की शपथ लेनी होगी तथा नियुक्ति होने पर एक निर्धारित फार्म में इस आशय की शपथपूर्ण पुष्टि करनी होगी।
- x. नियुक्ति होने पर प्रत्याशी निर्धारित प्रोफार्में में अपनी वैवाहिक स्थिति की घोषणा करेगा / करेगी। यदि प्रत्याशी का पति / पत्नी जीवित है तो यदि लागू नियम के अनुसार छूट प्राप्त न हो तो उसकी नियुक्ति रदद कर दी जाएगी।

- xi. भर्ती के समय विश्वविद्यालय तथा संबंधित कर्मचारी के बीच एक सेवा समझौता किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जानी चाहिए। शैक्षणिक इतर कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय के बीच लिखित समझौता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाना चाहिए। ऐसे सेवा समझौते पर लागू दरों के अनुसार उचित रूप से स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।
- xii. चुने गए प्रत्याशी को पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपने स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सा जांच / परीक्षा करानी होगी। यदि उसे प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा योग्य नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति के लिए उसे दिया गया ऑफर वापस ले लिया जाएगा। जो व्यक्ति सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों में पहले से ही रोजगाररत हैं उन्हें अपने कार्यस्थल से किसी भी सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण–पत्र पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए।
- xiii. नियुक्ति/रखे जाने के शर्ते एवं नियम चुने गए प्रत्याशियों को 'नियुक्ति/रखे जाने के ऑफर' में सूचित किए जाएंगे। यदि प्रत्याशी निर्धारित अविध में नियुक्ति/रखे जाने के ऑफर में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों को स्वीकार नहीं करता है तो ऑफर वापस लिया हुआ माना जाएगा और इस संबंध में प्रत्याशी के किसी भी पत्राचार/संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को पद के कर्तव्यों की प्रकृति को बढ़ाने का अधिकार है तथा वह किसी भी समय यहां तक कि शनिवार और रविवार तथा अवकाश के दिनों जिसमें रात्रि में की जाने वाली ड्यूटी भी शामिल है, को करने के लिए प्रत्याशी से कह सकता है। भले ही इस प्रकार की ड्यूटी पहले से अधिसूचित किसी पद के कर्तव्यों में उल्लिखित न हो लेकिन उसे इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय का प्रशासन मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय सप्ताह की अनुसूची के होने के बावजूद अपने कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिनों तक कार्य करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के व्याख्यान की अनुसूची, सेवा की अनिवार्यता तथा संगठन के हित में किया जा सकता है। तथापि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए कार्यशील घंटों की कुल संख्या भारत सरकार के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों के लिए समान होनी चाहिए।
- xiv. कर्तव्यों की प्रकृति : चुने गए प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय के समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार कर्तव्यों को निष्पादित करना होगा। विश्वविद्यालय स्थिति की आवश्यकता के अनुसार किसी कर्मचारी को कोई भी कर्तव्य सौंपने के अधिकार से युक्त होगा। ऐसा कार्य के घंटे न होने / छुट्टी के दौरान भी किया जा सकता है तथा कर्मचारी को ऐसे कर्तव्य का अनिवार्य रूप से निष्पादन करना होगा, ताकि इस संबंध में किसी अनुशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
- xv. चुने गए व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी।
- xvi. चुने गये प्रत्याशी को 0.1.1.2016 को या उसके पश्चात् भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 01.10.2004 से लागू भारत सरकार की 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (जिसे पहले 'नई पेंशन योजना' कहा जाता था), के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी। तथापि, जो कर्मचारी इस योजना के लागू होने के पहले सेवा में थे उनके मामले में पेंशन नियम तत्कालीन योजना के अनुसार लागू होंगे।
- xvii. चुने गए प्रत्याशी को देश में या देश के बाहर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या परियोजना में और इसके साथ ही भविष्य में स्थापित किए जाने वाले स्थान पर कार्य करना होगा।
- xviii. चुने गए प्रत्याशी विश्वविद्यालय के अधिनियम/विधानों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों और इसके साथ ही भारत सरकार के सीसीएस(आचरण) नियमावली, 1964 तथा सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965, समय—समय पर यथासंशोधित अथवा विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल द्वारा विशेष रूप से कर्मचारियों का आचरण बनाए रखने के लिए निर्धारित किसी अन्य नियम/संकल्पना के अनुसार संचालित होंगे।
- xix. शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, आयु, जाति तथा अन्य दस्तावेजों के प्रमाण–पत्रों की स्वतः सत्यापित प्रतियां डाक द्वारा भेजनी चाहिए (डीओपीटी कार्यालय आदेश सं. के–11022/67/2012–एआर दिनांक 10 मई 2015)।
- xx. एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी प्रत्याशियों के मामले में अंकों में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगी।
- xxi. श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकॉर्ड की न्यूनतम अपेक्षा 55 प्रतिशत अंक होगी (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जा रहा हो वहां प्वांइट स्केल में समतुल्य ग्रेड लागू होगा)।
- xxii. एमटीएस पद (दों) के विरुद्ध ऐसे प्रत्याशियों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए जिनके पास डाटा फीडिंग / कम्प्यूटर पर टाइप करने, रिकॉर्ड का रखरखाव करने, फोटोकॉपियर / लेमिनेशन मशीनों आदि को चलाने व उनका रखरखाव करने आदि का ज्ञान हो अथवा किसी अन्य तकनीक की / व्यावसायिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो।
- xxiii. प्रत्याशी को साक्षात्कार के समय अपनी आयु, अर्हता, अनुभव और जाति आदि से संबंधित सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी उसके द्वारा सत्यापित / प्रमाणित फोटो प्रतियों के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है और अपने आवेदन के साथ लगे अन्य अनुलग्नकों की फोटोप्रतियों के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया जाएगा तथा इस संबंध में बिना किसी अन्य पत्राचार / संचार के उसकी उम्मीदवारी रदद मानी जाएगी।

- xxiv. (i) विश्वविद्यालय को किसी भी कारण से विज्ञापित पद/पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। यदि किसी कारणवश किसी विशेष पद पर नियुक्ति के पश्चात् कोई रिक्त पद होता है तो उस रिक्त पद को एक वर्ष की अविध के लिए तैयार किए गए पैनल से भरा जा सकता है। यह एक वर्ष की अविध चयन समिति की बैठक की तिथि से लागू होगी। किसी भी मामले में प्रत्येक पैनल चयन समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के बाद समाप्त/अवैध हो जाएगा।
 - (ii) विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूपेण वापिस लेने का अधिकार है।
 - (iii) सीधी भर्ती के आधार पर पद को भरने के लिए चयन समिति को चयनित प्रत्याशियों तथा आरक्षित प्रत्याशियों की सूची तैयार करनी होगी। चयन सूची में प्रत्याशियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित पदों /रिक्त पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी। चयन समिति एक आरक्षित प्रत्याशियों की सूची भी तैयार करेगी जिसमें 2—3 नाम होंगे। आरक्षित प्रत्याशियों के पैनल की सूची सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा विश्वविद्यालय को किसी प्रत्याशी के निर्धारित समय में पदभार न ग्रहण करने पर उस पद पर आरक्षित पैनल से किसी प्रत्याशी को नियुक्त करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई चुना हुआ प्रत्याशी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् पद से त्याग पत्र दे देता है या अपना पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष की अविध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या इस अविध में कोई अन्य पद रिक्त होता है तो उसे आरक्षित प्रत्याशियों के पैनल से भरा जा सकता है।
 - (iv) विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को रद्द करने का अधिकार है।
 - (v) विश्वविद्यालय को अति आवश्यक परिस्थिति में भारत सरकार/प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित भुगतान पर आवश्यकता के अनुरूप निश्चित अवधि के लिए परामर्शक को नियुक्त करने का अधिकार है।
 - (vi) यदि किसी भी पद(दों) के लिए किसी कारणवश विज्ञापन वापिस लिया जाता है तो प्रत्याशी से लिया गया आवेदन शुल्क या उससे एकत्रित किया गया कोई भी अन्य शुल्क 30 कार्य दिवसों में वापस लौटा दिया जाएगा।
- xxv. क. अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - ख. अपने पक्ष में की गई किसी भी प्रकार की बहस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य बना देगी।
 - ग. आवेदकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रपत्र पर आवदेन करें। खाते में देय बैंक ड्राफ्ट वाले अपेक्षित शुल्क रहित प्रत्येक आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा।
- xxvi. डाकघर द्वारा हुई देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्याशी को अपने पत्राचार के संबंध में पूरी सूचना देनी होगी तथा अनुलग्नकों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही उसे पिनकोड सहित स्थायी पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल सं., ई–मेल आईडी, आदि का पूरा विवरण अपने आवदेन में दे। जिससे किसी भी समय सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा हो।
- xxvii. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए प्रत्याशी उप कुलसचिव (स्थापना) या विश्वविद्यालय द्वारा नामित किसी भी अधिकारी से लिखित में सम्पर्क कर सकता है। प्रत्याशी की कोई शिकायत होने पर प्रत्याशी विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से भर्ती संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में शिकायत के निपटारे के लिए लिखित में अनुबंध कर सकता है।

डॉ अरविन्द कुमार कुलपति

[विज्ञापन—III / ४ / असाधारण / ३१८ / १८]

परिशिष्ट-1

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती / विभागीय पदोन्नति समिति के लिए चयन समितियां

- 1. चयन समितियों का गठन निम्नानुसार होगा :
 - क) कुलसचिव और लेखा नियंत्रक आदि जैसे विधायी पदों के लिए चयन समिति रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के यथासंशोधित विधानों के विधान 18(2) के अनुसार
 - (ख) सहायक कुलसचिव तथा इससे ऊपर के पद (विधायी पदों के अतिरिक्त) के लिए चयन समिति

1.	कुलपति या कुलपति द्वारा नामित कम से कम प्राध्यापक की श्रेणी का	:	अध्यक्ष
	नामिति		
2.	प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा		सदस्य
	नामित एक सदस्य		
3.	कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों	:	सदस्य
4.	यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई एक	:	सदस्य
	एससी / एसटी / ओबीसी / अल्प संख्यक / महिला / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों		

	का न हो तो इन्हीं श्रेणियों में से कुलपति द्वारा नामित किसी एक श्रेणी का प्रतिनिधि		
5.	संबंधित महाविद्यालय का अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
6.	कुलसचिव / उप कुलसचिव / कुलपति द्वारा नामित समतुल्य श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी	:	सदस्य सचिव

(ग) सहायक कुलसचिव से नीचे के तकनीकी पदों के लिए चयन समिति

` '			
1.	कुलपति द्वारा नामित संबंधित महाविद्यालय का अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष	:	अध्यक्ष
2.	प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा	:	सदस्य
	नामित एक सदस्य		
3.	कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों	:	सदस्य
4.	यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई एक	:	सदस्य
	एससी / एसटी / ओबीसी / अल्प संख्यक / महिला / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों		
	का न हो तो इन्हीं श्रेणियों में से कुलपति द्वारा नामित किसी एक श्रेणी		
	का प्रतिनिधि		
5.	संबंधित विभाग / केन्द्र / संस्थान का अध्यक्ष	:	सदस्य
6.	कुलसचिव/उप कुलसचिव/कुलपति द्वारा नामित समतुल्य श्रेणी का	:	सदस्य सचिव
	कोई अन्य अधिकारी		

(घ) सहायक कुलसचिव से नीचे के गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन समिति

1.	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2.	प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा	:	सदस्य
	नामित एक सदस्य		
3.	कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों	:	सदस्य
4.	यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई एक	:	सदस्य
	एससी / एसटी / ओबीसी / अल्प संख्यक / महिला / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों		
	का न हो तो इन्हीं श्रेणियों में से कुलपति द्वारा नामित किसी एक श्रेणी		
	का प्रतिनिधि		
5.	कुलपति द्वारा नामित लेखा नियंत्रक/पुस्तकालयाध्यक्ष या कोई अन्य	:	सदस्य
	अधिकारी		
6.	कुलपति द्वारा नामित कोई एक सहायक कुलसचिव या समतुल्य श्रेणी का	:	सदस्य सचिव
	कोई अन्य अधिकारी		

परिशिष्ट 2

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-ग्वालियर मार्ग, झांसी- 284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

<u>अनुसूची</u> भर्ती नियम (गैर–शैक्षणिक कर्मचारी), 2016

क्र.सं.	पद का नाम	समूह	सातवे वेतन आयोग के अनुसार
			कोर वेतनमान
I.	विधायी पद		
1.	कुलसचिव	क	14
2.	लेखा नियंत्रक	क	14
II.	अन्य पद		
3.	उप कुलसचिव (शैक्षणिक / स्थापना)	क	12
4.	उप लेखानियंत्रक	क	12
5.	कुलपति का सचिव	क	11
6.	सहायक निदेशक — शारीरिक शिक्षा	क	10
7.	सहायक कुलसचिव	क	10
8.	सहायक कुल सचिव (विधायी)	क	10
9.	सहायक लेखानियंत्रक	क	10
10.	सहायक लेखाधिकारी	ख	8
11.	सहायक	ख	7

12.	अवर श्रेणी लिपिक	ग	4
13.	डाटा एंट्री आपरेटर	ग	2
III.	विलगित पद		
14.	छात्र कल्याण अधिकारी	क	10
15.	जन सम्पर्क अधिकारी	क	10
IV.	अनुसचिवालयीन सेवाएं		
16.	निजी सचिव	क	8
17.	वैयक्तिक सहायक	ख	6
V.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं		
18.	चिकित्सा अधिकारी	क	10
19.	कम्पाउंडर ड्रेसर	ग	5
VI.	पुस्तकालय सेवाएं		
20.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	क	10
21.	पुस्तकालय सहायक	ग	7
VII.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं		
22.	वरिष्ठ कम्प्यूटर/ऑपरेटर/प्रोग्रामर	क	10
VIII.	अभियांत्रिकी सेवाएं		
23.	कार्यपालक अभियंता	क	11
24.	सहायक अभियंता (सिविल / विद्युत)	क	10
25.	इलेक्ट्रिशयन	ग	5
IX.	प्रयोगशाला सेवाएं		
26.	प्रयोगशाला तकनीशियन	ग	5
27.	पशुधन / फार्म सहायक	ग	5
28.	फील्ड व प्रयोगशाला सहायक	ग	3
X.	परिवहन सेवाएं		
29	वाहन चालक	ग	3

कोर वेतनमान तथा अन्य लाभ समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

कुलसचिव पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	कुलसचिव
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 14
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) कम से कम 55% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर
		उपाधि।
		(ii) 7000 रूपये या उससे अधिक के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में सहायक
		प्राध्यापक के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या 8000 रूपये
		के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की सेवा के साथ एसोसिएट
		प्राध्यापक के रूप में शैक्षिक प्रशासन में अनुभव।
		या
		एक शोध प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में
		तुलनात्मक अनुभव
		या
		15 के वर्ष प्रशासनिक अनुभव, जिनमें से 08 वर्ष का उप—कुलसचिव या
		समकक्ष पद के रूप में होना चाहिए।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	लागू नही

8.	भर्ती की प्रक्रियाः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

लेखा नियंत्रक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

नातकोत्तर
नें सहायक या 8000 के साथ भव।
ांस्थानों में
उप–लेखा
उपाधि या
गू होगी।
ा तक, जो
अधिनियम,
यु, जो भी
<u>.</u>
संगठित केलीय
, केन्द्रीय/ के लिए
क ।लए : तक, जो
(197, 911
ा न

10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय—समय पर संशाधित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
		अधिनियम, 2014 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

उप कुलसचिव (शैक्षणिक / स्थापना) पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	उप–कुलसचिव (शैक्षणिक / स्थापना)
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 12
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	सामान्यतः ५७ वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) कम से कम 55% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ
		स्नातकोत्तर उपाधि।
		(ii) शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ 6000 रूपये या उससे अधिक
		के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में सहायक प्राध्यापक के रूप में कम से
		कम ९ वर्ष का अनुभव।
		या
		एक शोध प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में
		तुलनात्मक अनुभव या
		व। 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, सहायक कुलसचिव या समकक्ष पद पर।
		वांछनीयः
		स्थापना/ परीक्षा/ वित्त के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव।
6.	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	आयु: नही
0.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	योग्यताः नहीं, लेकिन एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	से कम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
7.	होगी परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	
		लागू नही
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	50 % सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	50% पदोन्नित के द्वारा, अथवा इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती
9.	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	(सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार)।
٦.	पदान्तात / प्रातानयुक्त / समायाजन वाल मामला मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	पदोन्नितः वेतनमान-३ (रूपये15600-39100) + ग्रेड वेतन रु. 6600 के
	न पर ग्रंड जहां से पदांगात/ प्रातागयुात/ /समायोजन किया जाएगा	साथ सहायक कुलसचिव के पद पर पांच वर्षों का अनुभव।
	/ (((((((((((((((((((प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और अन्य दूसरे
		स्वायत्त सरंथानों में वेतनमान-3 (रूपये15600-39100) में नियमित आधार
10		पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

उप लेखानियंत्रक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	उप—लेखानियंत्रक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 12
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ५० वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) कम से कम 55% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर
		उपाधि।
		(ii) शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ 6000 रूपये या उससे अधिक
		के शैक्षणिक ग्रेड वेतन में सहायक प्राध्यापक के रूप में कम से
		कम ९ वर्ष का अनुभव।
		या

		एक शोध प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में
		तुलनात्मक अनुभव
		या
		सहायक लेखा नियंत्रक या समकक्ष पद के रूप में प्रशासनिक अनुभव के
		5 वर्ष
		वांछनीय:
		1. वित्त के क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव।
		2. बिजनेस एड्रमिनिस्टेशन (वित्त) / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या
		सीए/आईसींडब्ल्यूए योग्यता रखने वाले व्यक्ति।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	लागू नही
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	सरंथानों में वेतनमान-3 (रूपये15600-39100) में नियमित आधार पर
	/ समायोजन किया जाएगा	समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार
	1	

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

कुलपति का सचिव पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	कुलपति का सचिव
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 11
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	50 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगठन या समकक्ष से स्नातक की
	,	उपाधि के साथ अच्छा अकादिमक रिकॉर्ड।
		(ii) रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5,400 या समकक्ष स्थिति के ग्रेड
		में निजि सचिव के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
		याँ
		केन्द्रीय/राज्य सरकार/ भ.कृ.अ.प./ विश्वविद्यालयों/पीएसयू में वेतन बैंड–2
		में रु. 4,800/ वेतन बैंड–3 में रु. 5,400 के ग्रेड वेतन में निजि सचिव
		और व्यक्तिगत सहायक के रूप में 10 वर्ष की संयुक्त और निरंतर
		सेवा।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
	/समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक निदेशक–शारीरिक शिक्षा
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः 50 वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्यः (i) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या स्पोर्ट्स सांइस में स्नातकोत्तर उपाधि में लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55% अंक। यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण (एनईटी / एसएलईटी / एसईटी आदि) में अर्हता प्राप्त करने का साक्ष्य। या पीएच.डी. उपाधि शारीरिक शिक्षा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक और पीएच.डी. उपाधि के पुरस्कार के लिए प्रक्रिया), विनियमन 2009 के अनुसार (ii) अंतर-विश्वविद्यालय/ अंतर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं या राज्य और/या राष्ट्रीय चैम्पियनिशप में विश्वविद्यालय/ कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड। (iii) इन विनियमों के अनुसार आयोजित शारीरिक फिटनेस परिक्षण को पास करना। िटप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नही
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
9.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समायोजन किया जाएगा	नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक वाले प्रतिनियुक्ति या अधिकारियों के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक कुलसचिव पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक कुलसचिव
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ४० वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	एक अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55% अंकों या उसके
		समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	आयु: नही
		योग्यता: नहीं, लेकिन एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम
	होगी	से कम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	50% सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	

	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	50% पदोन्नति के द्वारा, अथवा इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती (सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार)।
9.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	पदोन्नित: वेतन बैंड-2 (रु.9300-34800) + ग्रेड वेतन रु. 4600/4800 में पॉच साल की नियमित सेवा के साथ सहायक/व्यक्तिगत सहायक। सहायक/व्यक्तिगत सहायक पदोन्नित के लिय अनुपात 4:1 होगा (पदोन्नित कोटा के तहत पदों पर नियुक्त)।
		प्रतिनियुक्तिः- केन्द्रीय/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थानों में वेतनमान-2 (रूपये 9300-34800) में 5 वर्ष तक नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गढन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक कुल सचिव (विधायी) पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक कुल सचिव (विधायी)
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	सामान्यतः ४० वर्ष से कम
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	एक अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55% अंकों या उसके
		समकक्ष ग्रेड के साथ कानून में उपाधि।
		वांछनीय:
		केन्द्रीय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/स्वायत्त संगठन में अदालत के
		मामलों को संभालने मे अनुभव।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	·
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्ति:- नियमित आधार पर या केन्द्रीय/राज्य सरकार,
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संगठनों में वेतन बैंड-2 (रु. 9300-
	/ समायोजन किया जाएगा	34800) में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ समान पदों वाले
		अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गढन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक लेखानियंत्रक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक लेखानियंत्रक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	सामान्यतः ४० वर्ष से कम

5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	एक अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55% अंकों या उसके
		समकक्ष ग्रेड के साथ रनातकोत्तर उपाधि।
		वांछनीय:
		1. वित्त के क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव।
		2. बिजनेस एडमिनिस्टेशन (वित्त) / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या
		सीए/आईसीडब्ल्यूए योग्यता रखने वाले व्यक्ति।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	आयु: नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	योग्यताः नहीं, लेकिन एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम
	होगी	से कम रनातक की उपाधि होनी चाहिए।
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	50% सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	50% पदोन्नति के द्वारा, जो असफलता/ प्रत्यक्ष भर्ती (सक्षम प्राधिकारी
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	के विवेकाधिकार के अनुसार) में असफल रहा।
0	·	3
9.	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	पदोन्नति: वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800) + ग्रेड वेतन रु. 4600/4800 में
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	पॉच वर्ष की नियमित सेवा के साथ जूनियर लेखा अधिकारी सहायक।
	/ समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्तिः- नियमित आधार पर या केन्द्रीय/राज्य सरकार,
		विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संगठनों में वेतन बैंड-2 (रु. 9300-
		34800) में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ समान पदों वाले
		अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक लेखाधिकारी पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक लेखाधिकारी
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ख'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 8
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की उपाधि।
		ii. योग्य एसएएस या समकक्ष परीक्षा।
		iii. कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और
		कंप्यूटर अधारित एकाउंटिग सॉफटवेयर।
		iv. केन्द्रीय/राज्य सरकारों / विश्वविद्यालय / अनुसंधान संस्थान या
		स्वायत्त संगठन में लेखा नकदी बजट कार्यो में पांच वर्ष का
		प्रासंगिक अनुभव।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	
0.	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	(11/2 /18)
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	60% सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	40% पदोन्नित के द्वारा वरिष्ठता-सह-फिटनेस के माध्यम से, अथवा
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती (सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकाधिकार के अनुसार)।
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	पदोन्निति: वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800) + ग्रेड वेतन रु. 4200 में पॉच
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	वर्ष की नियमित सेवा के साथ वित्त/लेखा सहायक।
	/समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्तिः- नियमित आधार पर या केन्द्रीय/राज्य सरकारों/
		विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त संगठन में वेतन बैंड—2 (रु.

			9300-34800) में 5 वर्ष केन्द्रीय में नियमित रूप से वित्त/लेखा के क्षेत्र में अधिकारी या सहायक।
ſ	10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गढन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ख'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 7
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि।
		ii. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त
		संगठन में प्रशासन /वित्त और लेखा में दो वर्ष का अनुभव।
		iii. कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	आयु: नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	योग्यताः हॉ
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	50% सीधी भर्ती के द्वारा (लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	साक्षात्कार के आधार पर)
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	पदोन्नति द्वारा 50%, उच्च श्रेणी लिपिक से वरिष्ठता–सह–फिटनेस के
		अनुसार और विभागीय परीक्षण को अर्हता प्राप्त करने के अधीन, अथवा
		इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती (सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकाधिकार के अनुसार)।
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	पदोन्नतिः वेतन बैंड-1 (रु. 5200-20200) + ग्रेड वेतन रु. 2400 में पॉच
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	वर्ष की नियमित सेवा के साथ उच्च श्रेणी लिपिक।
	/समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे स्वायत्त सरंथानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10		i i
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

उच्च श्रेणी लिपिक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	उच्च श्रेणी लिपिक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 4
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की उपाधि
		(ii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	योग्यताः हॉ
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	25% सीधी भर्ती के द्वारा

	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	75% पदोन्नति के द्वारा, अथवा इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति/प्रत्यक्ष भर्ती (सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार) में असफल रहा।
9.	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	पदोन्नितः वेतन बैंड-1 (रु. 5200-20200) + ग्रेड वेतन रु. 1900 में पॉच वर्ष की नियमित सेवा के साथ अवर श्रेणी लिपिक । प्रितिनयुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे स्वायत्त संस्थानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

डाटा एंट्री आपरेटर पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	डाटा एंट्री आपरेटर
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 2
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि
		(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द
		प्रति मिनट की टाइपिंग गति। (iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	(III) कप्यूटर अनुप्रयोगी की जीनकारी। लागू नही
0.	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	(II.Y. 161
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	रीधी भर्ती/ अनुबंध
0.	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों	9
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	टिप्पणी: सीधी भर्ती एक उपयुक्त तंत्र यानी लिखित परीक्षा, टाइपिंग
	पर अतिसति जा विभिन्न तिस्तिति स भर जार्ग	परीक्षा, कंप्यूटर योग्यता/ व्यवसाय परीक्षण और साक्षात्कार के माध्यम से
-		होनी चाहिए।
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नही
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति	
	/समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

छात्र कल्याण अधिकारी पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	छात्र कल्याण अधिकारी
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	50 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	i. संबंधित विषयों और प्रासंगिक बुनियादी विज्ञान सहित प्रासंगिक विषय में कम से कम 60% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। आईसीएआर— एएसआरबी,
		यूजीसी—सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) का साक्ष्य।

		या
		संबंधित विषयों और प्रासंगिक बुनियादी विज्ञान सहित प्रासंगिक
		विषय में पीएच.डी. के साथ वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 2 प्रकाशित
		शोध पत्रों जिनकी रेटिंग एनएएएस में 4.0 से अधिक हो।
		वांछनीय:
		भ.कृ.अ.प./संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों या प्रतिष्ठा के किसी भी संगठन
		में प्रशिक्षण /नियुक्ति का अनुभव।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक वाले प्रतिनियुक्ति/अनुबंध या
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	अधिकारियों के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
	/ समायोजन किया जाएगा	-
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

जन सम्पर्क अधिकारी पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	जन सम्पर्क अधिकारी
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान मे अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड
		के साथ जन संचार और जर्नलिज्म मे कम से कम 55% अंकों या
		उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
		(ii) किसी भी स्थापित अंग्रेजी समाचार पत्र/पत्रिका के संपादकीय
		विभाग कम से कम दो वर्ष का अनुभव और बोलने में अंग्रेजी और
		हिंदी के उत्कृष्ट आदेश के साथ।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएगें	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे
	मे वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	स्वायत्तं सरंथानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
	/ समायोजन किया जाएगा	m 0 1 1 0 0 0 1
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

निजी सचिव पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निजी सचिव
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 8
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि
		(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी / हिंदी में
		आशुलिपि में प्रवीणता। (iii) 35/30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी/हिंदी
		में आशुलिपि में प्रवीणता।
		(iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी।
		(v) वेतन बैंड-2 के साथ ग्रेड वेतन रु. 4600/4800 में केन्द्रीय/राज्य
		सरकारों/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त संगठन में
		व्यक्तिगत सहायक के रूप में पॉच वर्ष का अनुभव।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नही
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक वाले प्रतिनियुक्ति या अधिकारियों
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी—284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

वैयक्तिक सहायक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	वैयक्तिक सहायक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ख'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 6
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	 (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गित के साथ अंग्रेजी/हिंदी में आशुलिपि में प्रवीणता। (iii) 35/30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गित के साथ अंग्रेजी/हिंदी में आशुलिपि में प्रवीणता। (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी। (v) कंन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त संगठन में आशुलिपि के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नही

7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलीं	प्रतिनियुक्तिः नियमित आधार पर या केंद्रीय/राज्य सरकार,
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त सस्थानों में जूनियर आशुलिपिक के
	समायोजन किया जाएगा	रूप में 8 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

चिकित्सा अधिकारी पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	चिकित्सा अधिकारी
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस उपाधि।
		वांछनीय:
		(i) एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर चिकित्सा
		योग्यता।
		(ii) एक अस्पताल/कॉलेज/कॉर्पोरेट अस्पताल में उपाधि उपरांत
		योग्यता अनुभव।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक वाले प्रतिनियुक्ति/अनुबंध या
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	अधिकारियों के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी—284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

कम्पाउंडर ड्रेसर पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	कम्पाउंडर ड्रेंसर
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 5
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष

5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) कम से कम 55% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ
	-11 -1(11)	फार्मेसी / नर्सिंग में डिप्लोमा।
		(ii) अस्पताल के काम या ड्रेसिंग घावों के संचालन में एक वर्ष का
		अनुभव।
		वांछनीय:
		एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी/नर्सिंग में स्नातक की
		उपाधि।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
0.	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	(II.K. 161
	होगी	
	-	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	समान योग्यता अनुबंध के मामले में लागू होगी।
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	- "
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	9	गराम्स परस्य प्राप्त सबला गियन
	पदनाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना
		विज्ञान/दस्तावेजीकरण या कम से कम 55% अंकों या उसके
		समकक्ष ग्रेड पेशेवर उपाधि (या जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया
		जाता हैं, वहां बिंदु बिंदु में समकक्ष ग्रेड) में स्नातकोत्तर उपाधि।
		यूजीसी या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा
		उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण
		(एनईटी / एसएलईटी / एसईटी आदि) में अर्हता प्राप्त करने का
		साक्ष्य।
		या
		पीएच.डी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक और
		पीएच.डी. उपाधि के पुरस्कार के लिए प्रक्रिया), विनियमन 2009 के
		अनुसार पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/दस्तावेजीकरण या
		समकक्ष पेशेवर उपाधि में उपाधि।
		वांछनीय:
		(i) पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग या पीजीडीसीए या समकक्ष में
		पीजी डिप्लोमा।
		(ii) पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण का ज्ञान।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के मामले में एक ही योग्यता लागू होगी।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	C C	1

	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.		नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक वाले प्रतिनियुक्ति/अनुबंध या
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	अधिकारियों के मामले में समान योग्यता लागू होगी।
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

पुस्तकालय सहायक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

	पुराकालय राहार	यक पद क ानयुक्ति सब्धा ानयम
1.	पदनाम	पुस्तकालय सहायक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 7
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि/लाइब्रेरी
		विज्ञान या उसके समकक्ष में स्नातक की उपाधि।
		(ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति।
		(iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	आयु: नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	Ç Ç
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	प्रतिनियुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	स्वायत्त संस्थानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गढन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी–284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

वरिष्ठ कम्प्यटर ऑपरेटर / प्रोग्रामर पद के नियक्ति संबंधी नियम

-	C	
1.	पदनाम	वरिष्ठ कंम्प्यूटर/ऑपरेटर/प्रोग्रामर
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु–सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	कंम्प्यूटर तकनीक में एमटेक (कंम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कंम्प्यूटर साइंस)/
		एमसीए / एमएससी में कम से कम 55% अंक या इसके समेकक्ष ग्रेड।
		वांछनीय:
		विश्वविद्यालय/अनुसंधान प्रतिष्ठान/उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में
		सिस्टम नेटवर्क प्रशासन और प्रोग्रामिंग में तीन वर्ष का अनुभव।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष

	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्तिः केंद्र / राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे स्वायत्त सस्थानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

कार्यपालक अभियंता पद के नियक्ति संबंधी नियम

	कायपालक आभर	यंता पद के नियुक्ति संबंधी नियम
1.	पदनाम	कार्यपालक अभियंता
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 11
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	50 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	(i) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग (सिविल) में स्नातक की उपाधि। (ii) सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं/वैधानिक या स्वायत्त संगठन/अर्ध सरकारी/पीएसयू/विश्वविद्यालय प्रणाली/प्रतिष्ठित निजी संगठनों के सहायक अभियंता के रूप में प्रासंगिक क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव। निर्माण प्रबंधन/संरचनात्मक इंजीनियरिंग या समकक्ष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले लोगों को अनुभव में दो वर्ष का आराम दिया जाएगा। वांछनीय: (i) कार्यकारी अभियंता के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव, बहुस्तरीय भवनों की समयबद्ध निर्माण परियोजनाओं के प्रभारी और सीपीडब्ल्यूडी/ पीडब्ल्यूडी मानदंडों के अनुसार योजना/आकलन/निविदा में अनुभव है। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, अनुमानों की तैयारी/जांच, चित्र, संरचनात्मक विवरण, मात्रा का बिल, विकल्प/विचलन वस्तुओं के बयान और भवन और निर्माण से संबंधित अन्य संबंधित मुद्दों का अच्छा ज्ञान। (ii) कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी और नवीनतम प्रबंधन तकनीक/अन्य सॉफ्टवेयर का कार्य ज्ञान।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	८ पप सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति / अनुबंध
0.	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समायोजन किया जाएगा सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	प्रतिनियुक्तिः सीपीडब्ल्यूडी /राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं / वैधानिक या स्वायत्त संगठन / अर्ध सरकारी / पीएसयू / विश्वविद्यालय प्रणाली के अधिकारी:- समान पद धारण करना। या प्रासंगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग में उपाधि रखने वाले सहायक अभियंता के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा। पा पासंगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले सहायक अभियंता के रूप में आठ वर्ष की नियमित सेवा। भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत) पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत)
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 10
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	40 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग (सिविल/इलेक्ट्रिकल) में स्नातक की उपाधि। (ii) सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं/वैधानिक या स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय प्रणाली/प्रतिष्ठित निजी संगठनों के जूनियर अभियंता के रूप में प्रासंगिक क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं या इसी तरह की संगठित सेवाओं/वैधानिक या स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय प्रणाली/प्रतिष्ठित निजी संगठनों में प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग (सिविल/इलेक्ट्रिकल) में डिप्लोमा। वांछनीयः ऑटोकैड, अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर का कार्य ज्ञान।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति
9.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्तिः सीपीडब्ल्यूडी / राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं / वैधानिक या स्वायत्त संगठन / अर्ध सरकारी / पीएसयू / विश्वविद्यालय प्रणाली के अधिकारी:- समान पद धारण करना। या प्रासंगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग में उपाधि रखने वाले कनिष्ठ अभियंता के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा। या प्रासंगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले जूनियर अभियंता के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

इलेक्ट्रिशियन पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	इलेक्ट्रिशियन
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 5
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	आई.टी.आई. प्रासंगिक व्यवसाय में प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष 50
		अंकों या एक मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके समकक्ष ग्रेड के बराबर
		है।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं

	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नहीं
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	
	/ समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

प्रयोगशाला तकनीशियन पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	प्रयोगशाला तकनीशियन
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 5
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में
		स्नातक की उपाधि।
		वांछनीय:
		शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थान के विज्ञान प्रयोगशालाओं में अनुभव।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	आयु: नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	योग्यताः नहीं
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	75% सीधी भर्ती के द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	25% वरिष्ठता–सह–फिटनेस के अनुसार फील्ड / लैब सहायक के कैडर
		से पदोन्नति विभागीय परीक्षण को अर्हता प्राप्त करने के अधीन, अथवा
		इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती (सक्षम प्राधिकारी के
		विवेकाधिकार के अनुसार)।
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	पदोन्नित: फील्ड / लैब सहायक 10+2 योग्यता या समकक्ष और वेतन
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	बैंड -1 (रु. 5200-20200) + ग्रेड वेतन रु. 2,000 और योग्यता विभागीय
	समायोजन किया जाएगा	परीक्षण।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

पशुधन/फार्म सहायक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	पशुधन/फार्म सहायक				
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'				
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 5				
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष				
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः				
	योग्यताएं	एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में				
		स्नातक की उपाधि।				
		वांछनीय:				
		(i) कृषि या संबद्घ विज्ञान में स्नातक की उपाधि।				
		(ii) विज्ञान प्रयोगशालाओं / शैक्षिणक / अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालयों				
		के कृषि में प्रासंगिक अनुभव।				

6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती/ अनुबंध
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जाएगा	लागू नहीं
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

फील्ड व प्रयोगशाला सहायक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	फील्ड व प्रयोगशाला सहायक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 3
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य	अनिवार्यः
	योग्यताएं	10+2 या मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या कृषि के साथ इसकी समकक्ष
		परीक्षा / मैट्रिक के बाद कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा।
		वांछनीय:
		विज्ञान या अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की उपाधि।
		विज्ञान प्रयोगशालाओं / शैक्षिणक / अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालयों के
		कृषि में प्रासंगिक अनुभव।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती/ अनुबंध
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नहीं
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण) कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी-284003

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित)

वाहन चालक पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	वाहन चालक
2.	वर्गीकरण	वर्ग 'ग'
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	स्तर 3
4.	सीधी भर्ती की आयु—सीमा	35 वर्ष

5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्यः (i) एक मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से कक्षा 10+2। (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एल/एम/एच मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का अधिग्रहण। (iii) मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार वाहनों में मामूली दोषों को हटाने में सक्षम होना चाहिए)। (iv) कम से कम 3 वर्ष का मोटर वाहन ड्राइविंग का अनुभव।
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	
	होगी	
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	ड्राइविंग परीक्षण, यातायात नियमों और साक्षात्कार के ज्ञान के माध्यम से
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा और पदों	100% सीधी भर्ती के द्वारा।
	के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	
9.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन वाले मामलों	लागू नहीं
	में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	
	समायोजन किया जाएगा	
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम (गैर शिक्षण कर्मचारी), 2016 परिशिष्ट 1 के अनुसार

NOTIFICATION

Jhansi, the 24th September, 2018

RECRUITMENT RULES (NON-TEACHING EMPLOYEES) -2016

F. No. RLBCAU/CP/47/2016.—The Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University in exercise of the powers conferred under Statute 12(4) of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014, hereby makes and adopts the following rules for regulating method of recruitment to non-teaching posts (including Library and Physical Education posts) in the University.

1. Short Title and Commencement

- (i) These rules may be called Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Recruitment Rules (Non-Teaching Employees) -2016.
- (ii) These will come into force from the date of its notification.

2. Definitions

- (a) "Act" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 as amended from time to time.
- (b) "BOM" means the Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University.
- (c) "Departmental Candidate" means those employees working on regular basis in the University but does not include employees working on ad-hoc, daily wages or contract basis.
- (d) "Government" means the Central Government/ Govt .of India.
- (e) "Limited Departmental Examination" or "Test" means a competitive test limited to certain category or categories of holders of posts conducted by the University for promotion to a higher post specified in these Rules.
- (f) "Non-Teaching Employees" means employees of the University other than University teachers and such other employees as defined otherwise.
- (g) "On Probation" with relation to a person, means a person appointed to any post on probation as specified in these Rules.
- (h) "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ temporary/ ad-hoc promotion.
- (i) "Statutes", "Ordinance" and "Regulation" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.
- (j) "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statues/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.

(k) "University" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.

3. Extent of Application

These rules shall apply to all the temporary/permanent non-teaching employees of the University.

4. The staff of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University shall be classified as

- a. Group "A"
- b. Group "B"
- c. Group "C" including Multi Tasking Staff (MTS)

5. Appointing Authority

The Appointing Authority for the posts in Group 'A' shall be the Board of Management and for Group 'B' and Group 'C' shall be the Vice-Chancellor.

6. Schedule

The designation of posts, their classification, scales of pay, the details of qualifications, experience, age limit etc. for various posts and any other information relevant to the post is attached as Appendix-2 and any other additional posts sanctioned from time to time will be notified in due course after taking approval of BOM.

7. Method of Recruitment

The following shall be the mode of recruitment for various posts existing in University in accordance with these rules of the University:-

- (a) Direct Recruitment
- (b) Promotion
- (c) Deputation

8. Procedures for issue of Advertisement and inviting applications for all categories of Non-teaching posts

I. Issue of Advertisement

The vacant Non-teaching posts of permanent nature, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts etc. shall be advertised in appropriate time, giving at least two insertion in any of the popular National Dailies, with preferably one insertion in the 'Employment News', and websites Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University www.rlbcau.ac.in. Individual desirous of offering their candidature for a given post may submit their application (as prescribed in the advertisement) with all the necessary enclosures and prescribed application fee, if any, within the prescribed closing date.

Note: (i) The closing date may be extended at the discretion of the Vice-Chancellor of the University by notifying on the website only for which the desirous candidates should be in constant touch with the website.

- ii. Applications for short term/ contractual engagements and also on deputation may be invited through any other mode of circulation such as the Circular or Notification on the University Web-site and Notice Board of the University.
- iii. Notwithstanding the provisions mentioned at column No. 08 of each post the University may at its discretion decide to fill-up any vacancy on deputation or any other mode in the interest of the University with proper justifications.

II. Date of issue of Advertisement

In each case, the date of issue of advertisement should be decided keeping in view the exigencies and requirements of the job.

III. Validity period of Advertisement

Where the Selection Committee has not met even after a lapse of 12 months w.e.f. the closing date of application for any post, the post shall ordinarily be re-advertised. Provided that if in the opinion of the Vice-Chancellor the circumstances so necessitate, it may extend the validity of the advertisement for another six months. However, in any case, the validity of an advertisement shall not be extended beyond 18 months w.e.f. the closing date of the receipt of applications.

IV. Application Form

a) Applications for all the posts shall be entertained only on the prescribed application forms, accompanied by a Bank Draft only for the amount as fixed from time to time by the University. The Bank Draft shall be made in favour of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University payable at Jhansi. A hard copy of application form with all necessary enclosures along with the prescribed application fee as per the advertisement may be sent to the Registrar or any other officer of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University nominated by the Vice Chancellor for this purpose. The schedule of charges for the application forms and prescribed fees shall be as determined by the Vice-Chancellor from time to time. The SC/ST/PWD applicants are exempted for application fee.

- b) **Receipt of applications:** The closing date for application form shall be six weeks or as specified in the advertisement from the date of release of vacancies to the press by the University. However, the Vice-Chancellor may at his discretion decide the closing date for receipt of application keeping in view the exigencies of the situation. In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as closing/last date.

d) Holding of Written Tests

While filling the posts under direct recruitment, the University may hold the written tests for Group "B" and "C" Non-Teaching posts to be decided by the competent authority. The written tests may comprise language proficiency in English, General Knowledge, Analytical Ability, University System, Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014, Statutes and Ordinances, Office Procedures, Filing, Noting, drafting, Basic GoI Rules etc. or any other subject or professional test depending upon the exigency of service and job requirements as per approval of the Competent Authority.

The criteria to assign appropriate weightage to qualification, experience, performance in written test, skill/trade test etc will be decided by the competent authority. The requirement of interview will be dispensed with for junior level non-gazetted group B and C category posts as per directives of DOPT issued from time to time.

The University may also hold the written tests and other trade/ professional tests at the time of promotion of the employees of the University at its discretion and fix qualifying marks in addition to screening of the Annual Performance Appraisal Reports for five preceding years. While screening the Annual Performance Appraisal Reports, the University may also fix any other stringent criteria for consideration of the Departmental Promotion Committee (DPC).

9. Minimum Qualification and Experience

For recruitment to various posts, the qualifications and experience shall be as prescribed in these rules and where these are not prescribed in the rules, the qualification requirements of such posts shall be decided by Board of Management of the University.

10. Age Limit

The upper age limit for appointment to various posts has been prescribed in the appropriate column of these rules. However, the upper age limit for appointment where not prescribed under these rules will be as prescribed by the Board of Management from time to time.

11. Reservations of posts

The policy of the Government of India with regard to the reservation as applicable for various categories in recruitment/promotion etc. shall be followed.

12. Payment of Travelling Allowance

The candidate will have to present himself/ herself for an interview if called for, at the place and time mentioned at his own expenses. However, the out-side candidates belonging to SC/ST/PWD categories will be defrayed second class rail fare, and in case any station is not connected by rail, ordinary bus fare shall be paid by shortest route as per Government of India rules, if they attend the interview. However, no extra charges, if any, incurred for reserving seat/ sleeping berth in the train will be reimbursed to the candidates. The above mentioned concessions are not admissible to those SC/ST candidates who are already in Central/ State Government service.

13. Screening of applications

The applications received for various posts will be dually screened in order to ensure that the applicants fulfilled the criteria prescribed for the posts and also to short list the candidates for written test/interview. For this purpose the Vice Chancellor may constitutes a suitable committee with an outside expert in the relevant field in addition to competent internal experts. A nominee of the Vice-Chancellor from the administrative sector not below the rank of Assistant Registrar shall be the Member Secretary of every Screening Committee of the University. The Screening

Committee shall be required to screen the applications and shortlist the candidates in order of merit as per the eligibility criteria prescribed in the advertisement. The Screening Committee/ competent authority shall also decide the number of candidates to be called for interview, if required, by determining the ratio between the number of vacancies and number of candidates. However, it may be ensured that the ratio shall not normally exceed 1:20 maximum and minimum ratio shall not be less than 1:3. In case of posts in which there is a provision for holding a common written test, the candidates may be called for the written test notwithstanding the maximum prescribed ratio.

14. Constitution of Selection Committees/ Departmental Promotion Committees

The Constitution of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee and their quorum are specified in the Appendix-1, vide these rules as the case may be. The Vice-Chancellor at his discretion may include the Head or any other senior member of the unit concerned in the Selection Committees/ Departmental Promotion Committees at the time of Selection/ promotion to any post of the University. In addition to the above, the nominee of the SC/ST/OBC/ Women/minority community to be nominated by the Vice-Chancellor shall be included in the Selection Committees/ Departmental Promotion Committees in case the SC/ST/OBC/ Women/minority candidates are to be considered for interview/ promotion and no member of the committee belong to that category. Any other member/ members shall also be included in the Selection Committees/ Departmental Promotion Committees as per the instructions of Government of India issued from time to time.

15. Direct Recruitment by Open Selection

- i. The University shall frame recruitment rules of any particular post (non-teaching), lay down the qualifications, experience and nature of duties etc. according to the requirement and compatibility of the post.
- ii. Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee from amongst the eligible candidates.
- iii. The Chairman will be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in case of a tie.
- iv. The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview if required to be held to fill a particular post.
- v. The selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy in case any candidate(s) from the select list is not willing to join the post or any equivalent future vacancy(ies).
- vi. The University reserves the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection.
- vii. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age etc., it shall be so stated and recorded.
- viii. Based on the recommendations of the Selection Committee, the Board of Management / competent authority may, at its discretion, sanction onetime benefit or protect pay of any candidate joining from outside organizations as admissible under the Govt. of India rules in case the candidate possesses higher qualification, experience, higher pay scale and professional expertise to the satisfaction of the Selection Committee.
- ix. In case the appointing authority is not in agreement with the recommendations of the DPC, it shall refer the matter to the Board of Management by recording the reasons for such disagreement. In this case, the decision of the Board of Management shall be final. However, in case of promotion/appointment through the Selection Committee, the recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Appointing Authority for approval.

16. Deputation

i. In case the appointment is made on deputation basis, the incumbent may be allowed to continue maximum for a period of five years or till he/ she attains the age of the superannuation prescribed for that particular cadre whichever is earlier. The appointment on deputation may be made initially for a period of two years which may be extended on yearly basis up to a maximum period of five years subject to satisfactory performance, good behaviour and high integrity. The University, however, shall have the right to repatriate the incumbent any time even before the prescribed period in case his/ her performance, integrity or conduct is found to be unsatisfactory at any stage according to the opinion of the competent authority or the repatriation of the officer against whose vacancy the deputationist was working. Ordinarily no deputationist shall be absorbed in any cadre of the University after expiry of his/ her deputation period. In case, it is decided in the interest of the University to absorb any such person, then the University Administration may take up the matter with his parent organization

for concurrence after obtaining the option of the deputationist concerned. After obtaining the consent of the parent department, the case shall be placed before the Appointing Authority for a final decision. In case he/ she is absorbed in the University, he/ she will be assigned the seniority as per the Govt. of India rule.

- ii. In case the appointment is made on deputation and there is a very meager response against the advertisements/ circulars issued by the University, the Appointing Authority/ Board of Management may at its discretion constitute a Selection Committee or may directly order for issue of appointment letter to the incumbent after satisfying his/ her eligibility for the post including review of performance appraisal reports (APARs) duly forwarded by the parent department as per the advertisement, if it deemed fit.
- iii. For the All India Coordinated Research Project(s) of ICAR (AICRP) operating in the university, the non-teaching posts sanctioned under the AICRP will be adjusted against the equivalent regular non-teaching posts of the University in the event of termination of the project by ICAR. The period of his/her services rendered in the AICRP scheme shall be taken in to account for seniority and to determine his/her eligibility for promotion to any higher post. However, the engagement of RAs/SRF etc will be made as per ICAR guidelines and shall be co-terminus with the project.

17. Outsourcing of Services and Engagements on Temporary/Ad-hoc/Contract basis.

- i. The University shall ordinarily explore the possibilities of outsourcing of services in the sectors like the security, horticulture, sanitation and other areas where-ever possible through agencies by entering into contract for a specified period. For this purpose, the University has to follow the prescribed procedures of hiring of services such as issue of tender etc. after examining the justification, exigencies and financial implication followed by budget allocations. The selection of agencies has to be made based on rates, efficiency and reputation, past record, client feedbacks and compliance to the requirements of the regulatory authorities under the appropriate Government.
- ii. Where the hiring of services in any area/ sector is not feasible, the University may consider engagement on contract basis on certain monetary consideration, taking into consideration the nature of assignments and work load involved, and terms and conditions as may be agreed to between the Appointing Authority and the person appointed on contract. The contractual appointment shall be given for the specific period as decided by the competent authority from time to time keeping in view the exigency of work. The University may also consider engaging consultants as per provisions of GFR as amended from time to time.
- iii. The appointment of skilled/semi-skilled contractual staff in externally funded projects will be purely on coterminus basis. After the termination of the project, the university will not have any liability of such staff engaged for the externally funded schemes/projects.

18. Promotion

- (a) The candidates to be considered for promotion must comply with the prescribed eligibility criteria as on the date of occurrence of vacancy.
- (b) Promotion is earned by means of hard work, good conduct and result oriented performance as reflected in the APAR/ACRs. Only performance reported above "Average" i.e. 'good' consistently for the preceding five years shall be taken into consideration by the DPC. While "average" is not an adverse remark, it cannot be regarded as complimentary.
- (c) The DPC should assess the suitability of the employees for promotion on the basis of their service records and the Annual Performance Appraisal Reports (APARs) for five preceding years as specified above at 17(b). In case there is any adverse entry in the APAR or want of prescribed score in the APAR, the case of promotion shall not be considered unless and until the competent authority expunges such adverse entry. If the competent authority does not expunge the adverse entry or increase the score, the employee concerned may have to wait for the required number of reports carrying the prescribed bench marks as required for the post under these rules.
- (d) The eligibility criteria, Vigilance Clearance Reports, CR folders/ dossiers duly completed in all respects along with the seniority list of the eligible employees to be considered for promotion with full details of the number of vacancies, number of posts reserved for SCs/ STs shall be provided to the DPC for consideration.
- (e) The zone of consideration of eligible officers for promotion should be as per GOI Rules /DoPT instruction with extended zone for SCs/ STs to ensure the promotional chances against the reserved quota.

The grading and score are quoted below:-

S.No.	Grading System and Score in APAR
(i)	Grade "between 8-10" shall be rated as 'outstanding' and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.

(ii)	Grade "between 6 and short of 8" shall be rated as 'very good' and will be given a score of 7 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(iii)	Grade "between 4 and short of 6" shall be rated as ' good' and will be given a score of 5 for the purpose of calculating average scores for appointment/promotion.
(iv)	Below 4 shall be given a score of 'zero'

- (f) The meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) may be convened as and when required.
- (g) The administrative authorities shall ensure that the information furnished to Departmental Promotion Committee is accurate and in proper order in all cases and a certificate to this effect shall form part of the note for the DPC.
- (h) Penalties of any kind (major or minor) shall constitute a bar to one's eligibility for promotion or confirmation. However, minor penalty of "censure" would not constitute a bar to eligibility and consideration for the purposes of promotion/confirmation unless otherwise mentioned specifically in the order about such a bar to eligibility.
- (i) The following cases shall be brought to the notice of the DPC:-
 - Employees under suspensions;
 - ii) In respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending; and
 - iii) In respect of whom prosecution for a criminal charge has been pending.

The DPC shall assess their suitability without regard to the disciplinary aspect. The DPC findings will be kept in a sealed cover and the fact recorded in the DPC proceedings. Same procedure will be followed by subsequent DPCs till the disciplinary/ criminal cases are concluded. On the conclusion of the case, sealed cover will be opened. In case the officer is completely exonerated with honour, the due date of his promotion will be determined and he will be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior and if necessary by reverting the junior most officiating person. The Appointing Authority shall decide whether and to what extent arrears of salary are to be paid. Where arrears are denied reasons are to be recorded. If not exonerated, the findings of the sealed cover shall not be acted upon.

(j) The cases of officers under cloud after clearance by the DPC shall be settled in accordance with the Government of India rules.

19. Functions of the Departmental Promotion Committee

- i) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall consider and make recommendations in all cases of Group 'A', 'B' & 'C' employees. The constitution of DPC for various categories of posts will be as per the Appendix-1.
- ii) Confirmation of the non-teaching employees (Group 'B' & 'C') on their respective posts subject to satisfactory completion of probation period. As regards the confirmation of the Group 'A' non-teaching staff, the order of confirmation to the incumbents shall be issued with the approval of the competent authority after completing the required formalities such as vigilance clearance, performance appraisal reports carrying the prescribed benchmarks (i.e. the score of 7).
- iii) While considering the promotion cases, the Departmental Promotion Committee shall consider the following:
 - a) Provisions of the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules / UGC/ GOI guidelines as applicable.
 - b) Eligibility criteria and relaxations/ concessions applicable to the SC/ST categories.
 - c) Work and Conduct Reports
 - d) The Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/Annual Confidential Reports (ACR) for the preceding five years along with the Annual Property Returns (APRs) as available with the competent authority. While screening the Annual Confidential Reports/ the Annual Performance Appraisal Reports (APARs), the DPC may also adopt the criteria with regard to bench marks as mentioned at Rule-18(b) and (e) or any other criteria for consideration as per the rules.
 - e) Vigilance Clearance Report
 - f) Roster points of the cadre(s) as per the reservation policy of the Govt. of India/ UGC.
 - g) Performance in the interview/ skill test/ written test, if conducted by the DPC as per rule.
- iv) The DPC is expected to screen the cases and decide the eligibility based on the afore-mentioned documents like ACRs/ APARs, Vigilance Clearance Report, Roster, Recruitment Rules etc.

Note:- In case any APAR(s) of any particular period has not been initiated by the designated authority despite the fact that the employee concerned produces the proof of submission of appraisal report(s) duly filed-in for that particular period(s) to the concerned section, the DPC/ Screening Committee shall ignore the report(s) of that

particular period(s) and shall take into account the report(s) of the immediate preceding period(s). It is mandatory on the part of the designated officer to make entry in the relevant register to be maintained for this purpose and issue proper receipt to the employee concerned as a proof of submission of the appraisal reports. There shall be proper entry in the relevant register with regard to each movement of the APAR till the completion of its process.

20. Mode of Promotion

- i) In addition to the condition for promotion for the posts as specified at para(v) below, the University may decide the method and procedure to be followed by the DPC for promotion in respect of any category of posts. For this purpose, the University at its discretion may hold the written tests, interview or other trade/ professional tests and fix qualifying marks for any post to assess the competence in an objective manner. In such cases, association of at-least one external expert shall also be mandatory. The requirement of interview will be dispensed with for junior level non-gazetted group B and C category posts as per directives of DoPT issued from time to time.
- ii) Mere possession of eligibility conditions shall not entitle an employee to be promoted to the next higher post from the date of his/ her eligibility. After completion of formalities such as Annual Performance appraisal reports APARs, vigilance clearance reports, the departmental promotion committee may be constituted to evaluate and assess the eligibility of the employees. The employees will be considered for promotion based on the recommendations of the DPC/ duly approved by the Competent Authority of the University.
- iii) All promotions of the non-teaching staff shall take effect from the date of joining after approval of recommendation of the Department Promotion Committee by the competent authority.
- iv) The qualifying of Typing Test/ Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for promotion to the post of Upper Division Clerk, Assistant, Semi Professional Assistant, Library Assistant or other positions as identified from time to time. Further, the qualifying of Typing Test/ Skill Test with knowledge of computers shall also be the compulsory requirement for all Stenographers and Personal Assistants of the University who will be considered for promotion as Personal Assistant and Private Secretary as per the eligibility criteria prescribed in these rules.
- v) Either due to non-performance / misconduct/ misbehavior or violation of Rule 3 a, b, & c of the CCS Conduct Rules, 1965, the period of probation could be extended by one more year beyond 2 years. If there is no improvement with regard to the performance or other traits mentioned above, the University shall terminate the services or revert the employee concerned forthwith without giving any further opportunity for improvement. However, when the employee concerned is confirmed on his post consequent upon the satisfactory completion of the extended period of probation, then the eligibility of his promotion to the next higher post, if any or upward movement under the Assured Career Progression Scheme (ACPS)/ Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) or the Career Advancement Scheme shall be proportionately increased by one year. In other words such an employee may be considered for promotion/ ACP Scheme/ Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS)/ Career Advancement Scheme after one year from the date of his/ her actual date of eligibility.

21. Ad-hoc Promotions

- i) In case there is an existing vacancy and no eligible employee is available in the feeder channel for promotion, the competent authority may consider relaxation of experience maximum by one year at his discretion to promote an employee on ad-hoc basis after completing all procedural formalities as laid down under Rule-17 to 19 above. However, this arrangement shall not be allowed to continue for more than one year in case the employee concerned is not considered for regular promotion. In such cases, the candidate must have maintained at least three outstanding reports in the last 5 years prior to the date of eligibility for such ad-hoc promotion.
- ii) Those employees who fulfill the requisite qualifications and experience and other eligibility criteria as per these rules, they may also be considered for ad-hoc-promotion against the leave/ lien/ deputation vacancies or in cases where it is not possible to convene the regular meetings of the DPC/ Selection Committee subject to the condition that they have minimum score 5 (Group 'B' & "C' posts) and 7 (Group' A' posts) in the preceding years as per rule-18 (e) above. In such cases, ad-hoc promotions may directly be made by the appointing authority at its discretion after proper screening of the relevant records such as nature of vacancy, the APARs, vigilance clearance report(s), seniority list, roster position etc.

22. Panel

a) The panel drawn for promotion by the Departmental Promotion Committee shall normally be valid for one year from the date of such approval of the competent authority. It should cease to be in force on the expiry of a period of one year or when a fresh panel is prepared, whichever is earlier.

23. Assured Career Progression Scheme (ACP)/ MACP/ Career Advancement Scheme (CAS)

(i) The financial up-gradation under the ACP/ MACP Scheme in respect of non-teaching staff of the University shall be allowed as per the provisions of the orders/ guidelines of Government of India as amended/ issued

from time to time.

- (ii) In case of financial up-gradation under ACP upto the level of Deputy Registrar or equivalent, the Registrar shall chair the meeting of the Screening Committee. The Vice-Chancellor shall nominate atleast one external expert and other members representing SC/ ST/ OBC/ PwD etc. wherever required as per the guidelines of the GOI.
- (iii) Any dispute in the afore-mentioned advancement schemes applicable for non-teaching staff, the decision of the Board of Management of the University shall be final.

24. Period of Probation and Confirmation

- (i) In case of direct recruitment: The selected candidate will be kept on probation for a period of two years from the date of joining.
- (ii) The appointing authority may at its discretion extend the period of probation by one year in case of unsatisfactory performance, misconduct or on ground of misbehaviour. In case there is no perceivable improvement despite all this, his/ her services shall be terminated by giving one month's notice or on payment of one month's salary in lieu of notice. The employee concerned may also exercise his/her option to quit by giving one month's notice or deposit one month's salary in lieu of notice.
- (iii) In case of promotion to the next higher post, the employee(s) shall be kept on probation for a period of two years (no probation in case of promotion within the same group of post) from the date of DPC/Selection Committee. The appointing authority may at his discretion extend the period of probation by one year on ground of non-performance, misconduct or misbehaviour or if he fails to comply with the terms and conditions of the appointment to the post to which the employee was promoted. In case there is no perceivable improvement despite all this, he/she shall be reverted to his parent post with immediate effect and consequently all the employees promoted against the consequential vacancies due to the promotion of this employee shall be reverted to their parent posts, in case they cannot be adjusted in any other similar vacant posts available at that point of time.
- (iv) All other Central Government rules on probation and confirmation as amended from time to time shall be applicable mutatis mutandis.

Note:-

- (i) If an employee who is recruited/ promoted to any post(s), avail leave on piece meal basis or at a time for a period of two months or more during his/ her probation period, his/ her probation period shall be extended proportionately i.e. equal to the total period of leave availed by the employee concerned. The lapsable leave, maternity leave, paternity leave, commuted leave shall not be taken into account while computing the leave as mentioned above.
- (ii) In order to avoid any anomalous situation, the cases of probation of officials should be reviewed in every six months. In case, the result of review of performance of an official is found indifferent, he should be warned of the consequences, i.e. termination of his services/ reversion to the post from which he/ she is appointed / promoted. Such a warning should be issued in advance after which the performance of the official concerned should be continuously kept under observation.
- (iii) There will be no probation in the case of an employee appointed to various posts on contract basis, deputation, tenure basis or re-employment after superannuation.
- (iv) No application for outside employment shall ordinarily be forwarded during the period of probation in case of temporary employee of the University. However, in case his request has been considered by the competent authority of the University at his discretion, an undertaking shall be obtained while forwarding application that he / she would resign the post in the event of his/ her selection in other department.
- (v) No employee of the University shall be confirmed on his post unless and until he signs the service agreement.

25. Relaxation of Age and Experience

- a. The statutory provision for relaxing of age, experience etc. prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PwD categories will be made applicable to them as per Govt. of India norms. A certificate to this effect in the format as prescribed by the Govt. of India issued from the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever, relaxation of qualification including percentage of marks is permitted under Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee as per relevant Govt. of India rules.
- b. In addition to above, Board of Management may relax age limit and experience in respect of women candidates, employees of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Employees of the Central

Government/ State Government/ Agricultural Universities / Central autonomous bodies/ organizations/ Institutions/ Public Sector Undertakings etc.

26. Discipline/ Vigilance Clearance Reports

- (i) Candidate who is already in service should submit a certificate from the employer or his authorized officer to the effect that no disciplinary proceeding is pending or contemplated against him. Apart from this, the Vigilance Clearance Report shall also be furnished along with the application or at the time of interview.
- (ii) Willful suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile etc., the Chief Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate/ inquire into the matter and submit his report to the administration for further action in this regard at any time of recruitment process or employment as per rule.

27. Removal of Difficulties

- (i) The Board of Management may from time to time, issue such general and specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operations of any of the provisions of these rules.
- (ii) All existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand superseded but any action already taken by or in pursuance to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

28. Interpretation

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the rules, the decision of the Board of Management shall be final.

29. Amendment of Rules

The Board of Management shall have the authority to amend, modify change, withdraw, suspend and relax any or all of these rules. The decisions of the Board of Management shall be final and binding on all employees.

30. Residuary Matters

In respect of all matters not specifically provided for in these rules, the corresponding provisions as provided by the UGC for the employees of Central Universities or as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, will be followed. In case any particular provision in these rules clashes with any provision of the Act / Statutes, the provision of the Act / Statutes shall prevail and the provision in these rules shall stand superseded.

31. Liability of officers to serve in India or/ and abroad

Employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or/ and abroad.

32. Territorial Jurisdiction

In cases of any disputes, any suites or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be restricted to the Allahabad High Court, Allahabad.

33. Savings

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. In the event of any discrepancy between the Hindi and English versions of the recruitment rules, the English version shall prevail.

34. General Terms and Conditions of recruitments

- i. Mere possession of eligibility conditions shall not entitle a candidate to be called for written test/ interview. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the closing date as prescribed in the advertisement for receipt of the applications. In other words no candidate shall be called for interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on the closing date of the application for a particular post.
- ii. Apart from possessing the requisite qualification and experience as on the closing date of receipt of application prescribed in the advertisement, any additional qualification and experience acquired after the closing date may be taken into account at the time of selection. The experience in different fields as prescribed in these rules against any particular post shall be calculated by taking into account either in one field exclusively or by counting more than one field as the case may be.
- iii. Candidate who is already in service should submit his/ her application through proper channel.

However, he/ she may send an advance copy of his/ her application and should produce a "No Objection Certificate" from the employer within thirty days after the closing date for receipt of application/advance copy of application(s) failing which he/ she shall not be interviewed. The application for appointment on deputation may be forwarded by the employer along with the CR dossiers duly certified by the Competent Authority for the desired periods through proper channel.

- iv. It is the responsibility of the candidate to assess his own eligibility for the post for which he/ she is applying in accordance with the prescribed qualification, experience etc. and submit his application duly filled-in along with the desired information, documents and other supporting materials as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to cancellation of his candidature. In case, it is detected at any point of time in future even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed qualification, experience etc. which could not be detected at the time of interview due to whatever circumstances, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause and also based on his undertaking. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. With regard to any ambiguity relating to the recruitment rules in general and eligibility in respect of any post in particular, the decision of the Board of Management shall be final.
- v. Acceptance of documents/ certificates/ claims etc. submitted by an applicant will be subject to their verification by the competent authorities/ sources. If, any claim/ certificate/ document is found to be false/ fake/ incorrect/ malafide at any stage of verification before or after appointment, the document in question shall be summarily rejected and action may be initiated against the candidate for this misconduct including rejection of his candidature which shall lead to cancellation of his appointment, if already appointed.
- vi. If at any stage of the recruitment process or employment, it is detected that there is a willful suppression of factual information relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the caste, educational qualifications, experience or domicile etc. the candidature shall be cancelled and services shall be terminated forthwith, if already appointed.
- vii. The persons appointed against any post shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules governing the service conditions/ method of recruitments as amended from time to time and resolutions of the Board of Management of the University and rules of the Govt. of India/ Guidelines of the UGC adopted by the University from time to time.
- viii. For a candidate to be appointed to Group A and B non-teaching posts, his/her character antecedents will be got verified through the police/Deputy Collector/ Commissioner. In case of adverse findings the appointment shall be terminated without any notice. However, candidate for group C post may be considered for appointment on the basis a character certificate issued by a Gazetted officer or as per the guidelines issued by Government of India from time to time.
- ix. Selected candidate will be required to take an oath of allegiance, faithfulness to the constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the prescribed form on appointment.
- x. On appointment, he/she will submit a declaration regarding his/her marital status in the prescribed proforma. In the event of his/her having more than one husband/wife living unless being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf his/her appointment will be terminated.
- xi. At the time of recruitment, a service agreement should be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same should be deposited with the Registrar. The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University. Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- xii. The selected candidate will also have to undergo a medical examination/ test to ascertain his/ her medical fitness for the post prior to joining. In case, he/ she is not found to be fit by the authorized medical authorities, the offer of appointment shall be treated as withdrawn. The persons already holding employment under Government or Autonomous Bodies, may submit Medical Fitness Certificate from any Government Hospital at the place of his/ her work duly countersigned by the Civil Surgeon or Chief Medical Officer of the concerned district.
- xiii. The terms and conditions of appointment/ Engagement shall be communicated in the "Offer of Appointment/ Engagement "to the Selected Candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment/ engagement letter within the stipulated time period, the offer will be treated as withdrawn and no further communication shall be entertained in this regard. The Competent Authority reserves the right to enhance the scope of the nature of duties

and can assign any duty to any employee at any point of time even during Saturdays-Sundays and holidays including night duties in the exigency of service and in the interest of the University irrespective of the fact that such duties do not come under the already notified duties for any post. The University administration notwithstanding the schedule of five-day week in its working may also direct its employees to work for six days in a week at its discretion depending upon the exigency of service and in the interest of the organization. However, it may be kept in view that the total number of working hours prescribed per week shall be equal to all the employees as per the Govt. of India rules.

- xiv. **Nature of Duties:** The selected candidates will be required to perform duties as per the rules of the University as amended from time to time. The University is free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/ holidays which the employee has to perform without fail to avoid disciplinary action in this regard.
- xv. The selected person shall be required to arrange his/ her own accommodation as per his/ her convenience.
- xvi. The selected candidate will be governed by the "National Pension System" (earlier known as 'New Pension Scheme') of the Govt. of India applicable wef 01.01.2004 for its employees recruited on or after 01.01.2016. However, employees who were already in service prior to launch of this scheme, shall continue to be governed by the scheme regulating his/her pension.
- xvii. The selected candidate is liable to serve anywhere in the country or outside the country where the offices or projects of the University are located or may be located in future.
- xviii. The selected candidates shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules of the University and also the CCS(Conduct) Rules, 1964 and CCS (CCA) Rule, 1965 of the Government of India as amended from time to time and any other rule/ resolution prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Board of Management of the University.
- xix. The candidate applying for the non-teaching posts should send the self attested copies of all certificates relating to his/ her educational qualifications, experience, age, caste and other testimonials along with his/ her application (DOPT O.M. No. K-11022/ 67/ 2012-AR dated 10th May, 2015).
- xx. A relaxation of marks in case of SC/ ST/ PwD candidates will be applicable as per the Govt. of India guidelines.
- xxi. The minimum requirement of a good academic record shall be 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.
- xxii. The preference against the MTS post(s) may be given to the candidates who have adequate experience of working in the university administration with knowledge of data-feeding/ typewriting on computer, record maintenance, operation and maintenance of photocopier/ lamination machines etc. or having adequate experience in some other technical/ professional fields.
- xxiii. Candidate should bring all original certificates relating to his/ her age, qualification, experience and caste etc. at the time of interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified/ photo-copies of the enclosures to his/ her application, he or she shall not be allowed to appear at the interview and his/her candidature shall be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- xxiv. (i) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. If any vacancy arises after recruitment to a particular post due to whatsoever reasons, the vacancy may be filled up from the panel of that post within a period of one year from the date of selection committee. In any case every panel shall be treated as invalid after one year w.e.f. the date of the meeting of the Selection Committee.
 - (ii) The University reserves the right to withdraw the advertisement either partly or wholly at any time without assigning any reason to this effect.
 - (iii) For filling up the post on direct recruitment basis, the selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but

- he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy(ies).
- (iv) The University reserves the right to reject any application without assigning any reason thereof.
- (v) The University reserves the right to appoint a Consultant for a definite period as per the requirement on the payment term as prescribed by the Government of India/BOM.
- (vi) If any advertisement for any post(s) is withdrawn due to whatever reasons, the application fee or any other fee collected from the candidates shall be refunded preferably within 30 working days.
- xxv. (i) Interim enquiries shall not be entertained.
 - (ii) 'Canvassing in any form shall disqualify the candidature of the candidate'.
 - (iii) Applicants are required to apply on separate form for each post. Each application without the required application fee by way of A/c payee bank draft shall be rejected.
- xxvi. The University shall not be responsible for any postal delay. The candidate shall be required to submit the list of enclosures and also write his/ her complete information with regard to his/ her correspondence and permanent address with pin code, telephone numbers, cell-phone numbers, e-mail ID, if any in the application which will facilitate communication at any point of time.
- xxvii. For any clarification, the candidates may contact the Deputy Registrar (Establishment) or any other designated officer of the University in writing. In case of any grievance of any candidate, the candidate may also approach the Competent Authorities of the University in writing for redressal relating to the recruitment sufficiently in advance.

DR. ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./318/18]

Appendix-1

Selection Committees for Direct Recruitment/Departmental Promotion Committee of Non Teaching Employees

- (1) Following shall be the constitution of the Selection Committees:—
 - (a) Selection Committee for statutory posts like Registrar and Comptroller etc.:

As per Statue 18(2), of the Statutes of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended time to time.

(b) Selection Committee for the post of **Assistant Registrar and above** (other than statutory posts):

1.	Vice-Chancellor or nominee of the Vice Chancellor not below	:	Chairman
	the rank of Professor		
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a	:	Member
	panel of six names approved by the Board of Management		
3.	Two expert, not in service of the University, nominated by the	:	Member
	Vice Chancellor		
4.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ PwD/ categories, if any of candidate representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to that category.	:	Member
5.	The Dean/Head of Department concerned	:	Member
6.	Registrar / Deputy Registrar/ any other Officer of equivalent	:	Member-Secretary
	grade nominated by the Vice Chancellor.		

Selection Committee for technical posts below Assistant Registrar:

1.	Dean/Director concerned nominated by the Vice-Chancellor	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-Chancellor out of a panel		Member
	of six names approved by the Board of Management		
3.	Two expert, not in service of the University, nominated by the	:	Member
	Vice Chancellor		
4.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ PwD	:	Member
	categories, if any of candidate representing these categories is the		
	applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the		
	above members of the Selection Committee do not belong to that		

	category.		
5.	The Head of Department/Centre/Institution concerned or any	:	Member
	other Officer of equivalent grade nominated by the Vice		
	Chancellor.		
6.	Registrar / Deputy Registrar/ any other Officer of equivalent	:	Member-Secretary
	grade nominated by the Vice Chancellor.		

(d) Selection Committee for **non-technical** posts below Assistant Registrar:

1.	Registrar	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel	:	Member
	of six names approved by the Board of Management		
3.	Two expert, not in service of the University, nominated by the	:	Member
	Vice Chancellor		
4.	A representative of SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ PwD	:	Member
	categories, if any of candidate representing these categories is the		
	applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the		
	above members of the Selection Committee do not belong to that		
	category.		
5.	Comptroller/Librarian/or any other Officer, nominated by the	:	Member
	Vice Chancellor		
6.	Any one Assistant Registrar or any other Officer of equivalent	:	Member-
	grade nominated by the Vice Chancellor.		Secretary

Appendix-2

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

Jhansi-Gwalior Road, Jhansi-284003

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES (NON-TEACHING EMPLOYEES), 2016

SI. No.	Name of post	Group	Core Pay Level as per 7 th CPC/UGC
I.	STATUTORY POSTS		
1.	Registrar	A	14
2.	Comptroller	A	14
II.	OTHER POSTS		
3.	Deputy Registrar (Academic/Establishment)	A	12
4.	Deputy Comptroller	A	12
5.	Secretary to Vice Chancellor	A	11
6.	Assistant Director Physical Education	A	10
7.	Assistant Registrar	A	10
8.	Assistant Registrar (Legal)	A	10
9.	Assistant Comptroller	A	10
10.	Junior Accounts Officer	В	8
11.	Assistant	В	7
12.	Upper Division Clerk	C	4
13.	Data Entry Operator	C	2
III.	ISOLATED POSTS		
14.	Students Welfare Officer	A	10
15.	Public Relations Officer	A	10
IV.	SECRETARIAL SERVICES		
16.	Private Secretary	A	8
17.	Personal Assistant	В	6
V.	MEDICAL AND HEALTH SERVICES		·
18.	Medical Officer	A	10
19.	Compounder Dresser	C	5

VI.	LIBRARY SERVICES		
20.	Assistant Librarian	A	10
21.	Library Assistant	C	7
VII.	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHN	NOLOGY S	SERVICES
22.	Senior Computer Operator/ Programmer	A	10
VIII.	ENGINEERING SERVICES		
23.	Executive Engineer	A	11
24.	Assistant Engineer (Civil/ Electrical)	A	10
25.	Electrician	C	5
IX.	LABORATORY SERVICES		
26.	Laboratory Technician	C	5
27.	Livestock/Farm Assistant	C	5
28.	Field-cum-Lab. Assistant	C	3
X.	TRANSPORT SERVICES		
29.	Driver	C	3

^{*}The Core pay scales and other benefits shall be as per 7th CPC/UGC guidelines as amended from time to time.

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF REGISTRAR

1.	Name of Post	Registrar
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	i. Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade. ii. At least 15 years' of experience as Assistant Professor in the AGP of Rs. 7000 and above or with 08 years' of service in the AGP of Rs. 8000 and above including as Associate Professor, alongwith experience in educational administration, OR Comparable experience in a research establishment and/ or other institutions of higher education, OR 15 years of administrative experience, of which08 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/ contract.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Not Applicable
9.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods. In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	Direct/ Deputation/ Contract For tenure of five years or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier. However, the first Registrar shall be appointed for a term of 3 years or 62 years of age whichever is earlier by the Visitor as per RLBCAU Act-2014 as amended from time to time. (eligible for re-appointment) Direct/ Deputation/ Contract For tenure of five years or till attaining the age of 62 years, whichever is earlier. However, the first Registrar shall be
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	appointed for a term of 3 years or 62 years of age whichever is earlier by the Visitor as per RLBCAU Act-2014 as amended from time to time. (eligible for re-appointment) As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from

time to time.

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF COMPTROLLER

1.	Name of Post	Comptroller
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 14
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 57 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i. Master's Degree with at least 55% of the marks or its
		equivalent grade.
		ii. At least 15 years' of experience as Assistant Professor in the AGP of Rs.7000 and above or with 08 years' of service in the AGP of Rs. 8000 and above including as Associate Professor, alongwith experience in educational administration,
		OR
		Comparable experience in a research establishment and/ or other institutions of higher education, OR
		15 years of administrative experience, of which 08 years shall be as Deputy Comptroller or an equivalent post.
		Desirable:
		Persons possessing Master's degree in Business Administration (Finance)/ Commerce or possessing CA/ ICWA qualification.
		Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/ contract.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Not Applicable
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/ Deputation/ Contract
	recruitment or by promotion or by deputation /	For tenure of five years or till attaining the age of superannuation,
	absorption and percentage of the posts to be	whichever is earlier. However, the first Comptroller shall be
	filled by various methods.	appointed for a term of 3 years or age of superannuation
		whichever is earlier by the Visitor as per RLBCAU Act-2014 as amended from time to time.
		(eligible for re-appointment)
9.	In case of recruitment by promotion/	Appointment preferably by drawing officers belonging to the
	deputation/ absorption, grades from which	Indian Audit and Accounts services or other similar organized
	promotion/ deputation/ absorption to be made	Services in Central/ State Govt., University System/ Other
		organization on Deputation for a tenure of 5 years or till attaining
		the age of superannuation, whichever is earlier as per RLBCAU
10.	Composition of Selection Committee for	Act-2014 as amended from time to time. As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Rani Lakshmi Bai
10.	direct recruitment	Central Agricultural University Act, 2014 and as amended from
	direct recruitment	time to time.
	l .	4

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY REGISTRAR

	INDURENT REPORT OF THE COT OF THE COT		
1	Name of Post	Deputy Registrar (Academic/Establishment)	
2	Classification	Group 'A'	
3	Pay Band & Grade Pay	Level 12	
4	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years	
5	Educational and other qualifications required	Essential:	
	for direct recruits	i. Master's Degree with at least 55% of the marks or its	

		,
		equivalent grade.
		ii. Nine years' of experience as Assistant Professor in AGP of
		Rs.6000 and above with experience in educational
		administration,
		OR
		Comparable experience in a research establishment and/ or
		other institutions of higher education,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		OR
		5 years of administrative experience as Assistant Registrar or
		an equivalent post.
		Desirable:
		Relevant Experience in the areas of Establishment/ Examinations/
		Finance.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	Qualification: No, but must possess at least Bachelor's degree
	case of promotes	from a recognized University/ Institute.
	•	·
7.	Period of probation, if any	One Year
8.	Method of recruitment: whether by direct	50 % by direct recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	·
	absorption and percentage of the posts to be	50 % by promotion, failing which by deputation/ direct
	filled by various methods.	recruitment (as per the discretion of competent authority)
9.	In case of recruitment by promotion/	Promotion: Assistant Registrar with five years' regular service
	deputation/ absorption, grades from which	in PB-3 (Rs. 15600-39100) + Grade Pay Rs. 6600
	promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or
	promotion/ deputation/ absorption to be made	with five years regular service in PB-3 (Rs.15600-39100) in the
		Central/ State Government, Universities and other autonomous
1.0		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY COMPTROLLER

	RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY COMPTROLLER		
1.	Name of Post	Deputy Comptroller	
2.	Classification	Group 'A'	
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 12	
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years	
5.	Educational and other qualifications required	Essential:	
	for direct recruits	i. Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade.	
		ii. Nine years' of experience as Assistant Professor in AGP of	
		Rs.6000 and above with experience in educational administration,	
		OR	
		Comparable experience in a research establishment and/ or other institutions of higher education,	
		OR	
		5 years of administrative experience as Assistant Comptroller or an equivalent post.	
		Desirable:	
		 Relevant Experience in the areas of Finance. Persons possessing Master's degree in Business Administration (Finance)/ Commerce or possessing CA/ ICWA qualification. 	
		Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/ contract.	
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Not Applicable	

	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Not Applicable
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct/ Deputation/ Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in PB-3 (Rs.15600-39100) in the Central/ State Government, Universities and other autonomous organizations.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SECRETARY TO VICE CHANCELLOR

1.	Name of Post	Secretary to Vice Chancellor
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 11
4.	Age Limit for direct recruits	50 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	i. Good academic record with Bachelor's degree from a recognized University/ Institute or equivalent. ii. 5 years of experience in the post of Private Secretary in the grade of 15,600-39,100 + GP 5,400 or on an equivalent position. OR 10 years combined and continuous service as Private Secretary and Personal Assistant in the grade Pay of Rs 4,800 in PB-2/Rs 5,400/- in PB/3 in Central/State Government/ ICAR/Universities/ PSU.
		Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/contract.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct/ Deputation/ Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	The same qualifications will be applicable in case of deputation/ contract or Officers holding analogous posts on regular basis.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR PHYSICAL EDUCATION

	IMONOTINIBILITA NO DE CALIBRA		
1.	Name of Post	Assistant Director Physical Education	
2.	Classification	Group 'A'	
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10	
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years	
5.	Educational and other qualifications required	Essential:	
	for direct recruits	i. A Master's degree in Physical Education or Master's degree in	

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT REGISTRAR

1.	Name of Post	Assistant Registrar
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent
		grade along with a good academic record.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	Qualification: No, but must possess at least Bachelor's degree
	case of promotes	from a recognized University/ Institute.
7.	Period of probation, if any	Two Year
8.	Method of recruitment: whether by direct	50% by direct recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	50% by promotion, failing which by deputation/ direct recruitment (as per the discretion of competent authority)
9.	In case of recruitment by promotion/	Promotion: Assistants/ Personal Assistants with five years regular
7.	deputation/ absorption, grades from which	service in PB-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4600/4800.
	promotion/ deputation/ absorption to be made	
	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The ratio for Assistants and Personal Assistants shall be 4:1 for
		promotion (against post under promotion quota).
		Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or
		with 5 years regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800) in the
		Central/ State Government, Universities and other autonomous
		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT REGISTRAR (Legal)

1.	Name of Post	Assistant Registrar (Legal)
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	Degree in Law with at least 55% of the marks or its equivalent
		grade along with a good academic record.
		Desirable:
		Experience in handling court cases in Central/State
		Government/University/Autonomous organization.
		Note: The same qualification will be applicable in case of
		deputation/ contract.
6.	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two Year
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/ Deputation/ Contract
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods.	
9.	In case of recruitment by promotion/	Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or
	deputation/ absorption, grades from which	with 5 years regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800) in the
	promotion/ deputation/ absorption to be made	Central/ State Government, Universities and other autonomous
		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT COMPTROLLER

		THE POST OF ASSISTANT COMPTROLLER
1.	Name of Post	Assistant Comptroller
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	Master's Degree with at least 55% of the marksor its equivalent
		grade alongwith a good academic record.
		Desirable:
		1. Relevant Experience in the areas of Finance.
		2. Master's degree in Business Administration (Finance)/
		Commerce or possessing CA/ ICWA qualification.
		Note: The same qualification will be applicable in case of
		deputation.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	Qualification: No, but must possess at least Bachelor's degree
	case of promotes	from a recognized University/ Institute.
7.	Period of probation, if any	Two Year
8.	Method of recruitment: whether by direct	50% by direct recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	50% by promotion, failing which by deputation/ direct
	absorption and percentage of the posts to be	recruitment (as per the discretion of competent authority)
	filled by various methods.	
9.	In case of recruitment by promotion/	Promotion: Junior Accounts Officers/Assistants with five years
	deputation/ absorption, grades from which	regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4600/
	promotion/ deputation/ absorption to be made	4800.
		Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or
		with 5 years regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800) in the
		Central/ State Government, Universities and other autonomous

		organizations.
10	Composition of Selection Committee fo	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR ACCOUNTS OFFICER

1.	Name of Post	Junior Accounts Officer
2.	Classification	Group 'B'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 8
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	 Essential: Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute. Qualified SAS or equivalent examination Knowledge of Computer applications viz. word processing, Spread Sheet and computer-based accounting software. Five years' relevant experience in Accounts/ Cash/ Budget works in Central/ State Governments/ University/ Research Institution or Autonomous organization. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/promotion.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	60% by direct recruitment 40% by promotion through seniority-cum-fitness, failing which by deputation/ direct recruitment (as per the discretion of competent authority)
9.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: Assistant having 05 years regular service in PB-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4200 in Finance/Accounts. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis or Assistant having 05 years regular service in Central/PB-2 (Rs. 9300-34800) in Central/ State Governments/ University/ Research Institution or Autonomous organization preferably in the area of Finance/Accounts.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT

1.	Name of Post	Assistant
2.	Classification	Group 'B'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 7
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	i. Bachelor's degree from a recognized University /Institute.
		ii. Two years' experience in Administration/ Finance & Accounts
		in Central/ State Governments University/ Research
		Institution or Autonomous organization.
		iii. Knowledge of Computer Applications.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	Qualification: Yes
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct	50% by direct recruitment(based on written test, skill test and
	recruitment or by promotion or by deputation /	interview)

	absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	50% by promotion, from the UDCs according to seniority-cum-
		fitness and subject to qualifying the departmental test, failing
		which by deputation/ direct recruitment (as per the discretion of
		competent authority).
9.	In case of recruitment by promotion/	Promotion : UDC with five years regular service in PB-1 (Rs.
	deputation/ absorption, grades from which	5200-20200) + Grade Pay Rs.2400.
	promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in
		the Central/ State Government, Universities and other autonomous
		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF UPPER DIVISION CLERK

1.	Name of Post	Upper Division Clerk
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 4
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	i. Bachelor's degree from a recognized University /Institute.
		ii. Knowledge of Computer Applications.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	Qualification: Yes
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct	25% by direct recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	75% by promotion, failing which by deputation/ direct
	filled by various methods	recruitment (as per the discretion of competent authority)
9.	In case of recruitment by promotion/	Promotion : Lower Division Clerk with five years regular service
	deputation/ absorption, grades from which	in PB-1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay Rs1900.
	promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in
		the Central/ State Government, Universities and other autonomous
		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATOR

1.	Name of Post	Data Entry Operator
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 2
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	 i. Bachelor's degree from a recognized University /Institute. ii. A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. iii. Knowledge of Computer Applications.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not applicable.
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/Contract recruitment. Note: Direct Recruitment should be through an appropriate mechanism i.e. written test, typing test, computer aptitude/

		trade test and interview.
9.	In case of recruitment by promotion/	Not applicable
	deputation/ absorption, grades from which	
	promotion/ deputation/ absorption to be made	
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STUDENT WELFARE OFFICER

1.	Name of Post	Students Welfare Officer
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	50 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: ii. Master's degree in the relevant subject including related disciplines and relevant basic sciences with at least 60% marks or equivalent grade point. Evidence of the National Eligibility Test (NET) conducted by ICAR-ASRB, UGC-CSIR. OR Ph.D. in relevant subject including related disciplines and relevant basic sciences with 2 published research papers in scientific journals with NAAS rating above 4.0. Desirable: Experience of training / placement in ICAR Institutes/Agricultural Universities or any organization of repute. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/contract.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/ Deputation/ Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	The same qualifications will be applicable in case of deputation/ contract or Officers holding analogous posts on regular basis.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PUBLIC RELATIONS OFFICER

1.	Name of Post	Public Relations Officer
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	 i. Master's degree in Mass Communication and Journalism with at least 55% of the marks or its equivalent grade along with a good academic record from a recognized University/ Institute. ii. At least two years of experience in the editorial department of any established English Newspaper/ Periodical and with excellent command of English and Hindi in speaking.

6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/Deputation
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in the Central/ State Government, Universities and other autonomous organizations.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY

1.	Name of Post	Private Secretary
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 8
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	 i. Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute. ii. Proficiency in Stenography in English/ Hindi with minimum speed of 100 w.p.m. iii. Proficiency in Typing in English/ Hindi with minimum speed of 35/30 w.p.m. iv. Knowledge of computer applications. v. Five years' experience as Personal Assistant in Central/ State Governments, University/ Research Institution or Autonomous organization in PB-2 grade with GP 4600/4800. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/Deputation
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	The same qualifications will be applicable in case of deputation or Officers holding analogous posts on regular basis
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT

1.	Name of Post	Personal Assistant
2.	Classification	Group 'B'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 6
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	i. Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute.
		ii. Proficiency in Stenography in English/ Hindi with minimum
		speed of 100 w.p.m.
		iii. Proficiency in Typing in English/ Hindi with minimum speed

		of 35/30 w.p.m. iv. Knowledge of computer applications. v. One year' experience as Stenographer in Central/ State Governments, University/ Research Institution or Autonomous organization.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Not Applicable
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/deputation
9.	In case of recruitment by promotion/	Deputation:- Officers holding analogous posts on regular basis or
	deputation/ absorption, grades from which	with 8 years regular service as Junior Stenographer in the Central/
	promotion/ deputation/ absorption to be made	State Government, Universities and other autonomous
		organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MEDICAL OFFICER

1.	Name of Post	Medical Officer
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	MBBS degree recognized by M.C.I.
		Desirable:
		i. Post Graduate Medical Qualification from a recognized
		Institution by the MCI.
		ii. Post qualification experience in a Hospital/ College/
		Corporate Hospital.
		Note: The same qualification will be applicable in case of
		deputation/contract.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/Deputation/ Contract
	recruitment or by promotion or by deputation /	•
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	
9.	In case of recruitment by promotion/	The same qualifications will be applicable in case of
	deputation/ absorption, grades from which	deputation/ contract or Officers holding analogous posts on
	promotion/ deputation/ absorption to be made	regular basis.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1
		FF

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF COMPOUNDER DRESSER

	RECRETIVELY RELEGION THE FOOT OF COMM OF THE RESPECT		
1.	Name of Post	Compounder Dresser	
2.	Classification	Group 'C'	
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 5	
4.	Age Limit for direct recruits	35 years	
5.	Educational and other qualifications required	Essential:	
	for direct recruits	i. Diploma in Pharmacy/Nursing with atleast 50% marks or	

		equivalent grade, ii. One year experience in hospital work or handling of dressing wounds.
		Desirable: Graduate degree in Pharmacy/Nursing from a recognized University.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct recruitment/Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	The same qualifications will be applicable in case of contract.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT LIBRARIAN

1.	Name of Post	Assistant Librarian
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: i. Master's degree in Library Science/ Information Science/ Documentation or an equivalent professional degree with at least 55% of marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with consistently good academic record. Evidence of qualifying in the National level test conducted (NET/ SLET/ SET etc.) for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. Or Ph.D. degree in Library Science/ Information Science/ Documentation or an equivalent professional degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009. Desirable: i. PG Diploma in Library Automation and Networking or PGDCA or equivalent. ii. Knowledge of computerization of library. Note: The same qualification will be applicable in case of deputation/contract.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/ Deputation/ Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which	The same qualifications will be applicable in case of deputation/ contract or Officers holding analogous posts on

Ī		promotion/ deputation/ absorption to be made	le	regular basis.
Ī	10.	Composition of Selection Committee	or	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
		direct recruitment		Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LIBRARY ASSISTANT

1.	Name of Post	Library Assistant
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 7
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	i. Bachelor's degree in Library & Information Science/
		Bachelor's degree in Library Science or equivalent.
		ii. A typing speed of 30 words per minute in English.
		iii. Knowledge of Computer Applications.
6.	Whether age and educational qualifications	Age: No
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	Qualification: No
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/Deputation/Contract
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	
9.	In case of recruitment by promotion/	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in
	deputation/ absorption, grades from which	the Central/ State Government, Universities and other autonomous
	promotion/ deputation/ absorption to be made	organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR COMPUTER OPERATOR/PROGRAMMER

1.	Name of Post	Senior Computer Operator/ Programmer
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	M. Tech (Computer Engineering/Computer Science)/ MCA/M.Sc
		in Computer Science with at least 55% marks or its equivalent
		grade. Desirable:
		Three years experience in systems network administration and
		programming in a University/ Research Establishment/Other
		institutions of higher education.
6.	Whether age and educational qualifications	Not Applicable
0.	prescribed for direct recruits will apply in the	1 tot 1 ppileuoie
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/Deputation
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	
9.	In case of recruitment by promotion/	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in
	deputation/ absorption, grades from which	the Central/ State Government, Universities and other autonomous
	promotion/ deputation/ absorption to be made	organizations.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF EXECUTIVE ENGINEER

1.	Name of Post	Executive Engineer
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 11
4.	Age Limit for direct recruits	50 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	 Essential: Bachelor's degree in Engineering (Civil) from a recognized University/ Institute or equivalent. Eight years of experience in relevant field as Assistant Engineer from CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous organization/ University System/ reputed private organizations. Relaxation of two years in experience will be given to those possessing Post-Graduate qualification in Construction Management/ Structural Engineering or equivalent fields.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Desirable: i. At least two years' experience as Executive Engineer, In-Charge of time bound construction projects of multistory buildings and have experience in planning/ estimation/ tendering as per the CPWD/ PWD norms. Good knowledge of CPWD manuals, preparation/ checking of estimates, drawings, structural details, bill of quantities, substitute/ deviation items statements and other associated issues related with building and constructions. ii. Knowledge of Computer Aided Design (CAD) and latest Management Technology/ other relevant software. Not Applicable
	case of promotes	T V
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/ Deputation/ Contract
9.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers of the CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Semi Government/ PSU/ Statutory or Autonomous organization/ University System:-holding analogous post; OR with five years regular service as Assistant Engineer possessing a degree in Engineering in the relevant area; OR with eight years of regular service as Assistant Engineer possessing Diploma in Engineering in the relevant area.
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (CIVIL/ ELECTRICAL)

1.	Name of Post	Assistant Engineer (Civil/ Electrical)
2.	Classification	Group 'A'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 10
4.	Age Limit for direct recruits	40 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:

	for direct recruits	i. Bachelor's degree in Engineering (Civil/ Electrical) from a recognized University/ Institute;
		 Two years of experience in relevant field as Junior Engineer from CPWD/State Government PWD services or similar organized services/Statutory or Autonomous organizations/University System/reputed private organizations.
		OR Diploma in Engineering (Civil/ Electrical) from a recognized
		University/ Institute with at least five years' experience in relevant field in CPWD/ State Government PWD services or similar organized services/ Statutory or Autonomous organization University System/ reputed private organizations.
		Desirable:
		Working knowledge of AUTOCAD, other relevant software.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Direct/Deputation
9.	In case of recruitment by promotion/	Deputation: Officers of the CPWD/ State PWD services or
	deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	similar organized services/Semi Government/PSU/ Statutory or autonomous organization/University system: holding analogous posts
		OR
		With three years regular service as Junior Engineer possessing a degree in Engineering in the in relevant field, OR
		With five years regular service as Junior Engineer possessing a Diploma in Engineering in the relevant field.
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ELECTRICIAN

1.	Name of Post	Electrician
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 5
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	I.T.I certificate in relevant trade or its equivalent with atleast 50% marks or its equivalent grade from a recognized Institution.
6.	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct Recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	
9.	In case of recruitment by promotion/	Not applicable
	deputation/ absorption, grades from which	
	promotion/ deputation/ absorption to be made	
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LABORATORY TECHNICIAN

1.	Name of Post	Laboratory Technician
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 5
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Bachelor's degree in Science or other relevant field from a recognized University; Desirable: Experience in Science Laboratories of Academic/ Research institution.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Age: No Qualification: No
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /	75% by direct recruitment
	absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	25% by promotion from the cadre of Field/Lab Assistant according to seniority-cum-fitness and subject to qualifying the departmental test failing which by deputation/ direct recruitment (as per the discretion of competent authority).
9.		according to seniority-cum-fitness and subject to qualifying the departmental test failing which by deputation/ direct recruitment

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LIVESTOCK/ FARM ASSISTANT

	RECRUITMENT RULES FOR TI	HE POST OF LIVESTOCK/ FARM ASSISTANT
1.	Name of Post	Livestock/Farm Assistant
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 5
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	Bachelor's degree in Science or other relevant field from a
		recognized University;
		Desirable:
		i. Bachelor's degree in Agriculture or allied science
		ii. Relevant experience in Science Laboratories/ Farm of
		Academic/ Research institution/Universities.
6.	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	m v
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/Contract recruitment
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	N
9.	In case of recruitment by promotion/	Not applicable
	deputation/ absorption, grades from which	
10	promotion/ deputation/ absorption to be made	
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 –
	direct recruitment	Appendix-1

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FIELD CUM LAB ASSISTANT

1.	Name of Post	Field-cum-Lab. Assistant
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 3
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required	Essential:
	for direct recruits	10+2 or its equivalent examination preferably with Science or
		Agriculture from a recognized Board/ Two years Diploma in
		Agriculture after matriculation;
		Desirable:
		Bachelor's degree preferably in Science/Agriculture.
		Relevant experience in Scientific Laboratories/Farm of Academic/
		Research institution/ Universities.
6.	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in the	
	case of promotes	
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct	Direct/Contract
	recruitment or by promotion or by deputation /	
	absorption and percentage of the posts to be	
	filled by various methods	
9.	In case of recruitment by promotion/	Not applicable
	deputation/ absorption, grades from which	
	promotion/ deputation/ absorption to be made	
10.	Composition of Selection Committee for	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 -
	direct recruitment	Appendix-1

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, JHANSI

(Established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DRIVER

1.	Name of Post	Driver
2.	Classification	Group 'C'
3.	Pay Band & Grade Pay	Level 3
4.	Age Limit for direct recruits	35 years
5.	Educational and other qualifications required for direct recruits	 i. Class 10+2 from a recognized School Board. ii. Possession of a valid driving license for L/M/H motor vehicles issued by the competent authority. iii. Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles). iv. Experience of driving motor vehicles for at least 3 years.
6.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7.	Period of probation, if any	Two Years
8.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	100% by direct recruitment through driving test, knowledge of traffic rules and interview
9.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
10.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1